

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

डिप्टी रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या:- १२९ / खनन-2024

दिनांक: 27 फरवरी, 2024

विषय:- Notice of hearing in Suo Motu matter in re: News item appearing in ETV Bhart dated 17-01-2024 entitled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जेसीबी मशीनें"

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र ई मेल दिनांक 22.02.2024 को प्रेषित संदेश का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

प्रश्नगत प्रकरण में उप जिलाधिकारी लक्सर एवं जिला खान अधिकारी/खान निरीक्षक, हरिद्वार से संयुक्त जांच कराई गयी। संयुक्त जांच समिति द्वारा अवगत कराया गया कि तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण एवं छापेमारी कर अवैध खनन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गयी है। राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामपुर रायघटी, नेहन्दपुर, सुठारी, मुसाहिबपुर माजरी, टांडा महतौली, सुल्तानपुर, भिक्कमपुर आदि में समय-समय पर अवैध खनन के विरुद्ध छापेमारी कर अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही कर 23 प्रकरणों में अवैध खनन के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित करने हेतु न्यायालय को प्रेषित की गई। तहसील लक्सर क्षेत्र में ग्राम समाज की सरकारी भूमि पर अवैध खनन पर कार्यवाही करते हुए क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक द्वारा सम्बन्धित पुलिस थानों में वर्तमान तक कुल 04 प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। दिनांक 17.01.2024 को ई0टी0वी0 पर प्रसारित न्यूज "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे0सी0बी0 मशीनें" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माह जनवरी 2024 में लक्सर तहसील में कुल 23 वाहन अवैध खनन परिवहन के अन्तर्गत निरुद्ध किये गये एवं उप जिलाधिकारी लक्सर द्वारा गोपनीय सूचना का संज्ञान लेते हुए दिनांक 14 एवं 15 जनवरी, 2024 को अवैध खनन में संलिप्त 03 जे0सी0बी0 मशीन सीज कर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। दिनांक 20.01.2024 को तहसीलदार, लक्सर द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 05 ट्रेक्टर-ट्रालियों को अवैध खनन के अन्तर्गत सीज किया गया जिस पर नियमानुसार अर्थदण्ड वसूलने हेतु आख्या प्रेषित की गई।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल का गठन किया गया है। तहसील स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु तहसील स्तरीय अवैध निरोधक दल का भी गठन किया गया है, जिसकी प्रत्येक माह उप जिलाधिकारी लक्सर की उपस्थिति में समीक्षा बैठक आहुत की जाती है। उक्त बैठक में परिवहन, राजस्व, खनन, पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारी एवं लक्सर क्षेत्र के ग्राम प्रधान प्रतिभाग करते हैं। उक्त समीक्षा बैठक में अवैध खनन पर किस प्रकार प्रभावी अंकुश लगाया जा सके, के सम्बन्ध में चर्चा की जाती है। तहसील स्तर पर गठित निरोधक दल द्वारा समय-समय पर क्षेत्र में भ्रमण कर अवैध खनन के विरुद्ध छापेमारी की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त उप जिलाधिकारी लक्सर द्वारा क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम हेतु तहसील स्तर पर समय-समय पर टीम गठित की जाती है। जो क्षेत्र में होने वाली अवैध खनन गतिविधियों पर निगरानी रखती है तथा उचित कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराती है।

अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा O.A.No. 182/2024 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2024 के अनुपालन में राजस्व एवं खनन संयुक्त जांच रिपोर्ट मूल रूप में मय संलग्नकों सहित आपकी सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(धीराज सिंह गर्बाल),
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

मा0 एन0जी0टी0, के आदेश दिनांक 22.02.2024 के सम्बन्ध में

अवगत कराना है कि कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्र संख्या 918/खनन-2024 दिनांक 23.02.2024 जो कि उपजिलाधिकारी लक्सर एवं जिला खान अधिकारी हरिद्वार को सम्बोधित है, के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0, प्रिंसिपल बैंच फरीदकोट हाऊस कॉर्पोरेशन मार्ग, नई दिल्ली द्वारा ई मेल से प्रेषित संदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा ई0टी0वी0 भारत में दिनांक 17.01.2024 को न्यूज" लक्सर में जोरो पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जेसीबी मशीनें" पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिनांक 29.02.2024 को मा0 एन0जी0टी0 में आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा सयुक्त रूप से निरीक्षण एवं छापमारी कर अवैध खनन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गयी है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

वर्तमान में तहसील लक्सर के अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित खनन पट्टो/स्टोन क्रेशरो/रिटेल भण्डारणो का विवरण निम्नवत् है (संलग्न है) -

क्र0 सं0	विवरण	कुल	संचालित
1	खनन पट्टे-	05	03
2	स्टोन क्रेशर	09	03
3	रिटेल भण्डारण	28	16
4	स्कनिंग प्लान्ट	0	0

अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण से सम्बन्धित प्रकरणो का विवरण निम्नवत् है-

जनपद हरिद्वार में अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण											
क्र0 सं0	माह	स्टोन क्रेशर के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण				अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण				अवैध परिवहन/पकड़े गये वाहन का विवरण	
		प्रकरण	प्रस्तावित	वसूल की गयी धनराशी	वसूली हेतु अवशेष	प्रकरण	प्रस्तावित	वसूल की गयी धनराशी	वसूली हेतु अवशेष	प्रकरण	वसूल की गयी धनराशी
1	अप्रैल, 2023	7	3362749	3362749	0	7	3263371	156806	3106565	62	3481783
2	मई, 2023	10	7289721	2267968	5021753	23	17485979	156909	17329070	72	3128708
3	जून, 2023	6	5815347	5561247	254100	19	49659095	1025607	48633488	69	1789130
4	जुलाई, 2023	15	34605545	776406	33829139	40	49788776	0	49788776	44	1864843
5	अगस्त, 2023	4	1735549	1347384	388165	0	0	0	0	51	1842734
6	सितम्बर, 2023	1	36121659	0	36121659	0	0	0	0	79	3244213
7	अक्टूबर, 2023	12	11273847	2831006	8442841	24	11674100	490344	11183756	74	2937175
8	नवम्बर, 2023	15	70344627	294114	70050513	18	10040188	270484	9769704	50	2068621
9	दिसम्बर, 2023	24	13361508	542829	12818679	41	69852658	1126781	68725877	50	1619428
	कुल योग	43	88930570	13315754	75614816	89	120197221	1339322	118857899	377	15351411

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

सील लक्सर में स्टोन क्रेशर पर की गयी कार्यवाही का विवरण (संलग्नक-1) निम्नवत् है-

क्र० सं०	स्टोन क्रेशर का नाम	कारण बताओ नोटिस/आदेश	अर्थदण्ड का विवरण
1.	मै० वानिया स्टोन क्रेशर, ग्राम महतोली तहसील लक्सर व जिला हरिद्वार SC68022029	कारण बताओ नोटिस सं० 08 दिनांक 11.01.2024	
		आदेश सं० 614 दिनांक 03.11.2023	819550
2.	मै० हाईवे कन्स्ट्रक्शन एण्ड क्रेशर ग्राम फतवा (तहसील लक्सर) SC68011239	कारण बताओ नोटिस 04 दिनांक 11.01.2024	125349
		आदेश सं० 613 दिनांक 03.11.2023	15894680
		कारण बताओ नोटिस 821 दिनांक 05.04.2022	249480
		कारण बताओ नोटिस सं० 153 दिनांक 24.07.2023	253145
		कारण बताओ नोटिस 1130 दिनांक 13.03.2023	2938320
3.	मै० किसान स्टोन क्रेशर ग्राम महतोली तहसील लक्सर जिला हरिद्वार SC68021799	कारण बताओ नोटिस 05 दिनांक 11.01.2024	168989
		कारण बताओ नोटिस 173 दिनांक 04.08.2023	145715
		कारण बताओ नोटिस 1117 दिनांक 03.03.2023	733713
		आदेश दिनांक 30.01.2023	336071
		आदेश दिनांक 19.07.2022	978713
4.	मै० गणपति स्टोन क्रेशर ग्राम जवाहरखान उर्फ झीवरहेडी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार sc68021878	कारण बताओ नोटिस 07 दिनांक 11.01.2024	130390
5.	मै० सूर्या स्टोन क्रेशर ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा (तहसील लक्सर) SC68011247	कारण कारण बताओ नोटिस बताओ नोटिस 11 दिनांक 11.01.2024	627870
		कारण बताओ नोटिस 172 दिनांक 04.08.2023	406615
6.	मै० लिमरा इन्डस्ट्रीज ग्राम नेहन्दपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार SC68001068	कारण बताओ नोटिस 09 दिनांक 11.01.2024	171225
		आदेश दिनांक 09.08.2023	213147
7.	मै० दून स्टोन क्रेशर ग्राम महतोली तहसील लक्सर जिला हरिद्वार। SC68023856	कारण बताओ नोटिस 06 दिनांक 11.01.2024	232953
		कारण बताओ नोटिस 176 दिनांक 09.08.2023	82018
		आदेश दिनांक 30.01.2023	261766
8.	मै० शुभ स्टोन क्रेशर, ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा तहसील लक्सर जिला हरिद्वार। SC68023838	कारण बताओ नोटिस सं० 10 दिनांक 11.01.2024	522306
		कारण बताओ नोटिस 186 दि० 17.08.2023	160432

श

Shrey

क्र० सं०	रिटेल भण्डारण का नाम	कारण बताओ नोटिस/आदेश	अर्थदण्ड का विवरण
1.	श्री संजीव कुमार (डायरेक्टर वी०पी०एस०जी० इन्फ्राटेक प्रा० लि०) पुत्र श्री बवजयपाल सिंह नि० म० नं० 132 सोसाईटी रोड लक्सर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।	आदेश वाद सं० 278/2023 दि० 28.12.2023	138884
2.	श्री बाबूराम पुत्र श्री झबरे सिंह ग्राम पंडितपुरी मजरा हबीबपुर कुरडी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।	आदेश सं० 182/2022 दि० 13.06.2022	133980
		आदेश वाद सं० 12/2022 दि० 11.05.2022	99263
3.	मै० नटराज ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० श्री अनिल कुमार पाल पुत्र श्री ओमप्रकाश मकान नं० 70 रोशनाबाद हरिद्वार को ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार	आदेश वाद सं० 90/2024 दि० 13.02.2024	10622
		आदेश वाद सं० 264/2023 दि० 01.12.2023	69289
		आदेश वाद सं० 252/2023 दि० 13.10.2023	8558
		आदेश वाद सं० 161/2023 दि० 01.04.2023	31241
		आदेश वाद सं० 237/2022-23 दि० 16.03.2023	73704
4.	मै० गुरु कृपा ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० अजय कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार नि० ग्राम महतोली तहसील लक्सर जिला हरिद्वार	आदेश वाद सं० 188/2022 दि० 01.07.2023	163240
5.	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री प्रेमकुमार निवासी जैतपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार	आदेश वाद सं० 258/258 दि० 03.06.2023	141061
		आदेश वाद सं० 236/2023 दि० 29.08.2023	102315
		आदेश वाद सं० 247/2022-23 दि० 29.04.2023	60386
6.	मै० चौहान ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० श्री रोहित पुत्र श्री अभयराम ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर की तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।	आदेश वाद सं० 53/2024 दि० 07.01.2024	17494
		आदेश वाद सं० 256/202 दि० 16.10.2023	84740
		आदेश वाद सं० 279/2023 दि० 285.12.2023	44417
		आदेश वाद सं० 159/2023 दि० 01.04.2023	30038
		आदेश वाद सं० 228/2022-23 दि० 14.03.2023	73563

	श्री मेघराज पुत्र श्री सुखलाल निवासी ग्राम डूमनपुरी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार	आदेश वाद सं० 295/2023 दि० 30. 12.2023	58657
		आदेश वाद सं० 270/2023 दि० 18. 12.2023	13645
		आदेश वाद सं० 229/2022-23 दि० 14.03.2023	55015
8.	मै० हिमालाय गुप ऑफ कम्पनी प्रो० श्री प्रतीक शर्मा पुत्र श्री मनीशंकर शर्मा निवासी 239/3 न्यू रामनगर हरिद्वार (मै० हिमालयन गुप ऑफ कम्पनी)	आदेश वाद सं० 296/2023 दि० 07. 01.2024	1621
		आदेश वाद सं० 255/2023 दि० 13. 10.2023	20118मे६
9.	श्री आशुतोष सिंह बिष्ट पुत्र श्री शंकर सिंह निवासी ग्राम अकुराई पो० अणा जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड	आदेश वाद सं० 272/2023 दि० 28. 12.2023	41925
		आदेश वाद सं० 250/2023 दि० 04. 10.2023	22202
		आदेश वाद सं० 167/2023 दि० 01. 04.2023	65608
10.	श्री अमरदीप रणावत पुत्र श्री रणबीर सिंह रणावत निवासी 128, बैंक कालोनी पो० अजबपुर कला देहरादून	आदेश वाद सं० 260/2023 दि० 22. 11.2023	12844
		आदेश वाद सं० 54/2024 दि० 07. 01.2024	1229
		आदेश वाद सं० 253/2023 दि० 13. 10.2023	7408
		आदेश वाद सं० 238/2022-23 दि० 17.03.2023	63334
11.	मै० कल्लू सिंह कॉन्ट्रेक्टर प्रो० कल्लू सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार	आदेश वाद सं० 50/2024 दि० 07. 01.2024	2516
		आदेश वाद सं० 273/2023 दि० 28. 12.2023	57890
		आदेश वाद सं० 254/2023 दि० 13. 10.2023	16453
		आदेश वाद सं० 177/2023 दि० 10. 05.2023	22662
12.	मै० श्री बालाजी ट्रेड्स प्रो० श्री विनोद कुमार पुत्र श्री पाल गुप्ता निवासी गोरधनपुर रोड लक्सर शेखपुरी त० लक्सर जिला हरिद्वार (मै० बालाजी ट्रेड्स)	आदेश वाद सं० 160/2023 दि० 01. 05.2023	28746
		आदेश वाद सं० 240/2022-23 दि० 20.03.2023	38115
13.	मै० प्रकाश कॉरपोरेशन रामपुर रायघटी त० लक्सर जिला हरिद्वार	आदेश वाद सं० 297/2023 दि० 20. '02.2024	4631

श

Shay

	मै० माँ दुर्गा इंटरप्राइजेस प्रो० श्रीमति कविता पत्नी श्री नन्दकिशोर नि० कबूलपुर रायघटी त० व जिला हरिद्वार	आदेश वाद सं० 263/2023 दि० 12.11.2023	1872
		आदेश वाद सं० 245/2022-23 दि० 28.04.2023	32898
15.	श्री बिट्टू पुत्र श्री महावीर सिंह निवासी कबूलपुरी रायघटी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार	आदेश सं० 237 दि० 25.08.2023	119350
16.	मै० देवभूमि इंटरप्राइजेज प्रो० श्री ललित कुमार पुत्र श्री कृपाल सिंह नि० ग्राम हरचन्दपुर पोस्ट गुरुकुल नारसन तहसील रुडकी जिला हरिद्वार	आदेश सं० 60 दि० 07.02.2024	8766
		आदेश सं० 251 दि० 13.10.2023	7959
17.	मै० गणपति ट्रेडिंग कम्पनी प्रो० अंकुर चौहान पुत्र श्री अभय सिंह नि० कबूलपुर रायघटी त० लक्सर	आदेश वाद सं० 51/2024 दि० 07.01.2024	10299
		आदेश वाद सं० 280/2023 दि० 28.12.2023	37575
		आदेश वाद सं० 249/2023 दि० 30.09.2023	159166
18.	मै० उत्तराखण्ड एसोसिएटस प्रो० इरफान अहमद नि० ग्राम अहमदपुर चिडिया तहसील व जिला हरिद्वार	आदेश सं० 49 दि० 7.2.2024	107071
19.	मै० वैष्णो इंटरप्राइजेज प्रो० श्री अनिल कुमार पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी ग्राम कलसिया तहसील लक्सर जिला हरिद्वार	आदेश वाद सं० 261/2023 दि० 22.11.2023	108626

तहसील लक्सर में अवैध परिवहन के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का विवरण

क्रमांक	01 अप्रैल 2023 से 24 फरवरी, 2024 तक अवैध खनन परिवहन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहनों की संख्या	01 अप्रैल 2023 से 24 फरवरी, 2024 तक अवैध खनन परिवहन के अन्तर्गत पकड़े गये वाहनो पर अधिरोपित अर्थदण्ड रूपयों में
01	288	10162508/-

उक्त के अतिरिक्त राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामपुर रायघटी, नेहन्दपुर सुठारी, मुसाहिबपुर माजरी, टांडा महतौली, सुल्तानपुर, भिक्कमपुर आदि में समय-समय पर अवैध खनन के विरुद्ध छापेमारी कर अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही कर 23 प्रकरणों में अवैध खनन के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु आख्या जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गयी (संलग्नक-03) तथा तहसील लक्सर क्षेत्र में ग्राम समाज की सरकारी भूमि पर अवैध खनन पर कार्यवाही करते हुये क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाना में वर्तमान तक कुल 04 प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है (संलग्नक-04) दिनांक 17.01.2024 को ई०टी०वी० पर प्रसारित न्यूज 'लक्सर में जोरो पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जेसीवी मशीनें' के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माह जनवरी 2024 में लक्सर तहसील में कुल 23 वाहन अवैध खनन परिवहन के अन्तर्गत निरुद्ध किये गये एवं उप जिलाधिकारी लक्सर द्वारा गोपनीय सूचना का संज्ञान लेते हुये दिनांक 14 एवं 15 जनवरी, 2024 को अवैध खनन में संलिप्त 03 जे०सी०वी० मशीन सीज कर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया (संलग्नक-5) दिनांक 20.01.2024 को तहसीलदार लक्सर

QR

Shrey


अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये 05 ट्रेक्टर-ट्रालियों को अवैध खनन के अन्तर्गत सीज किया गया जिनपर नियमानुसार अर्थदण्ड वसूलने हेतु आख्या जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार को प्रेषित की गयी (संलग्नक-6)।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन परिवहन निरोधक दल का गठन किया गया है तथा तहसील स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल का भी गठन किया गया है जिसकी प्रत्येक माह उप जिलाधिकारी लक्सर की उपस्थिति में समीक्षा बैठक आहूत की जाती है जिसमें परिवहन, राजस्व, खनन, पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारी एवं लक्सर क्षेत्र के ग्राम प्रधान प्रतिभाग करते हैं। उक्त समीक्षा बैठक में अवैध खनन पर किस प्रकार प्रभावी अंकुश लगाया जा सके के सम्वन्ध में चर्चा की जाती है। तहसील स्तर पर गठित निरोधक दल द्वारा समय-समय पर क्षेत्र में भ्रमण कर अवैध खनन के विरुद्ध छापेमारी की कार्यवाही जाती है इसके अतिरिक्त भी उप जिलाधिकारी लक्सर द्वारा क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम हेतु तहसील स्तर पर समय-समय पर टीम गठित की जाती है जो क्षेत्र में होने वाली अवैध खनन गतिविधियों पर निगरानी रखती है तथा उचित कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराती है।

Mohd. Jazim Rizvi
जिला खान अधिकारी/खान निरीक्षक
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार।

[Signature]
उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सलज - ①



संख्या- 07 / अहलमद-2023 दिनांक 11 / 01 / 2024

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 08 / 2024

सरकार

बनाम


धारा-विविध/नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020
मैसर्स गणपति स्टोन केशर,
ग्राम जवाहर खान उर्फ झीवरहेडी,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

प्रो०/स्वामी,
मैसर्स गणपति स्टोन केशर,
ग्राम जवाहर खान उर्फ झीवरहेडी,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

उपजिलाधिकारी लकसर की आख्या दिनांक 26.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन वेभाग एवं राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण कर पैमाईश की गई। पैमाईश में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त स्टोन केशर परिसर में मौके पर 4842.8 टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-रवन्ना पोर्टल पर 1555.86 टन उपखनिज दर्शित है। उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन, एवं भण्डारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार अभिलेख एवं वास्तविक पैमाईश में 10 प्रतिशत अन्तर के बाद ई-रवन्ना पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 931.351 टन उपखनिज अधिक पाया गया उक्त कृत्य के लिये आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार रू०-1,30,390/-अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है।

उक्त आख्या के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार =रू०-1,30,390/-अर्थदण्ड की धनराशि अधिरोपित कर जाये?


अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना उत्तर/अभिलेखीय साक्ष्य सहित स्वयं अथवा आधेवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत मयावधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर रते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।



५
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

- तल्लिपि-
- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 - 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, भू०खनि०ई०, हरिद्वार को नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
 - 3-प्रभारी अधिकारी,खनन/खनन सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार को अभिलेखीय।

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।



संख्या- 05 / अहलमद-2023 दिनांक 11 / 01 / 2024

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 06 / 2024

सरकार

बनाम

धारा-विविध/नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020
मैसर्स गणपति स्टोन केशर,
ग्राम जवाहर खान उर्फ डीवरहेडी,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

प्रो०/स्वामी,
मैसर्स किसान स्टोन केशर,
ग्राम महतौली,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

उपजिलाधिकारी लकसर की आख्या दिनांक 26.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण कर पैमाईश की गई। पैमाईश में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त स्टोन केशर परिसर में मौके पर 5810.88 टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-रवन्ना पोर्टल पर 4185.29 टन उपखनिज दर्शित है। उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार अभिलेख एवं वास्तविक पैमाईश में 10 प्रतिशत अन्तर के बाद ई-रवन्ना पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 1207.061 टन उपखनिज अधिक पाया गया उक्त कृत्य के लिये आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार रू०-1,68,989/- अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है।

उक्त आख्या के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार =रू०-1,68,989/- अर्धदण्ड की धनराशि अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रत्युत्तर/अभिलेखीय साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत समयावधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रतः कार्यवाही की जायेगी।




(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-

- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के अर्थ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, भू०खनि०ई०, हरिद्वार को नियमानुसार अग्रतः कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
- 3-प्रगारी अधिकारी, खनन/खनन सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार को अभिलेखार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।



संख्या- 11 / अहलमद-2023 दिनांक 11 / 01 / 2024

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 12 / 2024

सरकार

बनाम

धारा-विविध/नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020
मैसर्स सूर्या स्टोन केशर,
ग्राम महतौली,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

प्रो/स्वामी,
मैसर्स सूर्या स्टोन केशर,
ग्राम महतौली,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

उपजिलाधिकारी लकसर की आख्या दिनांक 26.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण कर पैमाईश की गई। पैमाईश में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त स्टोन केशर परिसर में मौके पर 20213.4 टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-रवन्ना पोर्टल पर 14298.74 टन उपखनिज दर्शित है। उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार अभिलेख एवं वास्तविक पैमाईश में 10 प्रतिशत अन्तर के बाद ई-रवन्ना पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 4484.786 टन उपखनिज अधिक पाया गया उक्त कृत्य के लिये आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार रू0-6,27,870/-अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है।

उक्त आख्या के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार रू0-6,27,870/-अर्धदण्ड की धनराशि अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रत्युत्तर/अभिलेखीय साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत समयावधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।



(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-

- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, भू0खनि0ई0, हरिद्वार को नियमानुसार अग्रोत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
- 3-प्रभारी अधिकारी, खनन/खनन सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार को अभिनेरुत।

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

संख्या:- 172 अहलमद-2023 दिनांक 4-8-2023
जुलाई 2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

संख्या: 231 /2023

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)

उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं

भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021


मैसर्स सूर्या स्टोन केशर

ग्राम महतौली तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।

सरकार

बनाम

कारण बताओ नोटिस



स्वामी/प्रो

मैसर्स सूर्या स्टोन केशर

ग्राम महतौली तहसील लक्सर

जिला हरिद्वार।

उप जिलाधिकारी लक्सर के पत्र संख्या-777/पी0ए0/उ0जि0ल0 -23 दिनांक 21 जुलाई 2023 के द्वारा यह आख्या दी गई है कि राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 08.06.2023 को तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत स्थित मै सूर्या स्टोन केशर का उसके मुंशी की उपस्थित में संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर में 28889.9 टन उप खनिज पाया गया जबकि ई-रवाना पोर्टल पर 23623.19 टन उपखनिज दर्शित पाया गया जिसका 10 प्रतिशत 2362.319 टन कुल 25985.509 टन होता है। इस प्रकार मै सूर्या स्टोन केशर में मौके पर 2904.391 टन उपखनिज अधिक पाया गया, जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार 4,06,615/-रु0 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया किये जाने की संस्तुति की गई है।

क्यों न उक्त कृत्य के लिए उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग-1 अधिसूचना संख्या-1874/VII-1/2021/158ख-04 टीसी दिनांक 10 नवम्बर,2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम-14 (5)क में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए उपरोक्त टन उपखनिज पर देय रु0 4,06,615/-रु0अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जाय?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष/उत्तर अभिलेखीय साक्ष्य नोटिस प्राप्त के 15 दिन के भीतर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत अवधि में आपका उत्तर साक्ष्यों सहित प्राप्त नहीं होता है अथवा उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो वाद उपरोक्त का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रतत्तर कार्यवाही की जायेगी।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)

जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-

1-तहसीलदार लक्सर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस सम्बन्धित अनुज्ञाधारक को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


2-उप जिलाधिकारी लक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

3-सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्य एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि नियमानुसार ई-रवाना पोर्टल बन्द करने के संबंध में अग्रतत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

4-प्रधानी अधिकारी(खनन)/खनन सहायक कलक्टर,हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

30/8/23
Handwritten signature
15/8/2023

Handwritten signature
जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।



संख्या- ०९ /अटलगद-2023 दिनांक 11 /01/2024

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 10 /2024

सरकार

बनाम

धारा-विविध/नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020
मैसर्स लिमरा स्टोन केशर,
ग्राम नेहन्दपुर,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

प्रो०/स्वामी,
मैसर्स लिमरा स्टोन केशर,
ग्राम नेहन्दपुर,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

उपजिलाधिकारी लकसर की आख्या दिनांक 26.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण कर पैमाईश की गई। पैमाईश में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त स्टोन केशर परिसर में मौके पर 13392.5 टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-रवन्ना पोर्टल पर 11063.46 टन उपखनिज दर्शित है। उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार अभिलेख एवं वास्तविक पैमाईश में 10 प्रतिशत अन्तर के बाद ई-रवन्ना पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 1223.034 टन उपखनिज अधिक पाया गया उक्त कृत्य के लिये आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खननपरिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार रू0-1,71,225/-अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है।

उक्त आख्या के आधार पर वर्यो न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार =रू0-1,71,225/-अर्थदण्ड की धनराशि अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रत्युत्तर/अभिलेखीय साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत समयवधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।



(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-

- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, भू0खनि0ई0, हरिद्वार को नियमानुसार अग्रोत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
- 3-प्रभारी अधिकारी,खनन/खनन सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार को अगिलेखार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

सं०- /2023

सरकार

बनाम

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021
मैसर्स लिमरा स्टोन केशर,ग्राम नेहन्दपुर सुठारी, तहसील
लकसर जिला हरिद्वार।


आदेश

उप जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक-774/पी0ए0 दिनांक 21.07.2023 में अवगत कराया गया है कि दिनांक 09.06.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा तहसील लकसर स्थित मै0 लिमरा स्टोन केशर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में स्टोन केशर परिसर पर उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 1522.478 टन उपखनिज अधिक पाया गया है जिस कारण नियमावली के प्राविधानानुसार रू0-2,13,147/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। उक्त के कम में मैसर्स लिमरा स्टोन केशर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 24.07.2023 जारी किया गया। विपक्षी मैसर्स लिमरा स्टोन केशर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2023 के साथ उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू0-2,13,147/- ई-चालान सं०-0530823E0017957 दिनांक 07.08.2023 प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उक्त आरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त आरोपित सम्पूर्ण धनराशि रू0-2,13,147/- जमा कर दिये जाने के कारण उक्त उक्त स्टोन केशर को सीजमुक्त एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः मैसर्स लिमरा स्टोन केशर नेहन्दपुर सुठारी तहसील लकसर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 08.08.2023 के अनुसार उक्त अधिरोपित अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि रू0-2,13,147/- ई-चालान सं०-0530823E0017957 दिनांक 07.08.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उक्त स्टोन केशर को सीजमुक्त करने व ई-रवन्ना पोर्टल चालू करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है तथा स्टोन केशर स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि नदिय में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं संबंधित अनुज्ञाधारक को उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:- 09 अगस्त,2023

LP
(धीराज सिंह गंब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।



संख्या- 05- /अहलमद-2023 दिनांक 11 /01/2024

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 07 /2024

सरकार

बनाम

घारा-विविध/नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं मण्डारण का निवारण) नियमावली 2020
मैसर्स दून स्टोन केशर,
ग्राम महतौली,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

प्रो०/स्वामी,
मैसर्स दून स्टोन केशर,
ग्राम महतौली,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

उपजिलाधिकारी लकसर की आख्या दिनांक 26.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण कर पैमाईश की गई। पैमाईश में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त स्टोन केशर परिसर में मौके पर 3125.52 टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-खन्ना पोर्टल पर 1328.70 टन उपखनिज दर्शित है। उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं मण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार अभिलेख एवं वास्तविक पैमाईश में 10 प्रतिशत अन्तर के बाद ई-खन्ना पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 1663.95 टन उपखनिज अधिक पाया गया उक्त कृत्य के लिये आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन परिवहन एवं मण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार रू0-2,32,953/-अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है।

उक्त आख्या के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं मण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार =रू0-2,32,953/-अर्थदण्ड की धनराशि अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रत्युत्तर/अभिलेखीय साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत समयवधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।




(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-

- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- ✓ 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, भू0खनि0ई0, हरिद्वार को नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
- 3-प्रभारी अधिकारी,खनन/खनन सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार को अभिलेखार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।



न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

पत्रांक-347/एच

बाद सं०- 232 / 2023

सरकार

बनाम

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021
गैसर्स टून स्टोन केशर ग्राम महतौली तहसील लकसर
हरिद्वार।

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्र संख्या-776/पी0ए0/उ0जि0अ0 दिनांक 21.07.2023 के द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि दिनांक 08.06.2023 को विपक्षी के स्टोन केशर पर उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश में मौके पर ई-पोर्टल के सापेक्ष 585.84टन उपखनिज अधिक पाया गया, जिस कारण विपक्षी के विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली के प्राविधानानुसार रू0-82.018/- अर्थदण्ड आरोपित किये जाने को संस्तुति की गई।

विपक्षी को उपरोक्त के आधार पर इस न्यायालय के कारण बताओ नोटिस दिनांक 09.08.2023 प्रेषित किया गया कि क्यों न उसके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021 के नियम-14(5) में दिये प्राविधानानुसार कार्यवाही करते हुए मौके पर अधिक पाई गई उपरोक्त उपखनिज की मात्रा पर अर्थदण्ड रू0-82,018 आरोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही की जाय। विपक्षी के द्वारा कारण बताओ नोटिस प्राप्ति के उपरान्त भी आतिथि तक कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उप जिलाधिकारी लकसर के पत्र संख्या-776/पी0ए0/उ0जि0अ0 दिनांक 21.07.2023 के द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर गैसर्स टून स्टोन केशर ग्राम महतौली लकसर जिला हरिद्वार के विरुद्ध मौके पर अधिक पाई गई उपरोक्त उपखनिज की उपरोक्त वर्णित मात्रा पर अर्थदण्ड रू0-82,018/- अधिरोपित करते हुए विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह आरोपित उपरोक्त राशि राजकीय कोष में निर्धारित लेखाशीर्षक में 15 दिन के भीतर जमा करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त अवधि में विपक्षी द्वारा आरोपित अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं की जाती है, तो विपक्षी के विरुद्ध आरोपित अर्थदण्ड की राशि वसूली हेतु वसूली पत्र जारी किया जाय। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार एवं प्रभारी अधिकारी, खनन कलक्टर हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:- 11-1-24

(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

उजगट

संख्या- 176 अहलमद-2023 दिनांक 05 जुलाई 2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

संख्या: 231 /2023

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)

उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं


भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021

सरकार

सनाम

मैसर्स दून स्टोन केशर

ग्राम महतौली तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।

कारण बताओ नोटिस

स्वामी/प्रो०

मैसर्स दून स्टोन केशर

ग्राम महतौली तहसील लक्सर

जिला हरिद्वार।

उप जिलाधिकारी लक्सर के पत्र संख्या-776/पी0ए0/उ0जि0ल0 -23 दिनांक 21 जुलाई 2023 के द्वारा यह आख्या दी गई है कि राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 08.06.2023 को तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत स्थित मै दून स्टोन केशर का उसके मुंशी की उपस्थित में संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर में 2000.2 टन उप खनिज पाया गया जबकि ई-रवाना पोर्टल पर 1287.6 टन उपखनिज दर्शित पाया गया जिसका 10 प्रतिशत 128.76 टन कुल 1416 टन होता है। इस प्रकार मै दून स्टोन केशर में मौके पर 585.84 टन उपखनिज अधिक पाया गया, जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार 82,018/-रु० का अर्धदण्ड अधिरोपित किया किये जाने की संस्तुति की गई है।

क्यों न उक्त कृत्य के लिए उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग-1 अधिसूचना संख्या-1874/VII-I/2021/158ख-04 टीसी दिनांक 10 नवम्बर,2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम-14 (5)क में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए उपरोक्त टन उपखनिज पर देय रु० 82,018/-रु० अर्धदण्ड अधिरोपित करते हुए उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जाय?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष/उत्तर अभिलेखीय साक्ष्य नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत अवधि में आपका उत्तर साक्ष्यों सहित प्राप्त नहीं होता है अथवा उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो वाद उपरोक्त का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।

(धीराज सिंह गर्वाल)


जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-


- 1-तहसीलदार लक्सर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस सम्बन्धित अनुज्ञाधारक को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप जिलाधिकारी लक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि नियमानुसार ई-रवाना पोर्टल बन्द करने के सक्थ में अग्रोत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 4-प्रभारी अधिकारी(खनन)/खनन सहायक कलक्टर,हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

30/8/23

30/8/23
19/08/2023



176
जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।



न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

जाद सं- 104/2022

धारा- विधि/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

जरकार

बनाम

मैसर्स दून स्टोन केशर ग्राम महतौली तहसील लकसर
जिला हरिद्वार।

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-405 दिनांक 25.01.2023 द्वारा प्रस्तुत आख्या में अवगत कराया गया कि दिनांक 19.01.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की टीम द्वारा मैसर्स दून स्टोन केशर टांडा महतौली का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर के पोर्टल के अनुसार केशर में उपखनिज का स्टॉक 1701.11घ0मी0 है जबकि पैमाईश के दौरान स्टोन केशर में उपखनिज की मात्रा 2551घ0मी0 भण्डारण पाया गया है। इस प्रकार कुल 849.89घ0मी0 अधिक होने का अन्तर पाया गया है। पोर्टल से अधिक मात्रा में उपखनिज पाये जाने की अनियमितता के दृष्टिगत केशर को सील कर दिया गया है एवं उपखनिज परिहार (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021 के अन्तर्गत रु0-2,61,766/- का अर्धदण्ड आरोपित किये जाने हेतु कार्यवाही की आख्या दी गई है।

श्री सौरभ चौहान मैसर्स दून स्टोन केशर महतौली लकसर जिला हरिद्वार के प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2023 में उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा मौके पर अतिरिक्त पाई गई उपखनिज की मात्रा 849.89 घ0मी0 पर टैट अर्धदण्ड की धनराशि रु0-2,61,766/-ई-चालान सं0-08531222E0042040 दिनांक 25.01.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त धनराशि जमा कर दिये जाने के कारण उक्त उक्त स्टोन केशर को सीजमुक्त करने एवं ई खन्ना आई0डी0 चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः मैसर्स दून स्टोन केशर महतौली लकसर जिला हरिद्वार द्वारा उक्त अधिरोपित अर्धदण्ड की धनराशि रु0-2,61,766/-ई-चालान सं0-08531222E0042040 दिनांक 25.01.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा की दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्टोन केशर को सीजमुक्त करने एवं ई खन्ना आई0डी0 चालू करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है तथा स्टोन केशर स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न कर आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन एवं संबंधित केशर स्वामी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त प्रत्येकी अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक- 30.01.2023


(विनय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

Handwritten signature



Handwritten signature

न्यायालय कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार



संख्या- 10 / अहलमद-2023 दिनांक 11 / 01 / 2024

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 11 / 2024

सरकार

बनाम

घारा-विविध/नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020
मैसर्स शुभ स्टोन केशर,
ग्राम महतौली,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

प्रो०/स्वामी,
मैसर्स शुभ स्टोन केशर,
ग्राम महतौली,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

उपजिलाधिकारी लकसर की आख्या दिनांक 26.12.2023 द्वारा अज्ञात करायी गया है कि खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण कर पैमाईश की गई। पैमाईश में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त स्टोन केशर परिसर में मौके पर 21264.8 टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-रवन्ना पोर्टल पर 15940.04 टन उपखनिज दर्शित है। उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार अभिलेख एवं वास्तविक पैमाईश में 10 प्रतिशत अन्तर के बाद ई-रवन्ना पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 3730.756 टन उपखनिज अधिक पाया गया उक्त कृत्य के लिये आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार रू०-5,22,306/-अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है।

उक्त आख्या के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार =रू०-5,22,306/-अर्थदण्ड की धनराशि अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रत्युत्तर/अभिलेखीय साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें; यदि नियत समयावधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।




(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-

- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, भू०खनि०ई०, हरिद्वार को नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
- 3-प्रभारी अधिकारी,खनन/खनन सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार को अभिलेखार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।



न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

पत्रांक-346/23C

वाद सं- 237 / 2023

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021
प्रो0/स्वामी मैसर्स शुभ स्टोन केशर ग्राम महतौली
तहसील-लकसर व जिला, हरिद्वार।

सरकार

बनाम

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्र संख्या-779/पी0ए0-2023 दिनांक 21.07.2023 के द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि दिनांक 08.06.2023 को विपक्षी के स्टोन केशर के स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि मौके पर ई-पोर्टल के सापेक्ष 1145.945टन उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस कारण विपक्षी के विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली के प्राविधानानुसार रू0-1,60,432/- अर्धदण्ड आरोपित किये जाने की संस्तुति की गई।

विपक्षी को उपरोक्त के आधार पर इस न्यायालय के कारण बताओ नोटिस दिनांक 17.08.2023 प्रेषित किया गया कि क्यों न उसके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021 के नियम-14(5) में दिये प्राविधानुसार कार्यवाही करते हुए मौके पर ई-पोर्टल के सापेक्ष अधिक पाई गई उपखनिज के अवैध खनन/अनियमितता के कारण अर्धदण्ड रू0-1,60,432/- आरोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही की जाय। विपक्षी के द्वारा कारण बताओ नोटिस प्राप्ति के उपरान्त भी आतिथि तक कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उप जिलाधिकारी लकसर के पत्र संख्या-779/पी0ए0-2023 दिनांक 21.07.2023 के द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रो0/स्वामी मैसर्स शुभ स्टोन केशर के विरुद्ध उपरोक्त उपखनिज के अवैध भण्डारण/अनियमितता के कारण अर्धदण्ड रू0-1,60,432/- अधिरोपित करते हुए विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह आरोपित उपरोक्त राशि राजकीय कोष में निर्धारित लेखाशीर्षक में 15 दिन के भीतर जमा करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त अवधि में विपक्षी द्वारा आरोपित अर्धदण्ड की राशि जमा नहीं की जाती है, तो विपक्षी के विरुद्ध आरोपित अर्धदण्ड की राशि वसूली हेतु वसूली पत्र जारी किया जाय। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्ष इकाई हरिद्वार एवं प्रभारी अधिकारी, खनन कलक्टर हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:- 11-1-24

(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

संख्या- 186 अहलमद-2023 दिनांक 17 अगस्त, 2023

वाद संख्या: 237 / 2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)

उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं

भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021


सरकार

बनाम

मैसर्स शुभ स्टोन केशर

ग्राम महतौली तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।

कारण बताओ नोटिस



स्वामी/प्रो०

मैसर्स शुभ स्टोन केशर

ग्राम महतौली तहसील लक्सर

जिला हरिद्वार।

उप जिलाधिकारी लक्सर के पत्र संख्या-779/पी0ए0/उ0जि0ल0 -23 दिनांक 21 जुलाई 2023 के द्वारा यह आख्या दी गई है कि राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 08.06.2023 को तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत स्थित मै शुभ स्टोन केशर का उसके मुंशी की उपस्थित में संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर में 16273.2 टन उप खनिज पाया गया जबकि ई-रवाना पोर्टल पर 13752.05 टन उपखनिज दर्शित पाया गया जिसका 10 प्रतिशत 1375.205 टन कुल 15127.255 टन होता है। इस प्रकार मै शुभ स्टोन केशर में मौके पर 1145.945 टन उपखनिज अधिक पाया गया, जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार 1,60,432/-रु० का अर्धदण्ड अधिरोपित किया किये जाने की संस्तुति की गई है।

क्यों न उक्त कृत्य के लिए उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग-1 अधिसूचना संख्या-1874/VII-I/2021/158ख-04 टीसी दिनांक 10 नवम्बर,2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम-14 (5)क में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए उपरोक्त टन उपखनिज पर देय रु० 1,60,432/-रु० अर्धदण्ड अधिरोपित करते हुए उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जाय?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष/उत्तर अभिलेखीय साक्ष्य नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत अवधि में आपका उत्तर साक्ष्यों सहित प्राप्त नहीं होता है अथवा उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो वाद उपरोक्त का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।

प्रतिलिपि:-

1-तहसीलदार लक्सर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस सम्बन्धित अनुज्ञाधारक को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2-उप जिलाधिकारी लक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

3-सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि नियमानुसार ई-रवाना पोर्टल बन्द करने के संबंध में अग्रोत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

4-प्रमारी अधिकारी(खनन)/खनन सहायक कलक्टर,हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

30/8/23
[Signature]
23/08/2023

43
जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।

संख्या:- 173 अहलमद-2023 दिनांक 04 अगस्त, 2023

वाद संख्या: 233 /2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021


सरकार

बनाम

मैसर्स किसान स्टोन केशर
ग्राम महतौली तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।

कारण बताओ नोटिस

स्वामी/प्रो०
मैसर्स किसान स्टोन केशर
ग्राम महतौली तहसील लक्सर
जिला हरिद्वार।



उप जिलाधिकारी लक्सर के पत्र संख्या-778/पी0ए0/उ0जि0ल0 -23 दिनांक 21 जुलाई 2023 के द्वारा यह आख्या दी गई है कि राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 08.06.2023 को तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत स्थित मै किसान स्टोन केशर का उसके मुंशी की उपस्थित में संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर में 7890.4 टन उप खनिज पाया गया जबकि ई-रवान्ना पोर्टल पर 6226.89 टन उपखनिज दर्शित पाया गया जिसका 10 प्रतिशत 622.689 टन कुल 6849.579 टन होता है। इस प्रकार मै किसान स्टोन केशर में मौके पर 1040.821 टन उपखनिज अधिक पाया गया, जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार 1,45,715/-रु० का अर्थदण्ड अधिरोपित किया किये जाने की संस्तुति की गई है।

व्यों न उक्त कृत्य के लिए उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग-1 अधिसूचना संख्या-1874/VII-I/2021/158ख-04 टीसी दिनांक 10 नवम्बर,2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम-14 (5)क में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए उपरोक्त टन उपखनिज पर देय रु० 1,45,715/-अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जाय?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष/उत्तर अभिलेखीय साक्ष्य नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत अवधि में आपका उत्तर साक्ष्यों सहित प्राप्त नहीं होता है अथवा उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो वाद उपरोक्त का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।

प्रतिलिपि:-

1-तहसीलदार लक्सर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस सम्बन्धित अनुज्ञाधारक को तत्काल तामील कराकर तामौली आख्या इस न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2-उप जिलाधिकारी लक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।


3-सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि नियमानुसार ई-रवान्ना पोर्टल बन्द करने के संबंध में अग्रोत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

4-प्रभारी अधिकारी(खनन)/खनन सहायक कलक्टर,हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

17/08/2023



जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।



संख्या: 1117 / अहलमद-2022

दिनांक: 03-3-2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट / कलक्टर, हरिद्वार।

वाद सं०-35 / 2022

धारा-विविध / नियम-14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन, परिवहन
एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021
प्रो० / पार्टनर,
मैसर्स किसान स्टोन केशर,
महतौली, तहसील लकसर
जिला-हरिद्वार।

सरकार

बनाम

1-उप जिलाधिकारी,
लकसर।

2-सहायक भू-वैज्ञानिक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार।

वाद उपरोक्त में इस न्यायालय के नोटिस दिनांक 20.07.2022 के द्वारा विपक्षी द्वारा उक्त स्टोन केशर परिसर में अवैध खनन/भण्डारण किये जाने के कारण विपक्षी के विरुद्ध अर्थदण्ड रू०-9,78,713/- अधिरोपित किया गया है। इस संबंध में विपक्षी के द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.07.2022 के अर्थदण्ड रू०-2,45,000/- ई चालान सं०-08530722E0037349 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा जमा किये गये हैं, किन्तु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.07.2022 द्वारा अवशेष राशि एक माह के भीतर जमा करने के निर्देश दिये जाने तथा इसके उपरान्त भी काफी समय व्यतीत होने के बाद भी विपक्षी द्वारा अभी तक अवशेष अर्थदण्ड की राशि रू०-7,33,713/- (रुपये सात लाख तैंतीस हजार सात सौ तेरह) निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा नहीं कराई गई है। इस कारण विपक्षी के विरुद्ध अवशेष धनराशि रू०-7,33,713/- की वसूली हेतु वसूली पत्र निर्गत किया गया है।

अतः अपेक्षित है कि उक्त स्टोन केशर द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.07.2022 के क्रम में अधिरोपित राशि रू०-7,33,713/- आतिथि तक जमा न किये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से उक्त स्टोन केशर को पुनः सीज करते हुए ई-रवन्ना पोर्टल बन्द करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन आख्या इस न्यायालय को उपलब्ध करावें।

Seem
Pradeep

23/03/23
(विनय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

वाद सं-103 /2023

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

सरकार

बनाम

मैसर्स किसान स्टोन केशर ग्राम महतौली तहसील लकसर
जिला हरिद्वार।

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-404 दिनांक 25.01.2023 द्वारा प्रस्तुत आख्या में अवगत कराया गया कि दिनांक 19.01.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की टीम द्वारा मैसर्स किसान स्टोन केशर टांडा महतौली का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर के पोर्टल के अनुसार केशर में उपखनिज का स्टॉक 7904.36घ0मी0 है जबकि पैमाईश के दौरान स्टोन केशर में उपखनिज की मात्रा 8995.5घ0मी0 भण्डारण पाया गया है, इस प्रकार कुल 1091.14घ0मी0 अधिक होने का अन्तर पाया गया है। पोर्टल से अधिक मात्रा में उपखनिज पाये जाने की अनियमितता के दृष्टिगत केशर को सील कर दिया गया है एवं उपखनिज परिहार (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021 के अन्तर्गत रू0-3,36,071/- का अर्धदण्ड आरोपित किये जाने हेतु कार्यवाही की आख्या दी गई है।

पार्टनर, मैसर्स किसान स्टोन केशर महतौली लकसर जिला हरिद्वार के प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2023 में उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा मौके पर अतिरिक्त पाई गई उपखनिज की मात्रा 1091.14 घ0मी0 पर देय अर्धदण्ड की धनराशि रू0-3,36,071/-ई-चालान सं0-08531222E0045103 दिनांक 28.01.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त धनराशि जमा कर दिये जाने के कारण उक्त उक्त स्टोन केशर को सीजमुक्त करने एवं ई रवन्ना आई0डी0 चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः मैसर्स किसान स्टोन केशर महतौली लकसर जिला हरिद्वार द्वारा उक्त अधिरोपित अर्धदण्ड की धनराशि रू0-3,36,071/-ई-चालान सं0-08531222E0045103 दिनांक 28.01.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्टोन केशर को सीजमुक्त करने एवं ई रवन्ना आई0डी0 चालू करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है तथा स्टोन केशर स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं संबंधित केशर स्वामी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक- 30.01.2023



अहलगत
न्यायालय कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार सत्य प्रतिलिपि

वाद संख्या: 35 /2022

सरकार

बनाम

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021
मैसर्स किसान स्टोन केशर,महतौली,लकसर
तहसील लकसर जिला हरिद्वार।

आदेश

सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार एवं तहसीलदार लकसर व राजस्व विभाग की टीम द्वारा मैसर्स किसान स्टोन केशर महतौली के संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 07.07.2022 के संबंध में प्रस्तुत आख्या के अन्तर्गत उक्त स्टोन केशर पर उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश में अवैध खनन पाये जाने के कारण केशर को सीज करते हुए ₹0-9,78,713/- का अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। इस संबंध में उक्त स्टोन केशर स्वामी द्वारा उक्त अधिरोपित राशि ₹0-9,78,713/- के सापेक्ष 25 प्रतिशत धन तत्काल जमा कराकर स्टोन केशर को सीजमुक्त करने की प्रार्थना की गई। इस संबंध में सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार द्वारा अपने पत्र संख्या-313/भूखनि0ई0-/हरि0/-2022 दिनांक 19.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त स्टोन केशर स्वामी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किये गये अनुरोध के कम में उक्त अधिरोपित राशि ₹0-9,78,713/- के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि ₹0-2,45,000/- कोषागार चालान सं0-08530722E0037349 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया गया है, जिसके दृष्टिगत उक्त केशर को सीजमुक्त किये जाने पर विचारार्थ आख्या दी गई है।

अतः सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार द्वारा अपने पत्र संख्या-313/भूखनि0ई0/हरि0/-2022 दिनांक 19.07.2022 के कम में मैसर्स किसान स्टोन केशर महतौली लकसर के द्वारा उक्त अधिरोपित राशि ₹0-9,78,713/- के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि ₹0-2,45,000/- कोषागार चालान सं0-08530722E0037349 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उक्त स्टोन केशर को सीजमुक्त किये जाने की अनुमति दी जाती है एवं स्टोन केशर स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह अवशेष राशि एक माह के भीतर निर्धारित राजकीय कोष में जमा कराना सुनिश्चित करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली क्र. 2022/19 दिनांक 19.08.2022 को पेश होवे।




सत्य प्रतिलिपि

P.P.W

अहलमद

न्यायालय कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार

जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।
19.07.2022



संख्या- 08 /अहलमद-2023 दिनांक 11 /01/2024

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 09 /2024

सरकार

बनाम

धारा-विविध/नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020
मैसर्स वानिया स्टोन केशर,
ग्राम महतौली
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

प्रो०/स्वामी,
मैसर्स वानिया स्टोन केशर
ग्राम महतौली,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

तहसील अधिकारी लकसर की आज्ञा दिनांक 26.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण कर पैमाईश की गई। पैमाईश में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त स्टोन केशर परिसर में मौके पर 2375.5 टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-रवन्ना पोर्टल पर 1044.56 टन उपखनिज दर्शित है। उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार अभिलेख एवं वास्तविक पैमाईश में 10 प्रतिशत अन्तर के बाद ई-रवन्ना पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 1226.484 टन उपखनिज अधिक पाया गया उक्त कृत्य के लिये आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार रू०-1,71,708/-अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है।

उक्त आख्या के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार =रू०-1,71,708/-अर्धदण्ड की धनराशि अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रत्युत्तर/अभिलेखीय साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत समयवाधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।



(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-

- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, भू०खनि०ई०, हरिद्वार को नियमानुसार अग्रोत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
- 3-प्रभारी अधिकारी,खनन/खनन सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार को अभिलेखार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।


वाद संख्या: 58/2022

3
हरिद्वार

न्यायालय/कार्यालय अपर जिला गजिरस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार ।

संख्या: 614/रीडर दिनांक 03.11.2023

उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण)नियमावली 2020 प्रबंधक/स्वामी, मै0 वानिया स्टोन केशर, महतौली, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार ।



बनाम

आदेश

उप निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्मा इकाई, हरिद्वार की आख्या संख्या-998/भू0ख0ई0/हरि0 दिनांक 03.09.2020 एवं उप जिलाधिकारी, लक्सर की आख्या संख्या-1489/एस0टी0 दिनांक 31.08.2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 28.08.2020 को राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गुज्जफरपुर गुजरा निकट महतौली में स्थित वानिया स्टोन केशर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर परिसर में उपलब्ध खनिज सामग्री पैमाईश के अनुसार 2150.21 टन पाई गई है एवं वानिया स्टोन केशर के ई-रवन्ना पोर्टल पर उपखनिज का अंतिम स्टॉक 380.06 टन है। इस प्रकार निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर परिसर में ई-रवन्ना पोर्टल पर दर्शित मात्रा के सापेक्ष 1770.15 टन उपखनिज सामग्री के दौरान स्टोन केशर परिसर में ई-रवन्ना पोर्टल पर दर्शित मात्रा के सापेक्ष नहीं करायी गयी है। क्षेत्रीय अधिक पायी गई है। स्टोन केशर के प्रतिनिधि द्वारा सी0टी0ओ0 उपलब्ध नहीं करायी गयी है। क्षेत्रीय नियंत्रण बोर्ड रूडकी द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया कि वानिया स्टोन केशर को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सी0टी0ओ0 निर्गत नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान तीन कैमरे चलते हुये मिले परन्तु स्टोन केशर के प्रतिनिधि श्री साधूराम निवासी ग्राम महतौली द्वारा सी0सी0टी0वी फुटेज(सी0डी0) उपलब्ध नहीं कराई गयी। पूर्व में दिनांक 28.07.2020 की गई जांच में वानिया स्टोन केशर परिसर में 782.50 घ0मी0 अर्थात् 1721.50 टन उपखनिज पाया गया था। सी0सी0टी0वी फुटेज(सी0डी0) उपलब्ध न कराने तथा पूर्व में निरीक्षण के समय उपखनिज की मात्रा एवं वर्तमान में उपखनिज की मात्रा में भिन्नता होने के कारण वानिया स्टोन केशर को सीज कर स्टोन केशर के प्रतिनिधि की सुपुदर्गी में दे दिया गया है। उप निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार द्वारा उक्तानुसार संबंधित पर रू0 2,00,000 तक अर्थदण्ड तथा 804.62 घ0मी0 उपखनिज पर विक्रय मूल्य 6,19,550 कुल रू0 8,19,550 की धनराशि अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में सुनवाई करते हुये आदेश संख्या-529/एम0एम0ए0 दिनांक 18.12.2020 द्वारा विपक्षी द्वारा सी0टी0ओ0 की प्रति न प्रस्तुत किये जाने के कारण विपक्षी द्वारा किये गये स्टोन केशर के संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने संबंधी अनुरोध को अस्वीकार करते हुये विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.10.2020 को निरस्त करते हुये प्रबंधक/स्वामी मै0 वानिया स्टोन केशर, महतौली, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार पर कुल रू0 8,19,550 की धनराशि अधिरोपित करते हुये एक माह के भीतर जमा कराये जाने हेतु आदेश निर्गत किया गया।

विपक्षी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 न्यायालय, आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल शिविर देहरादून में अपील योजित की गई। मा0 न्यायालय, आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल द्वारा आदेश दिनांक 21.01.2021 के अंतर्गत अपील संख्या-15/2020-21 मै0 वानिया स्टोन केशर बनाम सरकार में प्रश्नगत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर आपेक्षित आदेश दिनांक 18.12.2020 निरस्त करते हुए विधिसम्मत निस्तारण करते हुये गुणदोष पर आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। विपक्षी को सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी को नियमानुसार नोटिस तामिल है। विपक्षी द्वारा इस न्यायालय में अपनी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

मैंने पत्रावली का परिशीलन किया। उप निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्मा इकाई, हरिद्वार की आख्या संख्या-998/भू0ख0ई0/हरि0 दिनांक 03.09.2020 एवं उप जिलाधिकारी, लक्सर की आख्या संख्या-1489/एस0टी0 दिनांक 31.08.2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 28.08.2020 को राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गुज्जफरपुर गुजरा निकट महतौली में स्थित वानिया स्टोन केशर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर परिसर में उपलब्ध खनिज सामग्री

Or

--2--

पैमाईश के अनुसार 2150.21 टन पाई गई है एवं वानिया स्टोन केशर के ई-खन्ना पोर्टल पर उपखनिज का अंतिम स्टॉक 380.06 टन है। इस प्रकार निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर परिसर में ई-खन्ना पोर्टल पर निरगत मात्रा के सापेक्ष 1770.15 टन उपखनिज सामग्री अधिक पायी गई है। स्टोन केशर के प्रतिनिधि द्वारा सी0टी0ओ0 उपलब्ध नहीं करायी गयी है। क्षेत्रीय नियंत्रण बोर्ड रुड़की द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया कि वानिया स्टोन केशर को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सी0टी0ओ0 निर्गत नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान तीन कैमरे चलते हुये मिले परन्तु स्टोन केशर के प्रतिनिधि श्री साधूराम निवासी ग्राम महतौली द्वारा सी0सी0टी0वी फटेज(सी0डी0) उपलब्ध नहीं कराई गयी। पूर्व में दिनांक 28.07.2020 की गई जांच में वानिया स्टोन केशर परिसर में 782.50 घ0मी0 अर्थात् 1721.50 टन उपखनिज पाया गया था। सी0सी0टी0वी फटेज(सी0डी0) उपलब्ध न कराने तथा पूर्व में निरीक्षण के समय उपखनिज की मात्रा एवं वर्तमान में उपखनिज की मात्रा में भिन्नता होने के कारण वानिया स्टोन केशर को सीज कर स्टोन केशर के प्रतिनिधि की सुपुदगी में दे दिया गया है। विपक्षी द्वारा इस न्यायालय में अपनी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः उप निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार की आख्या के आधार पर उत्तराखंड अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण नियमावली 2020 में दिये गये प्राविधानों के तहत विपक्षी प्रबंधक/स्वामी, मै0 वानिया स्टोन केशर, महतौली, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार पर रू0 2,00,000.00 का अर्थदण्ड तथा 1771.15 टन अर्थात् 804.61 घ0मी0 उपखनिज उपखनिज की रायल्टी का पांच गुना धनराशि 804.61 X 154 X 5 -रू0 6,19,550 कुल रू0 8,19,550 (रू0 आठ लाख उन्नीस हजार पांच सौ पचास मात्र) की धनराशि आरोपित की जाती है। तथा विपक्षी उपरोक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त आरोपित धनराशि एक माह के भीतर निर्धारित "लेखा शीर्षक-0853 अलौह धातु एवं धातुकर्म उद्योग, 102-खनिज की रियायती फीस संबंधी किराया रायल्टी" में जमा कराकर ई-चालान की प्रति इस न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त आरोपित धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल की जाये। इस आदेश की एक प्रति विपक्षी एवं उप जिलाधिकारी, लक्सर तथा जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली-द0द0 होंवे।

दिनांक 03.11.2023


(दीपेन्द्र सिंह नेगी)

अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

प्रतिलिपि:—तहसीलदार, लक्सर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित को उक्त आदेश की एक प्रति संबंधित को तामिल कराकर तामिली आख्या तत्काल इस न्यायालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)

अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।



संख्या- ०५ /अहलमद-2023 दिनांक 11 /01/2024

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 05 /2024

सरकार

बनाम

धारा-विविध/नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020
मैसर्स हाईवे कन्सट्रक्शन एण्ड केशर,
ग्राम फतवा
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

प्रो०/स्वामी,
मैसर्स हाईवे कन्सट्रक्शन एण्ड केशर,
ग्राम फतवा,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

उपजिलाधिकारी लकसर की शाखा दिनांक 20.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण कर पैमाईश की गई। पैमाईश में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त स्टोन केशर परिसर में मौके पर 11403.45 टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-स्वन्ना पोर्टल पर 9552.82 टन उपखनिज दर्शित है। उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार अभिलेख एवं वास्तविक पैमाईश में 10 प्रतिशत अन्तर के बाद ई-स्वन्ना पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 895.348 टन उपखनिज अधिक पाया गया उक्त कृत्य के लिये आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार रू०-1,25,349/-अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है।

उक्त आख्या के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार =रू०-1,25,349/-अर्थदण्ड की धनराशि अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रत्युत्तर/अभिलेखीय साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत समयवादी में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।



(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-

- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, भू०खनि०ई०, हरिद्वार को नियमानुसार अग्रोत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
- 3-प्रभारी अधिकारी,खनन/खनन सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार को अभिलेखार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

द संख्या:

न्यायालय/कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार ।

94 / 2022

सरकार

1120 बनाम
06/11/23

संख्या: 63 /रीडर दिनांक 03.11.2023

उत्तराखंड खनिज(अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021 प्रबंधक/स्वामी, मै0 हाईवे स्टोन केशर, ग्राम रामपुर रायघाटी अ0,तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार ।


आदेश

उप जिलाधिकारी, लक्सर की आख्या संख्या 2977/पी0ए0/उ0जि0अ0/ खनन-2022 दिनांक 02 जुलाई, 2022 के अनुसार राजस्व विभाग एवं खनन विभाग द्वारा संयुक्त जांच आख्या उपलब्ध करायी गई। तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत स्थलीय निरीक्षण के दौरान स्वीकृत हाईवे स्टोन केशर के पूरब दिशा में बाउण्ड्री से बाहर रामपुर रायघाटी अहतमाल स्थित भूमि खसरा संख्या 3म से हाईवे स्टोन केशर द्वारा 25730 घ0मी0 उपखनिज (बालू मिश्रित बोल्टर) का अवैध रूप से खनन किये जाने पर अवैध खनन नियमावली 2021 के प्राविधानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त जांच आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गई। प्रकरण में विपक्षी को नियमानुसार नोटिस प्रेषित किया गया। विपक्षी द्वारा आपत्ति के अतिरिक्त कोई साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। उप जिलाधिकारी, लक्सर की आख्या दिनांक 02 जुलाई, 2022 के अनुसार तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत स्थलीय निरीक्षण के दौरान स्वीकृत हाईवे स्टोन केशर के पूरब दिशा में बाउण्ड्री से बाहर रामपुर रायघाटी अहतमाल स्थित भूमि खसरा संख्या 3म से हाईवे स्टोन केशर द्वारा 25730 घ0मी0 उपखनिज (बालू मिश्रित बोल्टर) का अवैध रूप से खनन किया गया है। विपक्षी द्वारा आपत्ति के अतिरिक्त कोई साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उप जिलाधिकारी, लक्सर की आख्या के आधार पर उत्तराखंड अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण नियमावली 2021 में दिये गये प्राविधानों के तहत विपक्षी प्रबंधक/स्वामी मै0 हाईवे स्टोन केशर, रामपुर रायघाटी, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार पर 25730 घनमी0 आर0बी0एम0 की रायल्टी का दो गुना धनराशि 25730X 154 X 2—कुल रू0 1,58,49,680.00 (एक करोड़ अठान्न लाख उड़नचास हजार छह सौ अस्सी मात्र) की धनराशि आरोपित की जाती है। तथा विपक्षी उपरोक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त आरोपित धनराशि एक माह के भीतर निर्धारित "लेखा शीर्षक-0853 अलौह धातु एवं धातुकर्म उद्योग, 102-खनिज की रियायती फीस संबंधी किराया रायल्टी" में जमा कराकर ई-चालान की प्रति इस न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त आरोपित धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल की जाये। इस आदेश की एक प्रति विपक्षी एवं उप जिलाधिकारी, लक्सर तथा जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली द0द0 होंगे।


दिनांक 03.11.2023




(दीपेन्द्र सिंह नेगी)

अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

प्रतिलिपि:-तहसीलदार, लक्सर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित को उक्त आदेश की एक प्रति संबंधित को तत्काल तामिल कराकर तामिली आख्या तत्काल इस न्यायालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



(दीपेन्द्र सिंह नेगी)

अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

संख्या- 821 / खनन साधा0-2021 दिनांक 05/04/2022
कार्यालय/न्यायालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

बाद संख्या 433 /2022

सरकार

खनन

धारा-विविध, नियम 14-5(ग)(ख) (अ)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021
हार्डवे स्टोन केशर स्वामी शिवि गर्ग पत्नी प्रसूत गर्ग
नि0-सिविल लाईन रुड़की जिला हरिद्वार।
मौजा-सगपुर रायघाटी अहा तहसील लकसर जिला
हरिद्वार।

कारण वताया नोटिस

हार्डवे स्टोन केशर,
स्वामी शिवि गर्ग पत्नी प्रसूत गर्ग,
नि0-सिविल लाईन रुड़की जिला हरिद्वार।
स्थित मौजा-सगपुर रायघाटी अहा तहसील लकसर,
जिला - हरिद्वार।

उप जिलाधिकारी लकसर का पत्र संख्या-2673 पी0ए0 ज0नि0ल0 दिनांक 17/01/2022 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई है कि नाथद तहसीलदार लकसर की आख्या दिनांक 22/12/2021 के अनुसार तहसील लकसर क्षेत्रान्तर्गत हार्डवे कान्ट्रोलिंग कंपनी/रजोन क्षेत्र में अवैध निरीक्षण के दौरान पता कि आपके द्वारा प्राप्त सगपुर रायघाटी अहाताल स्थित भूमि में केशर कायमपट्टी की पीछे दूसरी कायमपट्टी में खनन सं0-3/10 संख्या 0641हे0 में गडढा खोदकर 810 घ0मी0 आर0वी0एम0 का अवैध रूप से खनन किया गया है। इस कारण निरीक्षण प्रत्यक्ष सतलन करते हुए आपके विरुद्ध खनिज नियमावली के अन्तर्गत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

उक्त कृत्य के लिए उक्त न आया वैरुद्ध उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास(खनन) अनुयाय 1 अधिसूचना संख्या-1874/VIII/2021 संख्या 24/10/2021 दिनांक 10 नवम्बर 2021 के द्वारा पस्थापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के नियम-14 (5)क में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अवैध खनन की गई आर0वी0एम0 की भागा 810 घ0मी0 की रायवली बनवाई 810x154x2= ₹2,49,480/- (रुपये दो लाख चौसठे हजार चार सौ असी मात्र) प्रायके विरुद्ध अधिलेखित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित विषय ज्ञात है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष/उत्तर अगिलेखीय साक्ष्य सहित नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें। यदि निगत अवधि में आपका उत्तर साक्ष्य सहित प्राप्त नहीं होता है अथवा उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही कर दी जायेगी।

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी
हरिद्वार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-उप जिलाधिकारी लकसर।
- 2-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 3-सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्मा इकाई हरिद्वार को सूचनार्थ एवं ई-खनना पोर्टल को बन्द किये जान की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

संख्या:- 153 अहलमद-2023 दिनांक 24 जुलाई, 2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

संख्या: 228 /2023

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)

उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं

भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021

मैसर्स हाईवे स्टोन केशर

ग्राम फतवा तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।

सरकार

बनाम

कारण बताओ नोटिस

स्वामी/प्रो

मैसर्स हाईवे स्टोन केशर

ग्राम फतवा तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।

उप जिलाधिकारी लक्सर के पत्र संख्या-775/पी0ए0/उ0जि0ल0 -23 दिनांक 21 जुलाई 2023 के द्वारा यह आख्या दी गई है कि राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 09.06.2023 को तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत स्थित मै हाईवे स्टोन केशर का उसके मुंशी की उपस्थित में संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर में 12070.65 टन उप खनिज पाया गया जबकि ई-रवाना पोर्टल पर 9329.52 टन उपखनिज दर्शित पाया गया जिसका 10 प्रतिशत 932.952 टन कुल 10262.472 टन होता है। इस प्रकार मै हाईवे स्टोन केशर में मौके पर 1808.178 टन उपखनिज अधिक पाया गया, जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार 2,53,145/-रु० का अर्थदण्ड अधिरोपित किया किये जाने की संस्तुति की गई है।

क्यों न उक्त कृत्य के लिए उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग-1 अधिसूचना संख्या-1874/VII-I/2021/158ख-04 टीसी दिनांक 10 नवम्बर,2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम-14 (5)क में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए उपरोक्त टन उपखनिज पर देय रु० 2,53,145/-अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जाय?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष/उत्तर अभिलेखीय साक्ष्य नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत अवधि में आपका उत्तर साक्ष्यों सहित प्राप्त नहीं होता है अथवा उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो वाद उपरोक्त का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)

जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर

हरिद्वार।

प्रतिलिपि:-

1-तहसीलदार लक्सर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस सम्बन्धित अनुज्ञाधारक को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2-उप जिलाधिकारी लक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

3-सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि नियमानुसार ई-रवाना पोर्टल बन्द करने के संयोज में अग्रोत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

4-प्रभारी अधिकारी(खनन)/खनन सहायक कलक्टर,हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Suspended &



114
जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।


संख्या- 1130 / अहलमद-2023 दिनांक 13.3.2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 142 / 2023

धारा-विविध / नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020

सरकार



बनाम

कारण वताओ नोटिस

गैसर्स हाईवे स्टोन केशर
सन्नी कपूर पुत्र सुमन कपूर नि०-कपूर विला
कृष्णा नगर, कनखल,
तहसील व जिला हरिद्वार।
(गैसर्स हाईवे स्टोन केशर)

श्री सन्नी कपूर पुत्र सुमन कपूर,
नि०-कपूर विला, कृष्णा नगर, कनखल
तहसील व जिला हरिद्वार (गैसर्स हाईवे स्टोन केशर)

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-457 दिनांक 24.02.2023 के माध्यम से प्राप्त राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त निरीक्षण आख्या में अवगत कराया गया है कि प्रार्थी श्री अमित पांथी पुत्र श्री राजकुमार पांथी नि०-718 यादव पुरी रामनगर रुड़की जिला हरिद्वार के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 18.01.2023 में अवगत कराया गया कि आपके द्वारा प्रार्थी की ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल में स्थित भूमि खसरा सं०-3/17 में बिना अनुमति के आर०बी०एन० का अवैध खनन किया गया है। उक्त भूमि के कुछ भाग पर मशीन द्वारा अवैध खनन कर गहरे गड्ढे कर दिये हैं, जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसकी गहराई की पानी में डण्डे से पैमाईश की गई। उक्त की पैमाईश के अनुसार अपेक्षित रूप से 9540घ०मी० आर०बी०एन० का अवैध खनन किया गया है, इस कारण आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार कार्यवाही हेतु आख्या दी गई है।

उक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार 9540घ०मी०×154×2=रु०-29,38,320/- अर्धदण्ड की धनराशि अधिराजित कर दी जाये?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रत्युत्तर/ अभिलेखीय साक्ष्य सहित रययं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत समयवाधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

प्रतिनिधि-

- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, भू०खनि०ई०, हरिद्वार को उक्त स्टोन केशर का ई रवन्ना पोर्टल बन्द करने की कार्यवाही हेतु।
- 3-प्रभारी अधिकारी, खनन/खनन सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार को अभिलेखार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

संख्या- 1130 / अहलमद-2023 दिनांक 13.3.2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 142 / 2023

धारा-विविध / नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020

कारण बताओ नोटिस

सरकार



बनाम

गैसर्स हाईवे स्टोन केशर
सन्नी कपूर पुत्र सुमन कपूर नि०-कपूर विला
कृष्णा नगर, कनखल
तहसील व जिला हरिद्वार।
(गैसर्स हाईवे स्टोन केशर)

श्री सन्नी कपूर पुत्र सुमन कपूर,
नि०-कपूर विला, कृष्णा नगर, कनखल
तहसील व जिला हरिद्वार (गैसर्स हाईवे स्टोन केशर)

उप जिलाधिकारी लकसर को पत्रांक-457 दिनांक 24.02.2023 के माध्यम से प्राप्त राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त निरीक्षण आख्या में अवगत कराया गया है कि प्रार्थी श्री अमित पांडी पुत्र श्री राजकुमार पांडी नि०-718 यादव पुरी रामनगर रुड़की जिला हरिद्वार के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 18.01.2023 में अवगत कराया गया कि आपके द्वारा प्रार्थी की ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल में स्थित भूमि खसरा सं०-3/17 में बिना अनुमति के आर०बी०एम० का अवैध खनन किया गया है। उक्त भूमि के कुछ भाग पर मशीन द्वारा अवैध खनन कर गहरे गड्ढे कर दिये हैं, जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसकी गहराई की पानी में डण्डे से पैमाईश की गई। उक्त की पैमाईश के अनुसार अवैध रूप से 9540घ०मी० आर०बी०एम० का अवैध खनन किया गया है, इस कारण आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार कार्यवाही हेतु आख्या दी गई है।

उक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार $9540\text{घ०मी०} \times 154 \times 2 = \text{रु०}-29,38,320/-$ अर्थदण्ड की धनराशि अधिसूचित कर दी जाये?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रत्युत्तर/अभिलेखीय साक्ष्य सहित रव्यं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत समयवाधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।

13/3/23

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

प्रतिवादी-

- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, भू०खनि०ई०, हरिद्वार को उक्त स्टोन केशर का ई रवन्ना पोर्टल बन्द करने की कार्यवाही हेतु।
- 3-प्रभारी अधिकारी, खनन/खनन सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार को अभिलेखार्थ।

13/3/23

जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

3/3/23
[Signature]

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

237
वाद सं० / 2023

सरकार

बनाम

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021
रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक बिट्टु पुत्र महावीर सिंह
नि०-कबूलपुरी रायघटी तहसील-लकसर जिला-हरिद्वार।

आदेश

सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार के पत्रांक-333/ दिनांक 25.07.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 08.06.2023 को विभागीय दल द्वारा ग्राम रामपुर रायघटी स्थित अनुज्ञाधारक बिट्टु पुत्र महावीर सिंह नि०-कबूलपुरी रायघटी के पक्ष में स्वीकृत रिटेल भण्डारण का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में भण्डारण परिसर पर उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 852.5 टन उपखनिज अधिक पाया गया है जिस कारण नियमावली के प्राविधानानुसार रू०-1,19,350/- अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। उक्त के कम में रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक बिट्टु पुत्र महावीर सिंह नि०-कबूलपुरी रायघटी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.08.2023 जारी किया गया। विपक्षी अनुज्ञाधारक बिट्टु पुत्र महावीर सिंह नि०-कबूलपुरी रायघटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.08.2023 के साथ उपरोक्त वर्णित अर्धदण्ड की धनराशि रू०-1,19,350/- ई-चालान सं०-08530823E0036336 दिनांक 14.08.2023 प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उक्त आरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त आरोपित सम्पूर्ण धनराशि रू०-1,19,350/- जमा कर दिये जाने के कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः अनुज्ञाधारक बिट्टु पुत्र महावीर सिंह नि०-कबूलपुरी रायघटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 21.08.2023 के अनुसार उक्त अधिरोपित अर्धदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि रू०-1,19,350/- ई-चालान सं०-08530823E0036336 दिनांक 14.08.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने व ई-रवन्ना पोर्टल चालू करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है तथा स्टोन केशर स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं संबंधित अनुज्ञाधारक को उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:- 25 अगस्त, 2023


(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।




अ.ल.म.द.
न्यायालय कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

द सं०- १५१ /2023

सरकार

बनाम

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021
मै० देवभूमि इण्टरप्राइजेस ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-898/पी०ए०-उ०जि०ल० दिनांक 09.10.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 22.09.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स देवभूमि इण्टरप्राइजेस ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर स्थित रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के अनुसार भण्डारण स्थल पर ई पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 56.853 टन उपखनिज कम पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रू०-7,959/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। श्री संजय कुमार मैसर्स देवभूमि इण्टरप्राइजेस ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-7,959/- ई-चालान सं०-08531023E022426 दिनांक 10.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये है, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः मैसर्स देवभूमि इण्टरप्राइजेस ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-7,959/- ई-चालान सं०-08531023E022426 दिनांक 10.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक- 13 अक्टूबर, 2023

५५
(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

कुं० २२५
13/10/2023



महलया

वाद संख्या: 49/2024

सरकार

बनाम

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

घारा-विधि/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अधेय खनन,परिवहन एवं
मण्डारण का निवारण)नियमावली 2021
मैसर्स उत्तराखण्ड एसोसिएट्स प्रो० इरफान अहमद
ग्राम अहमदपुर चिडिया
तहसील व जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। उप जिलाधिकारी हरिद्वार से प्राप्त जाँच आख्या पत्रांक संख्या 945/वरि०वै०सहा०-अधेय खनन 2023-2024 दिनांक 20.01.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 13.01.2024 को राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा ग्राम अहमदपुर चिडिया परगना नजीबाबाद तहसील व जिला हरिद्वार में स्थित मैसर्स उत्तराखण्ड एसोसिएट्स रिटेल मण्डारण द्वारा प्रो० इरफान अहमद रिटेल मण्डारण का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल मण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 764.796टन उपखनिज अधिक पाया गया जिस कारण नियमावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के क्रम में मैसर्स उत्तराखण्ड एसोसिएट्स द्वारा प्रो० इरफान अहमद रिटेल मण्डारण के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अतिरिक्त पाये गये उपखनिज 764.796टन पर अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि 1,07,071/-ई चालान संख्या 08530124E0042001 दिनांक 25.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है। इस कारण उक्त रिटेल मण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स उत्तराखण्ड एसोसिएट्स रिटेल मण्डारण द्वारा प्रो० इरफान अहमद रिटेल मण्डारण स्थित ग्राम अहमदपुर चिडिया परगना नजीबाबाद तहसील व जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 1,07,071/-ई चालान संख्या 08530124E0042001 दिनांक 25.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है। इस कारण उक्त रिटेल मण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा मण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हों। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही-अभिलेखागार में सूचित की जाय।

दिनांक 7/2/2024

मौजिद (M) H
इस आदेश के अंतर्गत
हस्ताक्षर



(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

वाद संख्या: 63 / 2024

सरकार

बनाम

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी हरिद्वार

धारा-विविध / नियम 14-5(क)(ख)(ग)


उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन, परिवहन एवं

भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021

मैसर्स वैष्णो इण्टरप्राइजेस प्रो० श्री अनिल कुमार,

ग्राम कलसिया,

तहसील लकसर व जिला हरिद्वार

आदेश

आज प्रस्तुत। सहायक भूवैज्ञानिक/प्र०खानअधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार से प्राप्त संयुक्त जॉच आख्या पत्रांक संख्या 1026/भू०ख०नि०वि०-हरिद्वार/अवैध खनन 2023-24 दिनांक 27.01.2024 को खनन विभाग द्वारा ग्राम कलसिया तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में स्थित मैसर्स मां दुर्गा इण्टरप्राइजेस प्रो० श्रीमति कविता पत्नी श्री नंदकिशोर रिटेल भण्डारण का दिनांक 11.01.2024 को औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान मौके पर 234टन उपखनिज पाया गया जबकि पोर्टल पर 230.80टन उपखनिज दर्शित पाया गया, जो 10 प्रतिशत की सीमा के अन्दर है। क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की शिकायत के दृष्टिगत मौके पर रिटेल भण्डारण को सीज किया गया है। उक्त के कम में मैसर्स वैष्णो इण्टरप्राइजेस प्रो० श्री अनिल कुमार निवासी ग्राम कलसिया तहसील लकसर व जिला हरिद्वार रिटेल भण्डारण के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गयी है। इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स वैष्णो इण्टरप्राइजेस प्रो० श्री अनिल कुमार निवासी ग्राम कलसिया तहसील लकसर व जिला हरिद्वार स्थित ग्राम कलसिया तहसील लकसर व जिला हरिद्वार के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कम में उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक 13 / फरवरी / 2024



(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी
हरिद्वार।

श्री अनिल कुमार
मैसर्स वैष्णो इण्टरप्राइजेस प्रो०
श्रीमति कविता पत्नी श्री नंदकिशोर
ग्राम कलसिया तहसील लकसर व जिला हरिद्वार

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

क्र. सं- 261 /2023

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

सरकार

बनाम

प्रो श्री अनिल कुमार मै० वैष्णो इण्टरप्राइजेस रिटेल
भण्डारण ग्राम-कलसिया तहसील लकसर व जिला
हरिद्वार।

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-981/ पी०ए०-उ०जि०ल० दिनांक 21.11.2023 के अनुसार दिनांक 06.11.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम कलसिया स्थित मैसर्स वैष्णो इण्टरप्राइजेस रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के अनुसार भण्डारण स्थल पर ई पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 775.9 टन उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रू०-1,08,626/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। प्रो श्री अनिल कुमार पुत्र भोपाल सिंह नि०-ग्राम कलसिया लकसर हरिद्वार के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2023 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-1,08,626/- ई-चालान सं०-08531123E0040248 दिनांक 22.11.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः श्री अनिल कुमार पुत्र भोपाल सिंह नि०-ग्राम कलसिया लकसर हरिद्वार के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2023 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-1,08,626/-ई-चालान सं०-08531123E0040248 दिनांक 22.11.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भण्डारण सीज मुक्त करने एवं ई रवन्ना पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक: 22 नवम्बर, 2023



(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

वाद संख्या: 53/2024

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)

उत्तराखण्ड खनिज(अपैध खनन,परिवहन एवं

भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021

सरकार

बनाम

मैसर्स चौहान टेंडिंग कम्पनी प्रो० रोहित पुत्र श्री अभयराम
ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर,
तहसील लकसर जिला हरिद्वार।आदेश

आज प्रस्तुत। सहायक भूवैज्ञानिक/प्र०खानाअधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार से प्राप्त संयुक्त जाँच आख्या पत्रांक संख्या 1025/भू०ख०नि०वि०-हरिद्वार/अपैध खनन 2023 दिनांक 27.01.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 11.01.2024 को खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में स्थित रिटेल भण्डारण मैसर्स चौहान टेंडिंग कम्पनी प्रो० रोहित पुत्र श्री अभयराम का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 124.96टन उपखनिज अधिक पाया गया जिस कारण नियमावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के क्रम में मैसर्स चौहान टेंडिंग कम्पनी प्रो० रोहित पुत्र श्री अभयराम के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अधिक पाये गये उपखनिज 124.96टन पर अधिरोपित अर्धदण्ड की धनराशि 17,494/-ई चालान संख्या 08530124E0046351 दिनांक 27.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स चौहान टेंडिंग कम्पनी प्रो० रोहित पुत्र श्री अभयराम रिटेल भण्डारण स्थित ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 17,494/-ई चालान संख्या 08530124E0046351दिनांक 27.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।
दिनांक ०१/जनवरी/2024

१५
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।



ई-स्वामी
जमादार के द्वारा
विजय
उप-रिटेल
मस
अपैध खनन
डोरिया
जीतपुर
उपलब्ध करी

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

वाद सं- 256 /2023

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

सरकार

बनाम

मै० चौहान ट्रेडिंग कम्पनी रिटेल भण्डारण,
ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

935

16/10/2023

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-904/पी०ए०-उ०जि०ल० दिनांक 10.10.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 22.09.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स मैसर्स चौहान ट्रेडिंग कम्पनी, रिटेल भण्डारण ग्राम-भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर तहसील लकसर स्थित रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के अनुसार भण्डारण स्थल पर ई पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 605.285टन रेत उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रू०-84,740/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। प्रार्थी रोहित कुमार, मैसर्स चौहान ट्रेडिंग कम्पनी, रिटेल भण्डारण ग्राम-भिक्कमपुर जीतपुर, तहसील लकसर ने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.10.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-84,740/- ई-चालान सं०-08531023E0033477 दिनांक 16.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये है, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः श्री रोहित कुमार मैसर्स चौहान ट्रेडिंग कम्पनी, रिटेल भण्डारण ग्राम-भिक्कमपुर जीतपुर, तहसील लकसर जिला हरिद्वार के द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-84,740/- ई-चालान सं०-08531023E0033477 दिनांक 16.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक-16 अक्टूबर,2023


(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।



93 2/2023


16/10/2023

वाद संख्या: १३१ / 2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

सरकार

बनाम

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021
मैसर्स चौहान टेंडिंग कम्पनी ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर
तहसील लकसर जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। उप जिलाधिकारी लकसर से प्राप्त जॉच आख्या पत्रांक संख्या 985/वै0सहा0-अवैध खनन 2023 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया है, कि दिनांक 06.11.2023 को राजस्व एवं खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में स्थित रिटेल भण्डारण मैसर्स चौहान टेंडिंग कम्पनी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 317.26टन उपखनिज अधिक पाया गया जिस कारण नियामावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के कम में मैसर्स चौहान टेंडिंग कम्पनी के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अतिरिक्त पाये गये उपखनिज 317.26टन पर अधिरोपित अर्धदण्ड की धनराशि 44,417/-ई चालान संख्या 08531223E0043449 दिनांक 22.12.2023 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स चौहान टेंडिंग कम्पनी स्थित ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 44,417/-ई चालान संख्या 08531223E0043449 दिनांक 22.12.2023 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक १८/दिसम्बर/2023



१६
(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

वाद सं०- 159 /2023

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

सरकार

बनाम

मै० चौहान ट्रेडिंग कम्पनी, ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-569/पी०ए०/2023 दिनांक 25.04.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 20.04.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चौहान ट्रेडिंग कम्पनी रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार निरीक्षण के दौरान भण्डारण स्थल पर कुल 495 टन रेत(उपखनिज) पाया गया जबकि ई रवन्ना पोर्टल पर 254.95 टन उपखनिज दर्शित है। जिसका 10 प्रतिशत 25,495 टन कुल 280.445 टन होता है। इस प्रकार मौके पर 214.555 टन उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस पर उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रू०-30,038/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है तथा मौके पर भण्डारण स्थल को सीज किया गया है तथा रिटेल भण्डारणकर्ता द्वारा खनन पट्टा/रिवर ड्रेजिंग की अनुज्ञाधारक के मध्य वैध अनुबंध प्राप्त होने के उपरान्त ही भण्डारण को सीजमुक्त किया जाना उचित होगा।

श्री रोहित मैसर्स चौहान ट्रेडिंग कम्पनी भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.04.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-30038/-ई-चालान सं०-08530423E0048370 दिनांक 26.04.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये है, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा भण्डारण सीजमुक्त करने एवं ई रवन्ना आई०डी० चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः श्री रोहित मैसर्स चौहान ट्रेडिंग कम्पनी भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.04.2023 द्वारा उक्त आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-30038/-ई-चालान सं०-08530423E0048370 दिनांक 26.04.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उप जिलाधिकारी लकसर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के क्रम में वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण कराकर रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रमारी अधिकारी,खनन एवं संबंधित को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:-01.04.2023

कुं राय
डिप्टी मजिस्ट्रेट
हरिद्वार
01/04/2023



(विनय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

R.P.M.
अहलमद
न्यायालय कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार


संख्या - 322/रीए/2023

न्यायालय / कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार ।

संख्या: 228 / 2022-23

धारा-विविध / नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण)नियमावली 2021
प्रबंधक / स्वामी चौहान ट्रेडिंग
कम्पनी(रोहित चौहान)भिककमपुर
जीतपुर तहसील लक्सर, जिला
हरिद्वार।

सरकार




बनाम

आदेश।

उप जिलाधिकारी, लक्सर ने अपनी आख्या संख्या-494/पी0ए0/उ0जि0ल0/2023 दिनांक 14.03.2023 द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 03.03.2023 को तहसीलदार लक्सर एवं सहायक भू वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार द्वारा ग्राम भिककमपुर जीतपुर स्थित रिटेल भण्डारण चौहान ट्रेडिंग कम्पनी(रोहित चौहान) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 238.84 घ0मी0 उपखनिज अधिक पाया गया। जिसपर खनन नियमावली, 2021 के प्राविधानों के तहत रू0 73,563.00(तिहत्तर हजार पांच सौ तिरेसठ) की धनराशि आरोपित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति तहत प्रेषित की गई है।

विपक्षी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2023 प्रस्तुत कर अधिरोपित जुर्माना जमा कराकर पोर्टल खोलने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली का परिशीलन किया गया। उप जिलाधिकारी, लक्सर ने विपक्षी उपरोक्त पर निरीक्षण के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 238.84 घ0मी0 उपखनिज अधिक पाये जाने के दृष्टिगत रू0 73,563.00(तिहत्तर हजार पांच सौ तिरेसठ) की धनराशि आरोपित की गई है। जिसे विपक्षी द्वारा ई-चालान दिनांक 14.03.2023 द्वारा एस0बी0बाई0 में जमा कर दिया गया है। इस आदेश की एक प्रति उप जिलाधिकारी, लक्सर एवं जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली द0द0 होंगे।
दिनांक 14.03.2023


(बीर सिंह बुदियाल)
अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।




वाद संख्या: 62/2024

सरकार

बनाम

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी हरिद्वार

धारा-विविध / नियम 14-5(क)(ख)(ग)


उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं

भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021

मैसर्स मां दुर्गा इण्टरप्राइजेस प्रो० श्रीमति कविता

ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर,

तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। सहायक भूवैज्ञानिक/प्र०खानाधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार से प्राप्त संयुक्त जाँच आख्या पत्रांक संख्या 1025/भू०ख०नि०वि०-हरिद्वार/अवैध खनन 2023-24 दिनांक 27.01.2024 को खनन विभाग द्वारा ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में स्थित मैसर्स मां दुर्गा इण्टरप्राइजेस प्रो० श्रीमति कविता पत्नी श्री नंदकिशोर रिटेल भण्डारण का दिनांक 11.01.2024 को औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान मौके पर 5.4टन उपखनिज पाया गया जबकि पोर्टल पर 5.80टन उपखनिज दर्शित पाया गया, जो 10 प्रतिशत की सीमा के अन्दर है, क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की शिकायत के दृष्टिगत मौके पर रिटेल भण्डारण को सीज किया गया है। उक्त के कम में मैसर्स मां दुर्गा इण्टरप्राइजेस प्रो० श्रीमति कविता पत्नी श्री नंदकिशोर निवासी ग्राम कबूलपुर रायघटी तहसील लकसर व जिला हरिद्वार रिटेल भण्डारण के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गयी है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स मां दुर्गा इण्टरप्राइजेस प्रो० श्रीमति कविता पत्नी श्री नंदकिशोर निवासी ग्राम कबूलपुर रायघटी तहसील लकसर व जिला हरिद्वार स्थित ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कम में उक्त रिटेल भण्डारण को को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रमारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक 13/फरवरी/2024

इ-रवना
विजय
सीजमुक्त



(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

चाद सं०- 263 / 2023

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

सरकार

बनाम

प्र० श्रीमती कविता मै० मैसर्स मॉ दुर्गा इण्टरप्राइजेस रिटेल
भण्डारण ग्राम-भिककमपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-982/ पी०ए०-उ०जि०ल० दिनांक 21.11.2023 के अनुसार दिनांक 06.11.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम भिककमपुर स्थित मैसर्स मॉ दुर्गा इण्टरप्राइजेस रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के अनुसार भण्डारण स्थल पर ई पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 13.271 टन उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रू०-1872/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। प्र० श्रीमती कविता पत्नी नन्दकिशोर मैसर्स मॉ दुर्गा इण्टरप्राइजेस रिटेल भण्डारण ग्राम-भिककमपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-1872/- ई-चालान सं०-08531123E0040269 दिनांक 22.11.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये है, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः प्र० श्रीमती कविता पत्नी नन्दकिशोर मैसर्स मॉ दुर्गा इण्टरप्राइजेस रिटेल भण्डारण ग्राम-भिककमपुर तहसील लकसर के द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-1872/- ई-चालान सं०-08531123E0040269 दिनांक 22.11.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भण्डारण सीज मुक्त करने एवं ई रवन्ना पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:- 22 नवम्बर, 2023




(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

263/2152/20.23

बाद संख्या: 245/2022-23

सरकार



बनाम

आदेश

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्डखनिज(अवैध खनन,परिवहन
एवं भण्डारण का निवारण)नि0- 2021
मै0 मॉ दुर्गा इंटरप्राइजेस, भण्डारण तहसील
लक्सर, जिला हरिद्वार।

सहायक भू वैज्ञानिक/प्र0खान अधिकारी, हरिद्वार ने अपनी आख्या संख्या-07/भू0खनि0ई0/हरि0 दिनांक 28.04.2023 द्वारा प्रेषित आख्या में अवगत कराया कि खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार के नेतृत्व में खनन विभाग/राजस्व विभाग की टीम द्वारा ग्राम भिककमपुर जीतपुर स्थित मै0 मॉ दुर्गा इंटरप्राइजेस भण्डारण का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 234.99टन उभयनिज अधिक पाया गया। सहायक भू वैज्ञानिक/प्र0खान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अवैध खनन नियमावली, 2021 के अंतर्गत रू0 32,898.00 (रू0 बत्तीस हजार आठ सौ अटठानवे मात्र) का अर्थदण्ड आरोपित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है।

विपक्षी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उन्होंने जिला खान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा आरोपित जुर्माना जमा करा दिया है तथा भण्डारण स्थल को सीजमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

अतः चूंकि विपक्षी प्रबंधक/स्वामी मै0 मॉ दुर्गा इंटरप्राइजेस भण्डारण, ग्राम भिककमपुर जीतपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार द्वारा सहायक भू वैज्ञानिक, हरिद्वार द्वारा अधिरोपित धनराशि रू0 32,898.00 (रू0 बत्तीस हजार आठ सौ अटठानवे मात्र) निर्धारित लेखाशीर्षक में ई चालान दिनांक 28.04.2023 द्वारा जमा करा दिया गया है। अतः उप जिलाधिकारी, लक्सर, जिला खान अधिकारी, हरिद्वार सीज खोलने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति उप जिलाधिकारी, लक्सर एवं जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली द0द0 होंगे।

दिनांक 28.04.2023


(वीर सिंह बुदियाल)

अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

कुठ राई

31300 के उपर से ही
Postal को

Pradeep
28/04/2023



भण्डारण

वाद संख्या: 90/2024

सरकार

बनाम

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी हरिद्वार

धारा-विविध / नियम 14-5(क)(ख)(ग)

उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं

भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021

मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी

ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर

तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। सहायक भूवैज्ञानिक/प्रोखानअधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार से प्राप्त संयुक्त जॉच आख्या पत्रांक संख्या 1096/भू0ख0नि0वि0-हरिद्वार/अवैध खनन 2023-24 दिनांक 13.02.2024 को राजस्व एवं खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में स्थित रिटेल भण्डारण मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 75.868टन उपखनिज कम पाया गया जिस कारण नियामावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के क्रम में मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 13.02.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कम पाये गये उपखनिज 75.868टन पर अधिरोपित अर्धदण्ड धनराशि 10,622/-ई चालान संख्या 08530224E0024192 दिनांक 13.02.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है। इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी रिटेल भण्डारण स्थित ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 10,622/-ई चालान संख्या 08530224E0024192 दिनांक 13.02.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है। इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्द पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रमारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक 13/फरवरी/2024

श्री. रवन्दा पोर्टल
श्री. शशी
उम्मेद 08/02/2024 को सीजमुक्त
कसे डूय 30/02/2024



(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

वाद सं- 264 /2023

सरकार

बनाम

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021
मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी रिटेल भण्डारण
ग्राम-भिकमपुर जीतपुर तहसील लकसर व

जिला -हरिद्वार।

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-984/ पी0ए0-उ0जि0ल0 दिनांक 21.11.2023 के अनुसार दिनांक 06.11.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम भिकमपुर जीतपुर में मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के अनुसार भण्डारण स्थल पर ई पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 494.932 टन उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रू0-69,289/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। श्री अनिल कुमार पाल मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी रिटेल भण्डारण भिकमपुर जीतपुर लकसर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2023 में अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू0-69289/- ई-चालान सं0-08531123E0049377 दिनांक 29.11.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये है, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः श्री अनिल कुमार पाल मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी रिटेल भण्डारण भिकमपुर जीतपुर लकसर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2023 के अनुसार उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू0-69289/- ई-चालान सं0-08531123E0049377 दिनांक 29.11.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भण्डारण सीज मुक्त करने एवं ई रवन्ना पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:- 01-12-,2023


(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।



न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

आदेश सं- 252 /2023

933

सरकार

बनाम 13/10/23

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021
मै0 नटराज ट्रेडिंग कम्पनी, ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-902/पी0ए0-उ0जि0ल0 दिनांक 10.10.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 22.09.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी, ग्राम-भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर तहसील लकसर स्थित रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के अनुसार भण्डारण स्थल पर ई पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 61.128 टन उपखनिज कम पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रू0-8,558/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। श्री अनिल कुमार मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी, ग्राम-भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू0-8,558 /- ई-चालान सं0-08531023E023003दिनांक 10.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी, ग्राम-भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू0-8,558 /- ई-चालान सं0-08531023E023003दिनांक 10.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:- 13 अक्टूबर, 2023



13
(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

30 2/21
13/10/2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

वाद सं०- 161 /2023

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

सरकार

बनाम

मै० नटराज ट्रेडिंग कम्पनी, ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

उपरोक्त वाद के तथ्य इस प्रकार है कि उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-587/पी०ए०/2023 दिनांक 25.04.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 20.04.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी(अनिल कुमार पाल) रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार निरीक्षण के दौरान भण्डारण स्थल पर कुल 355.2 टन उपखनिज पाया गया जबकि ई रवन्ना पोर्टल पर 120.5 टन उपखनिज दर्शित है। जिसका 10 प्रतिशत 12 टन कुल 132.5 टन होता है। इस प्रकार मौके पर 223.15 टन उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्रावधानानुसार रू०-31241/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है तथा मौके पर भण्डारण स्थल को सीज किया गया है तथा रिटेल भण्डारणकर्ता द्वारा खनन पट्टा/रिवर ड्रेजिंग की अनुज्ञाधारक के मध्य वैध अनुबंध प्राप्त होने के उपरान्त ही भण्डारण को सीजमुक्त किया जाना उचित होगा। श्री मैसर्स नटराज ट्रेडिंग कम्पनी भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-31241/-ई-चालान सं०-08530423E0048356 दिनांक 26.04.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा भण्डारण सीजमुक्त करने एवं ई रवन्ना आई०डी० चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः मै० नटराज ट्रेडिंग कम्पनी भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2023 द्वारा उक्त आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-31241/-ई-चालान सं०-08530423E0048356 दिनांक 26.04.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उप जिलाधिकारी लकसर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के क्रम में वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण कराकर रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की विधिमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:- 01/05/2023

श्री 2023
को 587/पी०ए०/2023
जारी करे
Prashed
02/05/2023



Rym

अहलमद

न्यायालय कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

Affidavit Print
out निकाल कर
जाईल के चालान पर
ले



संख्या-335/रीडर/2023

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार ।

संख्या: 237 / 2022-23

सरकार

बनाम

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण)नियमावली 2021
प्रबंधक/स्वामी रिटेल नटराज ट्रेडिंग
कम्पनी(अनिल कुमार पाल) ग्राम
भिवकमपुर जीतपुर, तहसील लक्सर,
जिला हरिद्वार।

आदेश।

उप जिलाधिकारी, लक्सर ने अपनी आख्या संख्या-502/पी0ए0/उ0जि0ल0/2023 दिनांक 16.03.2023 द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 03.03.2023 को तहसीलदार लक्सर एवं सहायक भू वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार द्वारा ग्राम भिवकमपुर जीतपुर स्थित रिटेल भण्डारण नटराज ट्रेडिंग कम्पनी(अनिल कुमार पाल) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 239.3 घ0मी0 उपखनिज अधिक पाया गया। जिसपर खनन नियमावली, 2021 के प्राविधानों के तहत रू0 73,704.00 (तिहत्तर हजार सात सौ चार मात्र) की धनराशि आरोपित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है।

विपक्षी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि वह उप जिलाधिकारी, लक्सर/जिला खान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा आरोपित जुर्माना जमा कराने को तैयार है।

अतः विपक्षी प्रबंधक/स्वामी नटराज ट्रेडिंग कम्पनी(अनिल कुमार पाल) ग्राम भिवकमपुर जीतपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार को निर्देशित किया जाता है कि वह उप जिलाधिकारी, लक्सर द्वारा अधिरोपित धनराशि रू0 73,704.00 (तिहत्तर हजार सात सौ चार मात्र) निर्धारित "लेखा शीर्षक-0853 अलौह धातु एवं धातुकर्म उद्योग, 102-खनिज की रियायती फीस संबंधी किराया रायल्टी" में जमा कराकर ई-चालान की प्रति इस न्यायालय एवं जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को प्रस्तुत करें। जिला खान अधिकारी, हरिद्वार अधिरोपित धनराशि जमा होने के पश्चात ई-चालान की प्रति प्राप्त होने पर पोर्टल खोलने के संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली द0द0 होवे।
दिनांक 14.03.2023

कोरान
Pradeep

(बीर सिंह बुदियाल)
अपर क्लर्क, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

EU90314912 011

मण्डारण

वाद संख्या: 271 / 2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

सरकार

दनाम

घरा-विदिव/नियन 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
मण्डारण का निवारण)नियनावली 2021
मैसर्स आशुतोष इंटरप्राइजेज ग्राम बाकरपुर
तहसील लकसर जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। उप जिलाधिकारी लकसर से प्राप्त जॉच आख्या पत्रांक संख्या 989/वै0सहा0-अवैध खनन 2023 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया है, कि दिनांक 21.11.2023 को राजस्व एवं खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम बाकरपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में स्थित रिटेल मण्डारण मैसर्स आशुतोष इंटरप्राइजेज द्वारा प्रो0 श्री आशुतोष सिंह विष्ट पुत्र श्री शंकर सिंह का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल मण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 299.464टन उपखनिज अधिक पाया गया जिस कारण नियामावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के कम में मैसर्स आशुतोष इंटरप्राइजेज रिटेल मण्डारण के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.12.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अतिरिक्त पाये गये उपखनिज 299.464टन पर अधिरोपित अर्धदण्ड की धनराशि 41,925/-ई चालान संख्या 08531223E0052480 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल मण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।


अतः मैसर्स आशुतोष इंटरप्राइजेज रिटेल मण्डारण स्थित ग्राम बाकरपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 41,925/-ई चालान संख्या 08531223E0052480 दिनांक 27.12.2023के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल मण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-स्वन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा मण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रमारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।
दिनांक 18 / दिसम्बर / 2023



16
(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

वाद सं- १५० /2023



सरकार

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021मै0 आशुतोष इण्टरप्राइजेस ग्राम रणजीतपुर
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार के पत्रांक-597 दिनांक 04.10.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 26.09.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स आशुतोष इण्टरप्राइजेस, ग्राम रणजीतपुर तहसील लकसर स्थित रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार निरीक्षण के दौरान भण्डारण स्थल पर ई पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 158.58 टन रेत उपखनिज कम पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रू0-22,202/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। मैसर्स आशुतोष इण्टरप्राइजेस रणजीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 04.10.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू0-22,202/-ई-चालान सं0-08530423E006177 दिनांक 04.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा भण्डारण को चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः मैसर्स आशुतोष इण्टरप्राइजेस ग्राम रणजीतपुर तहसील लकसर के द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू0-22,202/-ई-चालान सं0-08530423E006177 दिनांक 04.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भण्डारण संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक: 04 अक्टूबर, 2023

Capt. Dr. Muskan Singh



18
(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

30/2/24

Pradeep
04/10/2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

वाद सं०- 167 /2023

सरकार

बनाम

धारा- विधि/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

मै० आशुतोष इण्टरप्राइजेस ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

उपरोक्त वाद के तथ्य इस प्रकार है कि उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-586/पी०ए०/2023 दिनांक 25.04.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 20.04.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स आशुतोष इण्टरप्राइजेस, भिक्कमपुर जीतपुर रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार निरीक्षण के दौरान भण्डारण स्थल पर कुल 927 टन रेत उपखनिज पाया गया जबकि ई रवन्ना पोर्टल पर 416.7 टन उपखनिज दर्शित है। जिसका 10 प्रतिशत 41.6 टन कुल 458.37 टन होता है। इस प्रकार मौके पर 468.63 टन उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रु०-65,608/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है तथा मौके पर भण्डारण स्थल को सीज किया गया है तथा रिटेल भण्डारणकर्ता द्वारा खनन पट्टा/रिवर ड्रेजिंग की अनुज्ञाधारक के मध्य वैध अनुबंध प्राप्त होने के उपरान्त ही भण्डारण को सीजमुक्त किया जाना उचित होगा। मैसर्स आशुतोष इण्टरप्राइजेस भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.04.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रु०-65608/-ई-चालान सं०-08530423E0049819 दिनांक 27.04.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा भण्डारण सीजमुक्त करने एवं ई रवन्ना आई०डी० चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः मैसर्स आशुतोष इण्टरप्राइजेस भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.04.2023 के अनुसार उक्त आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि रु०-65608/-ई-चालान सं०-08530423E0049819 दिनांक 27.04.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उप जिलाधिकारी लकसर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के कम में वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण कराकर रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक- 01.05.2023

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।



Rpm
कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार

कु 2023
इ.स.पा. व
जी.म.
02/05/2023

आदेश संख्या: 258/2023

सरकार

बनाम

आदेश

न्यायालय अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार।

दिनांक 03/06/2023
पारा-विधेय/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन
एवं भण्डारण का निवारण) नियम-2021
श्री 0 राकेश कान्हेक्टर, तहसील
लक्सर, जिला हरिद्वार।

उप जिलाधिकारी, लक्सर ने अपनी आख्या संख्या-679/पी0ए0/उ0जि0ल0/2023 दिनांक 03.06.2023 द्वारा प्रेषित आख्या में अवगत कराया कि खनन विभाग/राजस्व विभाग की टीम द्वारा ग्राम रामपुर रायघाटी स्थित श्री 0 राकेश कान्हेक्टर भण्डारण का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 1007.578 टन उपखनिज अधिक पाया गया। उप जिलाधिकारी, लक्सर द्वारा अवैध खनन नियमावली, 2021 के अंतर्गत रू0 1,41,061 (रू0 एक लाख इक्तालीस हजार इक्सट मात्र) का अर्थदण्ड आरोपित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है।

विपक्षी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उन्होंने उप जिलाधिकारी, लक्सर द्वारा आरोपित जुर्माना जमा करा दिया है तथा भण्डारण स्थल को सीजमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

अतः चूंकि विपक्षी प्रबंधक/स्वामी श्री 0 राकेश कान्हेक्टर भण्डारण ग्राम रामपुर रायघाटी, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार ने उप जिलाधिकारी, लक्सर द्वारा अधिरोपित धनराशि रू0 1,41,061 (रू0 एक लाख इक्तालीस हजार इक्सट मात्र) निर्धारित लेखाशीर्षक में ई चालान दिनांक 03.06.2023 द्वारा जमा करा दिया गया है। अतः जिला खान अधिकारी, हरिद्वार पोर्टल खोलने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति उप जिलाधिकारी, लक्सर एवं जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली द0द0 होंगे।

दिनांक 03.06.2023

(बीर सिंह बुदियाल)

अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

ताद सं०-236/2023

सरकार

बनाम

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक राकेश कुमार पुत्र प्रेम सिंह
ग्राम-रामपुर रायघटी तहसील लकसर व जिला-हरिद्वार।

आदेश

सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार के पत्रांक-331/ दिनांक 25.07.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 16.07.2023 को राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा ग्राम रामपुर रायघटी स्थित रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक राकेश कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार नि०-जैतपुर तहसील लकसर को स्वीकृत रिटेल भण्डारण का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में भण्डारण परिसर पर उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 730.819टन उपखनिज अधिक पाया गया है जिस कारण नियमावली के प्राविधानानुसार रू०-1,02,315/- अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। उक्त के कम में रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक राकेश कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.08.2023 जारी किया गया। विपक्षी अनुज्ञाधारक राकेश कुमार द्वारा उक्त के कम में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.08.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उक्त अधिरोपित राशि रू०-1,02,315/- ई-चालान सं०-08530823E0065828 दिनांक 26.08.2023 द्वारा जमा कर दी गई है। इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण का ई-पोर्टल खोले जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः अनुज्ञाधारक राकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.08.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उक्त अधिरोपित राशि रू०-1,02,315/- ई-चालान सं०-08530823E0065828 दिनांक 26.08.2023 द्वारा जमा कर कर दिये जाने के कारण उक्त रिटेल भण्डारण का ई-रवन्ना पोर्टल चालू करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है तथा विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन एवं संबंधित अनुज्ञाधारक को उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:- 29 अगस्त, 2023

18
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।




31/8/23

न्यायालय कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार

न्यायालय अ

247/2022-23

शे. - 364/सी.ए.ए. / 29/4/23
वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार।धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्डखनिज(अवैध खनन, परिवहन
एवं भण्डारण का निवारण)नि०- 2021
मै० राकेश कान्द्रेक्टर, तहसील
लक्सर, जिला हरिद्वार।

बनाम

आदेश

सहायक भू वैज्ञानिक/प्र०खान अधिकारी, हरिद्वार ने अपनी आख्या
नं० 09/गू०खनि०ई०/हरि० दिनांक 28.04.2023 द्वारा प्रेषित आख्या में अवगत कराया कि खान निरीक्षक,
प्र०खान एवं खनिजकर्म इकाई, हरिद्वार के नेतृत्व में खनन विभाग/राजस्व विभाग की टीम द्वारा ग्राम रामपुर
राजघाटी स्थित मै० राकेश कान्द्रेक्टर भण्डारण का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पोर्टल के
आपेक्ष गीके पर 431,333 टन उपखनिज अधिक पाया गया। सहायक भू वैज्ञानिक/प्र०खान अधिकारी, हरिद्वार
द्वारा अवैध खनन नियमावली, 2021 के अंतर्गत रू० 60,386 (रू० साठ हजार तीन सौ छियासी मात्र) का
भण्डारण आरोपित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है।

विपक्षी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उन्होंने जिला
खान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा आरोपित जुर्माना जमा करा दिया है तथा भण्डारण स्थल को सीजमुक्त करने
का अनुरोध किया गया।

अतः चूंकि विपक्षी प्रबंधक/स्वामी मै० राकेश कान्द्रेक्टर भण्डारण ग्राम रामपुर
राजघाटी, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार द्वारा सहायक भू वैज्ञानिक, हरिद्वार द्वारा अधिरोपित धनराशि रू०
60,386 (रू० साठ हजार तीन सौ छियासी मात्र) निर्धारित लेखाशीर्षक में ई चालान दिनांक 29.04.2023 द्वारा
जमा करा दिया गया है। अतः उप जिलाधिकारी, लक्सर, जिला खान अधिकारी, हरिद्वार सीज/पोर्टल खोलने के
संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति उप जिलाधिकारी, लक्सर
एवं जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक
कार्यवाही पत्रावली द०द० होंवे।

दिनांक 29.04.2023

29/4/23


(बीर सिंह बुदियाल)
अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

उत्तराखण्ड
ग्राम रामपुर
राजघाटी
स्थित
मै० राकेश
कान्द्रेक्टर
भण्डारण
का
निरीक्षण
दिनांक
29/04/2023

संख्या:

247 / 2022-23

सरकार



बनाम

आदेश

श.सं. - 364 / वी.ए. / 2023

धारा-विधि / नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्डखनिज (अवैध खनन, परिवहन
एवं भण्डारण का निवारण) नि 0-2021
श्री 0 राकेश कॉन्ट्रेक्टर, तहसील
लक्सर, जिला हरिद्वार।

सहायक भू वैज्ञानिक / प्रोखान अधिकारी, हरिद्वार ने अपनी आख्या संख्या-09 / भूखनि 0ई0 / हरि 0 दिनांक 28.04.2023 द्वारा प्रेषित आख्या में अवगत कराया कि खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार के नेतृत्व में खनन विभाग / राजस्व विभाग की टीम द्वारा ग्राम रामपुर रायघाटी स्थित श्री 0 राकेश कॉन्ट्रेक्टर भण्डारण का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 431.333 टन उपखनिज अधिक पाया गया। सहायक भू वैज्ञानिक / प्रोखान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अवैध खनन नियमावली, 2021 के अंतर्गत रू० 60,386 (रू० साठ हजार तीन सौ छियासी मात्र) का अर्थदण्ड आरोपित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है।

विपक्षी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उन्होंने जिला खान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा आरोपित जुर्माना जमा करा दिया है तथा भण्डारण स्थल को सीजमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

अतः चूंकि विपक्षी प्रबंधक / स्वामी श्री 0 राकेश कॉन्ट्रेक्टर भण्डारण ग्राम रामपुर रायघाटी, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार द्वारा सहायक भू वैज्ञानिक, हरिद्वार द्वारा अधिरोपित धनराशि रू० 60,386 (रू० साठ हजार तीन सौ छियासी मात्र) निर्धारित लेखाशीर्षक में ई चालान दिनांक 29.04.2023 द्वारा जमा करा दिया गया है। अतः उप जिलाधिकारी, लक्सर, जिला खान अधिकारी, हरिद्वार सीज / पोर्टल खोलने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति उप जिलाधिकारी, लक्सर एवं जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली द०द० होवे।

दिनांक 29.04.2023

29/4/23

(वीर सिंह बुदियाल)
अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

कुंठाराम
अपर कलेक्टर
हरिद्वार
वित्त
29/4/2023

संख्या- 77 /आर0सी0-2023 दिनांक 05.09.2023

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार ।

वाद संख्या: 188 /2022-23

उत्तराखंड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण)नियमावली 2021
शै0 गुरुकृपा ट्रेडिंग कम्पनी प्रा0 अजय
कुमार निवासी महतौली तहसील
लक्सर,जिला हरिद्वार।

सरकार

बनाम

वसूली प्रमाण पत्र

सेवा में,

कलेक्टर,
हरिद्वार।

महोदय,



कृपया न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2023 के अंतर्गत सहायक भू वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार की आख्या के आधार पर उत्तराखंड अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण नियमावली 2021 में दिये गये प्राविधानों के तहत कार्यवाही करते हुये विपक्षी उपरोक्त पर रू0 1,63,240 (रू0 एक लाख तिरसठ हजार दौ सौ चालीस मात्र) की धनराशि आरोपित करते हुये एक पक्ष के भीतर जमा कराये जाने हेतु विपक्षी को निर्देशित किया गया।

विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी उक्त आरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा नहीं कराई है।

अतः प्रबंधक/स्वामी शै0 गुरुकृपा ट्रेडिंग कम्पनी प्रा0 अजय कुमार निवासी महतौली, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार पर आरोपित धनराशि रू0 1,63,240 (रू0 एक लाख तिरसठ हजार दौ सौ चालीस मात्र) की वसूली भू-राजस्व की भांति "लेखा शीर्षक-0853 अलौह धातु एवं धातुकर्म उद्योग, 102-खनिज की रियायती फीस संबंधी किराया रायल्टी" में जमा कराकर वसूली प्रमाण पर इस न्यायालय/कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)

अपर कलेक्टर,(वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।

प्रतिलिपि:जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त को आरोपित धनराशि तत्काल जमा कराये जाने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें, एवं धनराशि जमा होने तक उपरोक्त का ई-रवन्ना बंद कर दें।


अपर कलेक्टर,(वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।

शु0 राशि

प्रकार का प्रमाण पत्र
6/9/2023

न्यायालय अपार कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार।

संख्या: 188 / 2022



बनाम

आदेश

धारा-विधि/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन, परिवहन
एवं भण्डारण का निवारण)नि-2021
मै0 गुरुकृपा ट्रेडिंग कम्पनी प्रा0 अजय
कुमार निवारी महतौली तहसील लक्सर
जिला हरिद्वार।

सहायक भू वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार की आख्या संख्या-302/
भू0खनि0ई0/हरि0/2022-23 दिनांक 12 जुलाई, 2022 में प्रेषित आख्या द्वारा अवगत कराया कि खनन एवं राजस्व विभाग
के नेतृत्व में ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा तहसील लक्सर में आपके पक्ष में खरारा नं0-63म रकबा 0.1855है0 में स्वीकृत रिटेल
भण्डारण स्थल का मौका निरीक्षण अनुज्ञप्ति धारक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया
कि भण्डारण हेतु स्वीकृत भूमि के आंशिक भाग में अवैध आर0वी0एम0 का खनन कर उपखनिज निकाला गया है। रिटेल
भण्डारण स्वामी द्वारा भण्डारण हेतु स्वीकृत भूमि/स्थल के आंशिक भाग में 30 X 8 X 2-480 घ0मी0 आर0वी0एम0 का अवैध
खनन कर गढ़वा किया गया है। भण्डारण स्थल पर मौके पर 10 X 5 X 1-50 घ0मी0 आर0वी0एम पाया गया। उक्त
आर0वी0एम0 के संबंध में वांछित अभिलेख मौके पर नहीं दिखा पाये। ई-स्वन्ना पोर्टल पर प्रदर्शित मात्रा 55.69 टन अर्थात्
25.31 घनमी0 से अधिक पाया गया है।

विपक्षी को उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण)नियमावली, 2021 के
नियम-14(5) क में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए विपक्षी के विरुद्ध 480 घनमी0 आर0वी0एम0 का
अवैध खनन किये जाने के फलस्वरूप 154 X 2 X 480- रू0 1,47,840 (एक लाख सैंतालिस हजार आठ सौ चालीस मात्र)
की धनराशि व अवैध भण्डारित 50 घनमी0 पर 154 X 2 X 50- रू0 15,400.00 कुल 1,63,240.00 (एक लाख तिरैसठ
हजार दौ सौ चालीस मात्र) अर्थदण्ड की धनराशि तसूली की कार्यवाही हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत कर अपना
प्रतिउत्तर/साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी द्वारा अभी तक कोई आपत्ति इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि विपक्षी को नियमानुसार
नोटिस तामिल है तथा सुनवाई हेतु अनेक अवसर प्रदान किये जा चुके हैं। विपक्षी द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत न करने से
ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी को इस संबंध में कोई रूचि नहीं है। इसलिये विपक्षी पर नियमानुसार धनराशि आरोपित किया
जाना उचित प्रतीत होता है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। सहायक भू वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
हरिद्वार की आख्या दिनांक 12 जुलाई, 2022 में प्रेषित आख्या द्वारा अवगत कराया कि खनन एवं राजस्व विभाग के नेतृत्व में
ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा तहसील लक्सर में विपक्षी के पक्ष में खरारा नं0-63म रकबा 0.1855है0 में स्वीकृत रिटेल भण्डारण
स्थल का मौका निरीक्षण अनुज्ञप्ति धारक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि
भण्डारण हेतु स्वीकृत भूमि के आंशिक भाग में अवैध आर0वी0एम0 का खनन कर उपखनिज निकाला गया है। रिटेल भण्डारण
स्वामी द्वारा भण्डारण हेतु स्वीकृत भूमि/स्थल के आंशिक भाग में 480 घ0मी0 आर0वी0एम0 का अवैध खनन कर गढ़वा किया
गया है। भण्डारण स्थल पर मौके पर 50 घ0मी0 आर0वी0एम पाया गया। उक्त आर0वी0एम0 के संबंध में वांछित अभिलेख मौके
पर नहीं दिखा पाये। ई-स्वन्ना पोर्टल पर प्रदर्शित मात्रा 55.69 टन अर्थात् 25.31 घनमी0 से अधिक पाया गया है। विपक्षी
द्वारा इस संबंध में कोई आपत्ति इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि विपक्षी को नियमानुसार नोटिस तामिल है।
विपक्षी का कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत न करने से ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी को इस संबंध में कोई रूचि नहीं है। इसलिये
विपक्षी पर नियमानुसार धनराशि आरोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः सहायक भू वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार की आख्या के आधार पर विपक्षी प्रबंधक/स्वामी मै0
गुरुकृपा ट्रेडिंग कम्पनी, प्रा0 अजय कुमार निवारी महतौली, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार पर उत्तराखण्ड अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण नियमावली 2021 में दिये गये प्राविधानों के तहत कार्यवाही करते हुये 480 घनमी0 आर0वी0एम0 का
अवैध खनन किये जाने के फलस्वरूप 154 X 2 X 480- रू0 1,47,840 (एक लाख सैंतालिस हजार आठ सौ चालीस मात्र)
की धनराशि व अवैध भण्डारित 50 घनमी0 पर 154 X 2 X 50- रू0 15,400.00 कुल 1,63,240.00 (एक लाख तिरैसठ हजार
दो सौ चालीस मात्र) की धनराशि आरोपित की जाती है। तथा विपक्षी उपरोक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त
आरोपित धनराशि एक पक्ष के भीतर निर्धारित "लेखा शीर्षक-0853 अलौह धातु एवं धातुकर्म उद्योग, 102-खनिज की रियायती
फीस संबंधी किराया रायल्टी" में जमा कराकर ई-घातान की प्रति इस न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा
की स्थिति में उपरोक्त आरोपित धनराशि भू-राजस्व की भांति तसूल की जाये। जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को उक्त
आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आरोपित धनराशि जमा होने तक विपक्षी के भण्डारण स्थल का ई-स्वन्ना
पोर्टल अग्रिम आदेशों तक बंद किया जाता है। इस आदेश की एक विपक्षी उपरोक्त एवं जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को
पत्रावली संख्या 4020 है।

(1) जमाना एवं प्रावधानों के अंतर्गत प्रेषित की जाने
दिनांक 01.07.2023

(श्री सिंह नुविद्याल)
अपार कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

30/7/22
कलकत्ता की
प्रोसेड
04/07/2023

वाद संख्या: 297 /2023

सरकार

बनाम

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी हरिद्वार

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021
मैसर्स प्रकाश कॉरपोरेशन प्रबन्धक श्री उपेन्द्र
ग्राम रामपुर रायघटी अह0
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। उपजिलाधिकारी लकसर से प्राप्त संयुक्त जॉच आख्या पत्रांक संख्या 1017/पी0ए0/-हरिद्वार/अवैध खनन 2023-24 दिनांक 06.12.2023 को राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में स्थित मैसर्स प्रकाश कॉरपोरेशन प्रबन्धक श्री उपेन्द्र पुत्र श्री ओमकार सिंह रिटेल भण्डारण का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 33.075टन उपखनिज अधिक पाया गया जिस कारण नियामावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के क्रम में मैसर्स प्रकाश कॉरपोरेशन प्रबन्धक श्री उपेन्द्र के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 16.02.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अधिक पाये गये उपखनिज 33.075 टन पर अधिरोपित अर्थदण्ड धनराशि 4,631/-ई चालान संख्या 08530224E0030371 दिनांक 16.02.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स प्रकाश कॉरपोरेशन प्रबन्धक श्री उपेन्द्र पुत्र श्री ओमकार सिंह रिटेल भण्डारण स्थित ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल तहसील लकसर व जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 4,631/-ई चालान संख्या 08530224E0030371 दिनांक 16.02.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रमारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक २०/ फरवरी /2024



(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी
हरिद्वार।

उ - रशमा
इस आदेश के अनुपालन में
उपरोक्त पोर्टल पर 33.075 टन
20/02/24

भण्डारण

वाद संख्या: २७३/२०२३

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी हरिद्वार

घारा-विविध/नियम १४-५(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण)नियमावली २०२१
मैसर्स कल्लू कान्द्रेक्टर ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

सरकार

बनाम

आदेश

आज प्रस्तुत। उप जिलाधिकारी लकसर से प्राप्त जॉच आख्या पत्रांक संख्या ९८८/वै०सहा०-अवैध खनन २०२३ दिनांक २१.१२.२०२३ द्वारा अवगत कराया गया है, कि दिनांक ०६.११.२०२३ को राजस्व एवं खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में स्थित रिटेल भण्डारण मैसर्स कल्लू कान्द्रेक्टर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर ४१३.५ टन उपखनिज अधिक पाया गया जिस कारण नियामावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के क्रम में मैसर्स कल्लू कान्द्रेक्टर के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक २०.१२.२०२३ प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अतिरिक्त पाये गये उपखनिज ४१३.५ टन पर अधिरोपित अर्धदण्ड की घनराशि ५७,८९०/-ई चालान संख्या ०८५३१२२३६००३७८७७ दिनांक २०.१२.२०२३ के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स कल्लू कान्द्रेक्टर स्थित ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण घनराशि ५७,८९०/-ई चालान संख्या ०८५३१२२३६००३७८७७ दिनांक २०.१२.२०२३ के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।
दिनांक २८/दिसम्बर/२०२३

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी
हरिद्वार।



न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

सं- 254 / 2023

सरकार

बनाम

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021
मै० कल्लू सिंह रिटेल भण्डारण, ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-906/पी०ए०-उ०जि०ल० दिनांक 10.10.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 22.09.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स कल्लूसिंह कान्द्रेक्टर रिटेल भण्डारण ग्राम-भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर तहसील लकसर स्थित रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के अनुसार भण्डारण स्थल पर ई पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 117.522 टन रेत उपखनिज कम पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रू०-16,453/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। श्री अभिवेक मैसर्स कल्लूसिंह कान्द्रेक्टर रिटेल भण्डारण ग्राम-भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर जिला हरिद्वार ने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-16,453/- ई-चालान सं०-08531023E0027173 दिनांक 12.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः श्री अभिवेक मैसर्स कल्लूसिंह कान्द्रेक्टर रिटेल भण्डारण ग्राम-भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर जिला हरिद्वार के द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-16,453/- ई-चालान सं०-08531023E00271 दिनांक 12.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:- 13 अक्टूबर, 2023

जि० ए० ए०
Abhishek
13/10/2023

(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

वाद सं०- 177 /2023

सरकार

बनाम

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उततराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

कल्लू सिंह रिटेल भण्डारण ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर .
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

उपरोक्त वाद के तथ्य इस प्रकार है कि उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-590/पी0ए0/2023 दिनांक 25.04.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 20.04.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कल्लू सिंह रिटेल भण्डारण भिक्कमपुर जीतपुर भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार निरीक्षण के दौरान भण्डारण स्थल पर कुल 180 टन उपखनिज पाया गया जबकि ई रवन्ना पोर्टल पर 16.48 टन उपखनिज दर्शित है। जिसका 10 प्रतिशत 1.648 टन कुल 18.125 टन होता है। इस प्रकार मौके पर 161.872 टन उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रू०-22662/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है तथा मौके पर भण्डारण स्थल को सीज़ किया गया है तथा रिटेल भण्डारणकर्ता द्वारा खनन पट्टा/रिवर ड्रेजिंग की अनुज्ञाधारक के मध्य वैध अनुबंध प्राप्त होने के उपरान्त ही भण्डारण को सीज़मुक्त किया जाना उचित होगा। कल्लू सिंह रिटेल भण्डारण भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 04.05.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-22662/-ई-चालान सं०-08530523E0006803 दिनांक 04.05.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये है, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा भण्डारण सीज़मुक्त करने एवं ई रवन्ना आई0डी0 चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः श्री कल्लू सिंह रिटेल भण्डारण भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.05.2023 के अनुसार उक्त आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-22662/-ई-चालान सं०-08530523E0006803 दिनांक 04.05.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उप जिलाधिकारी लकसर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के क्रम में वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण कराकर रिटेल भण्डारण को सीज़मुक्त करने एवं ई रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रमारी अधिकारी,खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:- मई,2023



Rym

अभिलेख

न्यायालय कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

प्रदेश

वाद संख्या: 61 / 2024

सरकार

यनाम

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)

उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिग्रहण एवं

मण्डारण का नियारण)नियमावली 2021

मैसर्स गणपति टेंडिंग कम्पनी प्रो० अंकुर चौहान

ग्राम रामपुर रायघटी

तहसील लकसर जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। सहायक भूवैज्ञानिक/प्रोखानअधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार से प्राप्त संयुक्त जॉच आख्या पत्रांक संख्या 1025/भू०ख०नि०वि०-हरिद्वार/अवैध खनन 2023 दिनांक 27.01.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 11.01.2024 को खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम रामपुर रायघटी तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में स्थित रिटेल मण्डारण मैसर्स गणपति टेंडिंग कम्पनी प्रो० अंकुर चौहान पुत्र श्री अमय सिंह का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल मण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मोके पर 49.041टन उपखनिज कम पाया गया जिस कारण नियामावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के कम में मैसर्स गणपति टेंडिंग कम्पनी प्रो० अंकुर चौहान पुत्र श्री अमय सिंह के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा पाये गये उपखनिज 49.041टन पर अधिरोपित अर्धदण्ड की धनराशि 10,299/-ई चालान संख्या 08530124E0036684 दिनांक 20.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल मण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स गणपति टेंडिंग कम्पनी प्रो० अंकुर चौहान पुत्र श्री अमय सिंह रिटेल मण्डारण स्थित ग्राम रामपुर रायघटी तहसील लकसर व जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 10,299/-ई चालान संख्या 08530124E0036684 दिनांक 20.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल मण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा मण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रमारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।
दिनांक 7/जनवरी/2024



(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

है-चरामि
रिडिंग
इस रिटेल मण्डारण के सीजमुक्त
करने के लिए
07/01/24

वाद सं० 380/2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, हरिद्वार।

सरकार

बनाम

नियम-14(5)(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021
अंकुर चौहान पुत्र श्री अभयसिंह निवासी कबूलपुरी
रायघटी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।

आदेश

उप जिलाधिकारी, लक्सर, जिला हरिद्वार द्वारा अपनी आख्या पत्रांक 1026/पी0ए0/उ0जि0ल0/2023 दिनांक 18.12.2023 द्वारा दिनांक 29.11.2023 द्वारा राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा ग्राम रामपुर रायघटी में अनुज्ञाधारक अंकुर चौहान पुत्र श्री अभयसिंह निवासी कबूलपुरी रायघटी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार के रिटेल भण्डारण के औचक निरीक्षण की आख्या प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि रिटेल भण्डारण में मौके पर 435.6 टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-रवन्ना पोर्टल पर 152.1 टन उपखनिज दर्शित है, जिसका 10% 15.21टन अर्थात कुल 167.31टन होता है। इस प्रकार मौके पर 268.39टन उपखनिज अधिक पाया गया है। औचक निरीक्षण के समय भण्डारण स्थल पर चारदीवारी नहीं पायी गयी है। भण्डारण को मौके पर सीज करते हुये ई-रवन्ना पोर्टल को बन्द कर दिया गया है। मौके पर अधिक पाये गये 268.39टन उपखनिज पर उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत अंकन रू0 37574.6 की धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित किए जाने की संस्तुति की गयी है।

अनुज्ञाधारक अंकुर चौहान पुत्र श्री अभयसिंह निवासी कबूलपुरी रायघटी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार द्वारा दिनांक 18.12.2023 को अर्थदण्ड की धनराशि अंकन रू0 37575/- (रू0 सैंतीस हजार पांच सौ पिच्छत्तर मात्र) ई-चालान संख्या-08531223E0033906 दिनांक 18.12.2023 द्वारा राजकीय कोष के लेखा शीर्षक 0853001020100 में जमा कर चालान की प्रति सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भण्डारण को सीजमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः अनुज्ञाधारक अंकुर चौहान पुत्र श्री अभयसिंह निवासी कबूलपुरी रायघटी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार द्वारा दिनांक 18.12.2023 को अर्थदण्ड की धनराशि अंकन रू0 37575/- (रू0 सैंतीस हजार पांच सौ पिच्छत्तर मात्र) ई-चालान संख्या-08531223E0033906 दिनांक 18.12.2023 द्वारा राजकीय कोष के लेखा शीर्षक 0853001020100 में जमा कर चालान की प्रति उपलब्ध कराए जाने की दशा में भण्डारण को एतद्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ सीजमुक्त किया जाता है कि अनुज्ञाधारक भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगा और इस आदेश के 15 दिनों के भीतर भण्डारण की चारदीवारी किया जाना भी सुनिश्चित करेगा। उप जिलाधिकारी, लक्सर 15 दिनों के भीतर भण्डारण का पुनः स्थलीय निरीक्षण कर अपनी अनुपालन आख्या स्थलीय फोटोग्राफ्स सहित अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आदेश की एक प्रमाणित प्रति, उप जिलाधिकारी, लक्सर, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म, इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी (खनन) कलेक्टर, हरिद्वार व अनुज्ञाधारक को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाए।

दिनांक:-18/12/2023



(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट/
कलेक्टर,
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

आदेश सं-२५१/२०२३

सरकार

बनाम

धारा- विधि/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड

खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का

निवारण) नियमावली 2021

रिटेल भण्डारण स्थित रामपुर रायघटी,अनुज्ञाधारक अंकुर चौहान
पुत्र अभय सिंह नि०-कयूलपुर रायघटी तहसील लकसर जिला
हरिद्वार।

आदेश

सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पत्रांक-332/ दिनांक 25.07.2023 की छायाप्रति के साथ प्रार्थी अंकुर चौहान पुत्र अभय सिंह नि०-कयूलपुर रायघटी तहसील लकसर जिला हरिद्वार द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ ई-चालान की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध किया गया कि दिनांक 16.07.2023 को खनन विभाग की टीम द्वारा तहसील लकसर के ग्राम रामपुर रायघटी में प्रार्थी अनुज्ञाधारक को स्वीकृत रिटेल भण्डारण के की जाँच में मौके पर 1138.9टन उपखनिज अधिक पाये जाने के कारण ई-रवन्ना पोर्टल बन्द करते हुए रू०-1,59,166/- का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त आरोपित राशि रू०-1,59,166/-ई-चालान सं०- 08530923F0054799दिनांकित 27.09.2023 द्वारा जमा की जा चुकी है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण का ई-पोर्टल चालू कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त रिटेल भण्डारण अंकुर चौहान पुत्र अभय सिंह नि०-कयूलपुर रायघटी तहसील लकसर जिला हरिद्वार द्वारा उक्त रिटेल भण्डारण में मौके पर 1136.9टन उपखनिज अधिक पाये जाने के कारण अधिरोपित अर्थदण्ड रू०-1,59,166/- ई चालान सं०-08530923F0054799 दिनांकित 27.09.2023 द्वारा जमा की जा चुकी है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण का ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। आदेश की प्रति नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रमारी अधिकारी,खनन एवं संबंधित अनुज्ञाधारक को उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:- 30 सितम्बर,2023

6/3. 7 Ar/Mo,

(धाराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

30 सितम्बर

for order
10/10/2023



न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट / कलक्टर हरिद्वार

वाद सं०- 260 / 2023

सरकार

बनाम

धारा- विविध / नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021
श्री अमरदीप रणावत, रिटेल
भण्डारण ग्राम-भिकमपुर जीतपुर तहसील लकसर व
जिला -हरिद्वार।

आदेश

प्रार्थी श्री अमरदीप रणावत पुत्र रणवीर सिंह नि०-अजबपुर कलां देहरादून के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-983/ पी०ए०-उ०जि०ल० दिनांक 21.11.2023 के अनुसार दिनांक 06.11.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम भिकमपुर जीतपुर में श्री अमरदीप रणावत के पक्ष में स्वीकृत रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के अनुसार भण्डारण स्थल पर ई पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 91,737 टन उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रू०-12,844/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। प्र० प्रार्थी श्री अमरदीप रणावत पुत्र रणवीर सिंह नि०-अजबपुर कलां देहरादून के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2023 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-12,844/- ई-चालान सं०-08531123E0040239 दिनांक 22.11.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः प्र० प्रार्थी श्री अमरदीप रणावत पुत्र रणवीर सिंह नि०-अजबपुर कलां देहरादून के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2023 के अनुसार उसके द्वारा प्रार्थी उपरोक्त द्वारा वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-12,844/- ई-चालान सं०-08531123E0040239 दिनांक 22.11.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भण्डारण सीज मुक्त करने एवं ई रबन्ना पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:- 22 नवम्बर, 2023



U
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

दिनांक- 253 /2023

सरकार

931

बनाम 13/10/23

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021
मै0 अमरदीप सिंह रिटेल भण्डारण, ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-903/पी0ए0-उ0जि0ल0 दिनांक 10.10.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 22.09.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स अमरदीप रिटेल भण्डारण, ग्राम-भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर तहसील लकसर स्थित रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के अनुसार भण्डारण स्थल पर ई पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 52.9145 टन उपखनिज कम पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रू0-7,408/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। श्री अमरदीप सिंह, वास्ते मैसर्स अमरदीप सिंह रिटेल भण्डारण ग्राम-भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू0-7,408 /- ई-चालान सं0-08531023E0022989 दिनांक 10.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः मैसर्स अमरदीप सिंह रिटेल भण्डारण ग्राम-भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू0-7,408/- ई-चालान सं0-08531023E0022989 दिनांक 10.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:- 13 अक्टूबर, 2023

¹³
(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

कु0 शक्ति
13/10/2023



वाद सं- 160 /2023

सरकार

बनाम

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021मै0 बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि उप जिलाधिकारी लकसर के पत्रांक-588/पी0ए0/2023 दिनांक 25.04.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 20.04.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार निरीक्षण के दौरान भण्डारण स्थल पर कुल 398.7 टन रेत(उपखनिज) पाया गया जबकि ई रवन्ना पोर्टल पर 175.79 टन उपखनिज दर्शित है। जिसका 10 प्रतिशत, 17.579 टन कुल 193.369 टन होता है। इस प्रकार मौके पर 205.331 टन उपखनिज अधिक पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रू0-28746/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है तथा मौके पर भण्डारण स्थल को सीज किया गया है तथा रिटेल भण्डारणकर्ता द्वारा खनन पट्टा/रिवर ड्रेजिंग की अनुज्ञाधारक के मध्य वैध अनुबंध प्राप्त होने के उपरान्त ही भण्डारण को सीजमुक्त किया जाना उचित होगा। श्री मैसर्स बालाजी भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू0-28746/-ई-चालान सं0-08530423E0048186 दिनांक 26.04.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा भण्डारण सीजमुक्त करने एवं ई रवन्ना आई0डी0 चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः मै0 बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2023 द्वारा उक्त आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि रू0-28746/-ई-चालान सं0-08530423E0048186 दिनांक 26.04.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने उप जिलाधिकारी लकसर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के कम में वांछित औपचारिकताएं पूर्ण कराकर रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। विपक्षी भविष्य में इस प्रकार को पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन एवं संबंधित को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:- 04.04.2023



(विनय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

उपरोक्त
उपरोक्त
जिला मजिस्ट्रेट
10.2.10.5/10.2.23

आह्वानात

न्यायालय कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार ।
दिनांक 8/3/2023

आदेश संख्या: 240/2022-23



सरकार

कनाम

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण)नियमावली 2021
प्रबंधक/स्वामी रिटेल श्री बालाजी
ट्रेडर्स, भिक्कमपुर जीतपुर, तहसील
लक्सर, जिला हरिद्वार।

आदेश।

उप जिलाधिकारी, लक्सर ने अपनी आख्या संख्या-570/पी0ए0/उ0जि0ल0/2023 दिनांक 18.03.2023 द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 03.03.2023 को राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर, रिथत श्री बालाजी ट्रेडर्स का निरीक्षण किया गया। पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 123.75 घ0मी0 उपखनिज अधिक पाया गया जिसपर खनन नियमावली, 2021 के प्राविधानों के तहत रू0 38,115.00 (अड़तीस हजार एक सौ पन्द्रह मात्र) की धनराशि आरोपित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है।

विपक्षी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि वह उप जिलाधिकारी, लक्सर द्वारा आरोपित जुर्माना जमा कराने को तैयार है।

अतः विपक्षी प्रबंधक/स्वामी श्री बालाजी ट्रेडर्स, ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार को निर्देशित किया जाता है कि वह उप जिलाधिकारी, लक्सर द्वारा अधिरोपित धनराशि रू0 38,115.00 (अड़तीस हजार एक सौ पन्द्रह मात्र) निर्धारित "लेखा शीर्षक-0853 अलौह धातु एवं धातुकर्म उद्योग, 102-खनिज की रियायती फीस संबंधी किराया रायल्टी" में जमा कराकर ई-चालान की प्रति इस न्यायालय एवं जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को प्रस्तुत करें। जिला खान अधिकारी, हरिद्वार अधिरोपित धनराशि जमा होने के पश्चात ई-चालान की प्रति प्राप्त होने पर पोर्टल खोलने हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।
दिनांक 20.03.2023

(वीर सिंह बुदियाल)
अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

कोराना
Pradeep

संख्या: 296 /2023

सरकार

बनाम

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021
मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी
ग्राम शिवपुरी मुस्त0
तहसील लकसर जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। उप जिलाधिकारी लकसर से प्राप्त जॉच आख्या पत्रांक संख्या 1018/पी0ए0-अवैध खनन/2023 दिनांक 06.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है, कि दिनांक 06.11.2023 को राजस्व एवं खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम शिवपुरी मु0 तहसील लकसर जिला हरिद्वार में स्थित मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी प्रो0 प्रतीक शर्मा रिटेल भण्डारण का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 11.579टन उपखनिज अधिक पाया गया जिस कारण नियामावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के क्रम में मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अतिरिक्त पाये गये उपखनिज 11.579टन पर अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि 1,621/-ई चालान संख्या 08530124E0027642दिनांक 16.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी प्रो0 प्रतीक शर्मा स्थित ग्राम शिवपुरी मु0 तहसील लकसर जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 1,621/-ई चालान संख्या 08530124E0027642 दिनांक 16.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संघित की जाय।

दिनांक 07/जनवरी/2024

(धीराज सिंह गर्बाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।



Handwritten notes and signatures in Hindi, including the name 'धीराज सिंह गर्बाल' and the date '07/01/24'. There are also some illegible handwritten notes and a signature at the bottom left.

संख्या: 296 / 2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट / कलक्टर, हरिद्वार

सरकार

बनाम

धारा-विविध / नियम 14-5(क)(ख)(ग)
 उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
 भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021
 मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी
 ग्राम शिवपुरी मुराठ
 तहसील लकसर जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। उप जिलाधिकारी लकसर से प्राप्त जॉच आख्या पत्रांक संख्या 1018/पी0ए0-अवैध खनन/2023 दिनांक 06.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है, कि दिनांक 08.11.2023 को राजरव एवं खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम शिवपुरी मु0 तहसील लकसर जिला हरिद्वार में स्थित मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी प्रो0 प्रतीक शर्मा रिटेल भण्डारण का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 11.579टन उपखनिज अधिक पाया गया जिस कारण नियामावली के प्रावधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के क्रम में मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अतिरिक्त पाये गये उपखनिज 11.579टन पर अधिरोपित अर्धदण्ड की धनराशि 1,621/-ई चालान संख्या 08530124E0027642 दिनांक 18.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी प्रो0 प्रतीक शर्मा स्थित ग्राम शिवपुरी मु0 तहसील लकसर जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 1,621/-ई चालान संख्या 08530124E0027642 दिनांक 18.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन क्लेशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक 07/जनवरी/2024



(धीराज सिंह गर्ब्याल)
 जिला मजिस्ट्रेट
 हरिद्वार।

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner, including the name 'धीराज सिंह गर्ब्याल' and a date '07/01/24'.



संख्या- 321 / अहलमद-2023 दिनांक 30 / 12 / 2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 296 / 2023

सरकार

बनाम

धारा-विविध / नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020
मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी
ग्राम शिवपुरी मुस्तो
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

प्रो०/स्वामी,
मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी,
ग्राम शिवपुरी मुस्तो,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

उपजिलाधिकारी लकसर की आख्या दिनांक 06.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण कर पैमाईश की गई। पैमाईश में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त रिटेल भण्डारण परिसर में मौके पर 81' टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-रवन्ना पोर्टल पर 63.11 टन उपखनिज दर्शित है। उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार अभिलेख एवं वास्तविक पैमाईश में 10 प्रतिशत अन्तर के बाद ई-रवन्ना पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 11.579 टन उपखनिज अधिक पाया गया उक्त कृत्य के लिये आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खननपरिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार रू०-1,621/-अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है।

उक्त आख्या के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार =रू०-1,621/-अर्थदण्ड की धनराशि अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रत्युत्तर/अभिलेखीय साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत समयवाधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-

- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, भू०खनि०ई०, हरिद्वार को नियमानुसार अग्रोत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
- 3-प्रभारी अधिकारी,खनन/खनन सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार को अभिलेखार्थ।

श्री. रजनी वैजली
सम्बन्धित परावर्तित कर



जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर हरिद्वार

936

16/10/23

वाद सं०- 255 /2023

धारा- विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग) उत्तराखण्ड
खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण) नियमावली 2021

कार

बनाम

मै० हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी रिटेल भण्डारण ग्राम-शिवपुरी
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार के पत्रांक-624/पी०ए०-उ०जि०ल० दिनांक 05.10.2023 में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 26.09.2023 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी, रिटेल भण्डारण ग्राम-शिवपुरी तहसील लकसर तहसील लकसर स्थित रिटेल भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त आख्या के अनुसार भण्डारण स्थल पर ई पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 143.694टन रेत उपखनिज कम पाया गया है, जिस कारण उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार रू०-20,118/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है। श्री प्रतीक शर्मा मै०हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी रिटेल भण्डारण ग्राम-शिवपुरी तहसील लकसर जिला हरिद्वार ने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-20,118/- ई-चालान सं०-08531023E0024673 दिनांक 11.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की गई तथा रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतः मै०हिमालया ग्रुप ऑफ कम्पनी रिटेल भण्डारण ग्राम-शिवपुरी तहसील लकसर जिला हरिद्वार ने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि रू०-20,118/- ई-चालान सं०-08531023E0024673 दिनांक 11.10.2023 द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त कर ई-पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी, सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार,प्रभारी अधिकारी,खनन एवं विपक्षी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:-13 अक्टूबर,2023

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

प्राप्त
Pradeep





संख्या- 320 /अहलमद-2023 दिनांक 30 /12/2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

वाद संख्या: 295 /2023

सरकार

बनाम

धारा-विविध/नियम 13-5(क)(ख)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2020
मैसर्स मेघराज कम्पनी,
ग्राम रायसी परगना ज्वालापुर
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

प्रो०/स्वामी,
मैसर्स मेघराज कम्पनी,
ग्राम रायसी परगना ज्वालापुर,
तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

उपजिलाधिकारी लकसर की आख्या दिनांक 10.10.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 22.09.2023 को खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण कर पैमाईश की गई। पैमाईश में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त रिटेल भण्डारण परिसर में मौके पर 205.2 टन उपखनिज पाया गया, जबकि ई-रवन्ना पोर्टल पर 693.53 टन उपखनिज दर्शित है। उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार अभिलेख एवं वास्तविक पैमाईश में 10 प्रतिशत अन्तर के बाद ई-रवन्ना पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 418.977 टन उपखनिज अधिक पाया गया उक्त कृत्य के लिये आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खननपरिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार रू०-58,657/-अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की आख्या दी गई है।

उक्त आख्या के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानानुसार =रू०-58,657/-अर्थदण्ड की धनराशि अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उक्त के संबंध में अपना प्रत्युत्तर/अभिलेखीय साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत समयवाधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपरोक्त वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-

- 1-तहसीलदार लकसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की तामील सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-उप निर्देशक/भूवैज्ञानिक, भू०खनि०ई०, हरिद्वार को नियमानुसार अग्रोत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
- 3-प्रभारी अधिकारी,खनन/खनन सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार को अभिलेखार्थ।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

की को रशमी नेत्रानी
सम्बन्धित न्यायालय में प्रेषित करें

HKSRE

वाद संख्या: २७०/2023

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)

उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं

भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021

मैसर्स मेघराज कान्फ्रेक्टर ग्राम मन्सूरपुर कपूरो

तहसील लकसर जिला हरिद्वार।

सरकार

बनाम


आदेश

आज प्रस्तुत। सहायक भूवैज्ञानिक/प्रमुखानधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार से प्राप्त जॉच आख्या पत्रांक संख्या 843/भू0ख0नि0वि0-हरिद्वार/अवैध खनन 2023 दिनांक 05.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है, कि दिनांक 03.03.2023 को राजस्व एवं खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम मन्सूरपुर कपूरो तहसील लकसर जिला हरिद्वार में स्थित रिटेल भण्डारण मैसर्स मेघराज कान्फ्रेक्टर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 97.471टन उपखनिज अधिक पाया गया जिस कारण नियामावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के क्रम में मैसर्स मेघराज कान्फ्रेक्टर के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अतिरिक्त पाये गये उपखनिज 97.471टन पर अधिरोपित अर्धदण्ड की धनराशि 13,645/-ई चालान संख्या 08531223E0025892दिनांक 14.12.2023 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स मेघराज कान्फ्रेक्टर स्थित ग्राम मन्सूरपुर कपूरो तहसील लकसर जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 13,645/-ई चालान संख्या 08531223E0025892 दिनांक 14.12.2023 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।
दिनांक | 8/दिसम्बर/2023



(धीराज सिंह गर्वाल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।



संख्या - 323/डीए/2023

न्यायालय/कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार ।

229/2022-23

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)

उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,

परिवहन एवं भण्डारण का

निवारण)नियमावली 2021

बनाम

प्रबंधक/रतामी रिटेल भण्डारण श्री

गेधराज, ग्राम मन्सूरपुर कपूर्ों, तहसील

लक्सर, जिला हरिद्वार।

आदेश।

उप जिलाधिकारी, लक्सर ने अपनी आख्या संख्या-495/पी0ए0/उ0जि0ल0/2023 दिनांक 03.03.2023 द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 03.03.2023 को तहसीलदार लक्सर एवं सहायक भू वैज्ञानिक, कृषि एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार द्वारा ग्राम मन्सूरपुर कपूर्ों स्थित रिटेल भण्डारण का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 178.62 घ0मी0 उपखनिज अधिक पाया गया। जितपर खनन नियमावली, 2021 के प्राविधानों के तहत रू0 55,015 (पचपन हजार पन्द्रह मात्र) की धनराशि आरोपित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति तहत प्रेषित की गई है।


विपक्षी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2023 प्रस्तुत कर अधिरोपित जुर्माना जमा कराकर पोर्टल खोलने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली का परिशीलन किया गया। उप जिलाधिकारी, लक्सर ने विपक्षी उपरोक्त पर निरीक्षण के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 178.62घ0मी0 उपखनिज अधिक पाये जाने के दृष्टिगत रू0 55,015.00 (पचपन हजार पन्द्रह मात्र) की धनराशि आरोपित की जाती है। विपक्षी को निर्देशित किया गया कि उक्त आरोपित धनराशि जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय एवं जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को प्रस्तुत करें। जिला खान अधिकारी, हरिद्वार ई-चालान की प्रति प्राप्त होने पर अग्रोत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति उप जिलाधिकारी, लक्सर एवं जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली द0द0 होंगे।

दिनांक 14.03.2023

(बीर सिंह बुदियाल)

अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।



संख्या:- 169 / एस0टी0 दिनांक 13.06.2022

न्यायालय / कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार
 वाद संख्या:- 182 / 2022
 धारा-विविध / नियम 14-5(क)(ख)(ग)
 उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन
 एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021
 सरकार बनाम बाबूराम पुत्र झबरेसिंह
 तहसील लक्सर जिला हरिद्वार ।

कार्यालय ज्ञाप

उप जिलाधिकारी, लक्सर के पत्र संख्या 2888/पी0ए0/उ0जि0अ0/खनन/2022 दिनांक 25.05.2022 द्वारा ग्राम कलसिया में श्री बाबूराम पुत्र झबरेसिंह के पक्ष में स्वीकृत उपखनिज भण्डारण का निरीक्षण के दौरान ई-स्वन्ना पोर्टल पर 1869.35 टन अर्थात् 850 घ0मी0 उपखनिज के सापेक्ष मौजे पर 330 घनमी0 उप खनिज पाये जाने के दृष्टिगत नियम 14(5) ग के अनुसार 435 घ0मी0 पर $154 \times 2 \times 435 = 1,33,980-00$ आरोपित की गई। विपक्षी द्वारा उक्त धनराशि रूपये 1,33,980-00 ई चालान दिनांक 13.06.2022 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, रोशनाबाद, हरिद्वार में जमा की गई।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उप जिलाधिकारी, लक्सर ।
- 2- सहायक भूवैज्ञानिक अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार ।
- 3- श्री बाबूराम पुत्र झबरेसिंह निवासी पंडित पुरी मजरा तहसील लक्सर हरिद्वार ।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार

sem
0

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

वाद संख्या: 12 /2022

सरकार

बनाम

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021
श्री बाबूराम उपखनिज भण्डारण अनुज्ञाधारक ग्राम कलसिया
तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।

कारण बताओ नोटिस

श्री बाबूराम उपखनिज भण्डारण अनुज्ञाधारक
ग्राम कलसिया तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।



उप जिलाधिकारी लक्सर के पत्र संख्या-2853/पी0ए0 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा यह आख्या दी गई है कि दिनांक 04.05.2022 को राजस्व एवं खनिज विभाग की टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। ग्राम कलसिया में आपके पक्ष में अनुमत उपखनिज भण्डारण का संयुक्त निरीक्षण आपके प्रतिनिधि श्री प्रशान्त की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान सी0सी0टी0वी0 कैमरे चालू पाये गये, परन्तु आपके प्रतिनिधि द्वारा सी0सी0टी0वी0 की रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं करायी गयी। निरीक्षण के दौरान भण्डारण स्थल पर $12 \times 9 \times 2.5 = 270$, $20 \times 10 \times 1 = 200$ अर्थात् कुल 470 घनमीटर उपखनिज पाया गया, जबकि ई-रवन्ना पोर्टल पर 325.1 टन अर्थात् 147.72 घनमीटर उपखनिज दर्शित होना पाया गया। इस प्रकार कुल 322.28 घन मीटर उपखनिज अवैध रूप से भण्डारित होना पाया गया, जिस कारण उक्त भण्डारण को मौके पर ही सीज कर दिया गया। उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानुसार के अन्तर्गत अवैध भण्डारण 322.28 घ0मी0 के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की आख्या दी गई है।

यद्यपि न उक्त कृत्य के लिए उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग-1 अधिसूचना संख्या-1874/VII-1/2021/158ख-04टीसी दिनांक 10 नवम्बर,2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम-14 (5)क में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए आपके विरुद्ध मौके पर अधिक पाये गये उपखनिज सामग्री (322.28 घन मीटर) पर रायल्टी $322.28 \times 154 \times 2 = 99263/-$ अधिरोपित करते हुए उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जाय?

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष/उत्तर अभिलेखीय साक्ष्य नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत अवधि में आपका उत्तर साक्ष्यों सहित प्राप्त नहीं होता है अथवा उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो वाद उपरोक्त का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-

- 1-तहसीलदार लक्सर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस सम्बन्धित को तत्काल तामील कराकर तामीली आख्या इस न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2-सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि नियमानुसार ई-रवन्ना पोर्ट बन्द करने के संबंध में अग्रोत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 3-प्रभारी अधिकारी(खनन)/खनन सहायक कलक्टर,हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Goel
11-5-22

जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
हरिद्वार।

भण्डारण

वादा संख्या: 278 / 2023

सरकार

बनाम

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी हरिद्वार

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
 उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं
 भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021
 मैसर्स वी०पी०एस०जी० इन्फ्रटेक प्राइवेट लिमिटेड
 ग्राम रघुनाथपुर उर्फ बालावाली
 तहसील लकसर व जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। सहायक भूवैज्ञानिक/प्र०खानअधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार से प्राप्त संयुक्त जॉच आख्या पत्रांक संख्या 842/भू०ख०नि०वि०-हरिद्वार/अवैध खनन 2023 दिनांक 05.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है, कि दिनांक 22.09.2023 को राजस्व एवं खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम रघुनाथपुर उर्फ बालावाली तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में स्थित रिटेल भण्डारण मैसर्स वी०पी०एस०जी० इन्फ्रटेक प्राइवेट लिमिटेड का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 992.03टन उपखनिज अधिक पाया गया जिस कारण नियमावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के कम में मैसर्स वी०पी०एस०जी० इन्फ्रटेक प्राइवेट लिमिटेड के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अतिरिक्त पाये गये उपखनिज 992.03टन पर अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि 1,38,884/-ई चालान संख्या 08531223E0030618 दिनांक 18.12.2023 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स वी०पी०एस०जी० इन्फ्रटेक प्राइवेट लिमिटेड स्थित रघुनाथपुर उर्फ बालावाली तहसील लकसर व जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि 1,38,884/-ई चालान संख्या 08531223E0030618 दिनांक 18.12.2023 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।
 दिनांक 18/दिसम्बर/2023



(धीराज सिंह गर्बाल)
 जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी
 हरिद्वार।

वादि संख्या: 54/2024

सरकार

बनाम

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर, हरिद्वार

धारा-विविध/नियम 14-5(ख)(ग)

उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं

भण्डारण का निवारण)नियमावली 2021

मैसर्स अमरदीप सिंह रणावत,

ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर,

तहसील लकसर जिला हरिद्वार।

आदेश

आज प्रस्तुत। सहायक भूवैज्ञानिक/प्रमुखानधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार से प्राप्त संयुक्त जांच आख्या पत्रांक संख्या 1025/भू0ख0नि0वि0-हरिद्वार/अवैध खनन 2023 दिनांक 27.01.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 11.01.2024 को खनन विभाग की टीम द्वारा ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार में स्थित रिटेल भण्डारण मैसर्स अमरदीप सिंह रणावत का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिटेल भण्डारण परिसर में उपलब्ध उपखनिज की पैमाईश के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 8.777टन उपखनिज अधिक पाया गया जिस कारण नियमावली के प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने की आख्या दी गयी है। उक्त के कम मैसर्स अमरदीप सिंह रणावत के स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अधिक पाये गये उपखनिज 8.777टन पर अधिरोपित अर्धदण्ड की घनराशि 12.29/-ई चालान संख्या 08530124E0046651दिनांक 27.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीज मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः मैसर्स अमरदीप सिंह रणावत रिटेल भण्डारण स्थित ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर तहसील लकसर व जिला हरिद्वार उपरोक्त के द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण घनराशि 12.29/-ई चालान संख्या 08530124E0046651दिनांक 27.01.2024 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दी गई है, इस कारण उक्त रिटेल भण्डारण को सीजमुक्त करने एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा भण्डारण स्वामी को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें। पक्षकार उक्तानुसार सूचित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी,सहायक भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार, प्रभारी अधिकारी, खनन तथा उक्त स्टोन केशर स्वामी को अनुपालनार्थ दी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक 07/जनवरी/2024

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।

म. रणावत
संख्या पाठ 54/2024

विजय सिंह
इसे रिटेल भण्डारण का सीजमुक्त इस्त 54
धारमा 9


सं- 337/वीर/2023

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार ।

क्र. संख्या: 238/2022-23

धारा-विविध/नियम 14-5(क)(ख)(ग)
उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का
निवारण)नियमावली 2021
प्रबंधक/स्वामी रिटेल अमरदीप सिंह
ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर, तहसील
लक्सर, जिला हरिद्वार।

सरकार



बनाम

आदेश।

उप जिलाधिकारी, लक्सर ने अपनी आख्या संख्या-504/पी0ए0/उ0जि0ल0/2023 दिनांक 16.03.2023 द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 03.03.2023 को तहसीलदार लक्सर एवं सहायक भू वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार द्वारा ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर स्थित रिटेल भण्डारण अमरदीप सिंह का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पोर्टल के सापेक्ष मौके पर 205.63 घ0मी0 उपखनिज अधिक पाया गया। जिसपर खनन नियमावली, 2021 के प्राविधानों के तहत रू0 63,334.00 (तिरेसठ हजार तीन सौ चौतीस मात्र) की धनराशि आरोपित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है।

विपक्षी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि वह जिला खान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा आरोपित जुर्माना जमा कराने को तैयार है।

अतः विपक्षी प्रबंधक/स्वामी रिटेल भण्डारण अमरदीप सिंह, ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार को निर्देशित किया जाता है कि वह जिला खान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अधिरोपित धनराशि रू0 63,334.00 (तिरेसठ हजार तीन सौ चौतीस मात्र)निर्धारित "लेखा शीर्षक-0853 अलौह धातु एवं धातुकर्म उद्योग, 102-खनिज की रियायती फीस संबंधी किराया रायल्टी" में जमा कराकर ई-चालान की प्रति इस न्यायालय एवं जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को प्रस्तुत करें। जिला खान अधिकारी, हरिद्वार अधिरोपित धनराशि जमा होने के पश्चात ई-चालान की प्रति प्राप्त होने पर पोर्टल खोलने के संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली द0द0 होंगे।

दिनांक 17.03.2023

(वीर सिंह बुदियाल)

अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

30/3/23
Pradeep

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

संलग्न - (3)

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

संख्या 1051 / पी0ए0-उ0जि0ल0 / 2023

दिनांक 26 दिसम्बर 2023

विषय:- श्री नकली राम पुत्र स्व0 बलजीत निवासी-ग्राम महतौली परगना ज्वालापुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जांच आख्या का प्रेषण।


भूमहोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 9664/मु0वै0अ0/2023 दिनांक 09.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके अन्तर्गत श्री नकली राम पुत्र स्व0 बलजीत निवासी-ग्राम महतौली परगना ज्वालापुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार के प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं के सम्बन्ध में जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार लक्सर से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार लक्सर की जांच आख्या 591/आर0सी0 दिनांक 25.10.2023 के अनुसार दिनांक 14.09.2023 को सूचना के आधार पर राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा तहसील लक्सर के ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा में स्थित भूमि खसरा सं0 04 का संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मध्य रात्रि को उक्त भूमि से $25 \times 12 \times 3 = 900$ घनमीटर गड्ढा कर अवैध खनन किया गया है।

वर्तमान समय में राजस्व अभिलेखों में ग्राम मजफ्फरपुर गुजरा में स्थित खसरा सं0 4 रक्बा 0.297 है0 पर घसीटा पुत्र जगराम निवासी-ग्राम महतौली फसली वर्ष 1413 से आसामी का पट्टा आवंटन किया गया है। घसीटा पुत्र जगराम निवासी-ग्राम महतौली मृतक होना तस्दीक हुआ है। घसीटा पुत्र जगराम नि0-ग्राम केवल 5 पुत्रिया है जिसमें 03 पुत्रियों की शादी हो गयी है 02 पुत्रियों की शादी वर्तमान में नहीं हुई है। सभी पुत्रिया द्वारा अवैध खनन होने से पूर्व प्रार्थना के माध्यम से आशंका जाहिर की गयी थी। उक्त भूमि को लेकर श्री नकलीराम एवं मृतक श्री घसीटा पुत्र जगराम निवासी-ग्राम महतौली के मध्य उक्त भूमि को लेकर विवाद है। उक्त भूमि से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में उक्त भूमि पर काबिज कब्जेदार को अवैध खनन करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। अतः आख्या सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- यथोक्त।

भूवदीक्ष

 (गोपाल सिंह चौहान) 12-8-23
 उप जिलाधिकार
 लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

जिलाधिकारी
हरिद्वार।

संख्या 1066 / पी०ए० / उ०जि०ल० / 2023

दिनांक 30 दिसम्बर, 2023


विषय:- ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा ज० तहसील लक्सर में अवैध खनन की जांच किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक तहसीलदार लक्सर द्वारा प्रेषित जांच आख्या दिनांक 20.12.2023, जो दिनांक 29.12.2023 को कार्यालय में प्राप्त हुई हैं, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। तहसीलदार लक्सर द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा ज०, परगना ज्वालापुर, तहसील लक्सर के खसरा नम्बर 40, व खसरा नम्बर 39 के नाम दर्ज हैं, में अवैध खनन किया गया है। जिसकी पैमाईश निम्न प्रकार हैं:-

क्रम सं०	कब्जेदार/खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	अवैध खनन की पैमाईश	अन्य
01	रोहित कुमार पुत्र तेजपाल, शोभा पत्नी स्व० तेजपाल निवासी महतौली।	40	41×66×1 (मिट्टी)=2706 घनमीटर 41×66×1 (आर०बी०एम०)=2706 घनमीटर	-
02	दल्ली व प्रेम पुत्रगण हरनन्द निवासी महतौली।	39	42×83×1 (मिट्टी)=3486 घनमीटर 42×83×1 (आर०बी०एम०)=3486 घनमीटर	-

अतः तहसीलदार लक्सर की जांच आख्या दिनांक 20.12.2023 उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावाली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्न: यथोक्त।

भवदीय,

(गोपाल सिंह चौहान) 2024
उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

जिलाधिकारी
हरिद्वार।

संख्या 1065 / पी0ए0 / उ0जि0ल0 / 2023

दिनांक 30 दिसम्बर, 2023

विषय:- ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा तहसील लक्सर में अवैध खनन की जांच किये जाने के सम्बन्ध में।।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक श्री नकलीराम व शेर सिंह पुत्रगण बलजीत सिंह निवासी ग्राम महतौली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2023 पर तहसीलदार लक्सर से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार लक्सर द्वारा प्रेषित जांच आख्या दिनांक 29.12.2023 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा, तहसील लक्सर के खसरा नम्बर 04/0.2970 है, जो राजस्व अभिलेखों में श्री घसीटा पुत्र जगराम(मृतक) के वारिस बबीता, हेमा, रानी, रेखा व छोटों द्वारा श्री जितेन्द्र उर्फ छोटे पुत्र बलबीर निवासी ग्राम महतौली के साथ मिलकर अवैध खनन किया जाना तस्दीक हुआ है। जिसकी पैमाईश निम्न लिखित हैं:-

$29 \times 84 \times 1$ मिट्टी = 2436 घनमीटर

$29 \times 84 \times 1.5$ आर0बी0एम0 = 3654 घनमीटर

अतः श्री नकलीराम व शेर सिंह पुत्रगण बलजीत सिंह निवासी ग्राम महतौली, द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार लक्सर की जांच आख्या दिनांक 29.12.2023 उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न: यथोक्त।

भवदीय,

(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

जिलाधिकारी
हरिद्वार।

संख्या 1064/पी0ए0/उ0जि0ल0/2023

दिनांक 30 दिसम्बर, 2023

विषय:- ग्राम नेहन्दपुर, परगना ज्वालापुर, तहसील लक्सर में अवैध खनन की जांच किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक तहसीलदार लक्सर द्वारा प्रेषित जांच आख्या दिनांक 20.12.2023, जो दिनांक 29.12.2023 को कार्यालय में प्राप्त हुई हैं, जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम नेहन्दपुर, परगना ज्वालापुर, तहसील लक्सर के खसरा नम्बर 263म, जिसमें श्री शकील पुत्र महमूद निवासी नेहन्दपुर सुठारी द्वारा अवैध खनन किया गया है। जिसकी पैमाईश निम्न प्रकार हैं:-

$37 \times 41 \times 1.5$ मिट्टी = 2275.5 घनमीटर

अतः तहसीलदार लक्सर की जांच आख्या दिनांक 20.12.2023 उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न: यथोक्त।

भवदीय,



(गोपाल सिंह महान) 30.12.2023

उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

प्रेषक,

रूप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

जिलाधिकारी
हरिद्वार।

संख्या 1069 / पी०ए० / उ०जि०ल० / 2023


दिनांक 30 दिसम्बर, 2023

विषय:- ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा ज० ताहसील लक्सर में अवैध खनन की जांच किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक ताहसीलदार लक्सर द्वारा प्रेषित जांच आख्या दिनांक 09.12.2023, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। ताहसीलदार लक्सर द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा ज०, परगना ज्वालापुर, ताहसील लक्सर के क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा ज०, के कुछ खेतों/खसरा नम्बर में अवैध खनन होना पाया गया है। जिसकी पैमाईश निम्न प्रकार है:-

क्रम सं०	कब्जेदार/खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	अवैध खनन की पैमाईश	अन्य
01	इकपाल व ओमप्रकाश पुत्रगण फल्लू निवासी महतौली।	52	35×113×1 (मिट्टी)=3955 घनमी० 35×113×1.5(आर०बी०एम०)=5932घनमी०	-
02	संसारवती पत्नी जगदीश निवासी ग्राम महतौली।	52	30×88×1 (मिट्टी)=2640 घनमी० 30×88×1(आर०बी०एम०)=2640 घनमी०	-
03	सलेकचन्द पुत्र नानू निवासी ग्राम महतौली।	36	29×27×1 (मिट्टी)=783 घनमी० 29×27×1.5(आर०बी०एम०)=1174.5घनमी०	-
04	रमेश, यशपाल, सतपाल, सुखवीर पुत्रगण वीरवल निवासीगण ग्राम महतौली।	50	30×119×1 (मिट्टी)=3570 घनमी० 30×119×1(आर०बी०एम०)=3570 घनमी०	-
05	महीपाल पुत्र चन्दर व सूरजपाल पुत्र लक्ष्मीचन्द निवासीगण ग्राम महतौली।	51	30×30×1 (मिट्टी)=900 घनमी० 30×30×1(आर०बी०एम०)=900 घनमी०	-
06	रामकुमार उर्फ राज्जा पुत्र नकली निवासी ग्राम महतौली।	12	29×44×1 (मिट्टी)= 1276घनमी० 29×44×1.5(आर०बी०एम०)=1914घनमी०	-
07	कलीराम पुत्र कन्दू निवासी ग्राम महतौली।	54	62×75×1 (मिट्टी)= 4650 घनमी० 62×75×1(आर०बी०एम०)=4650 घनमी०	-
08	हरि सिंह पुत्र चेतू, रविन्द्र कुमार, अभिषेक कुमार पुत्रगण रघुवीर सिंह निवासी ग्राम महतौली।	55	94×68×1 (मिट्टी)= 6392 घनमी० 94×68×1(आर०बी०एम०)=6392 घनमी०	-
09	तेजपाल सिंह पुत्र गेन्दा निवासी ग्राम महतौली।	58गि०	30×60×1 (मिट्टी)= 1800 घनमी० 30×60×1.5(आर०बी०एम०)=2700 घनमी०	-



10	सोमपाल पुत्र मुख्त्यारा निवासी ग्राम महतौली।	56मि०	30×15×1 (मिट्टी)= 450 घनमी० 30×15×1(आर०बी०एम०)=450 घनमी०	-
11	लाल सिंह पुत्र सूरता निवासी ग्राम महतौली।	48	48×28×1 (मिट्टी)= 1344 घनमी० 48×28×1.5(आर०बी०एम०)=2016 घनमी०	-

अतः तहसीलदार लक्सर की जांच आख्या दिनांक 09.12.2023 उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावाली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्न: यथोक्त।

भवदीय,

 01.01.24
 (गोपाल सिंह चौहान)
 उप जिलाधिकारी,
 लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

संख्या 1139 / पी0ए0-उ0जि0ल0 / खनन-2024, दिनांक 07 फरवरी, 2024


विषय:- तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिकायतकर्ता श्री आदित्य कुमार पुत्र श्री फतेह चन्द, राजकिशोर एवं अन्य निवासी-ग्राम पुरवाला बिरसंगपुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार द्वारा दिनांक 16.01.2024 को तहसील लक्सर में आयोजित तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2024 एवं दिनांक 08.01.2024 को प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र जो अवैध खनन की शिकायत के सम्बन्ध में है पर तहसीलदार लक्सर द्वारा जांच आख्या दिनांकित 16.01.2024 उपलब्ध करायी गयी। प्राप्त जांच आख्यानुसार मौजा ग्राम पुरवाला बिरसंगपुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार के खसरा संख्या 161म रकबई 1.403 है 0 जोकि खसरा नं 161म/0.701 है 0 लक्ष्मीचन्द पुत्र श्री सन्ता, राजकुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द जितेन्द्र कुमार आदिगण के रूप में सहखातेदार हैं। खसरा सं 161म/0.351 है 0 संजय सैनी पुत्र श्री शेर सिंह, लक्ष्मी देवी पत्नी स्व 0 शेर सिंह निवासी-ग्राम, 161म/0.351 है 0 राजेन्द्र पुत्र श्री हरी सिंह राजकिशोर निवासी-ग्राम की पैमाईश कर निशानदेही की गयी। उक्त खसरा नंबर के कुछ हिस्से में रास्ता तथा कुछ हिस्से में बाणगगा नदी बह रही है जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि खसरा नं 161 अनुज कुमार पुत्र श्री राकेश कुमार निवासी-झींवरहेड़ी के द्वारा 95X18X2=3420 घनमीटर आर.बी.एम. निकालकर अवैध खनन किया जाना तस्दीक हुआ।

अतः उक्त अवैध खननकर्ता अनुज कुमार पुत्र श्री राकेश कुमार निवासी-झींवरहेड़ी तहसील लक्सर के विरुद्ध के उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार लक्सर से प्राप्त जांच आख्या मय संलग्नक संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।
संलग्न यथोपरि।

भवदीय,



(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

संख्या 1152/पी0ए0-उ0जि0ल0/खनन-2024,

दिनांक-21 फरवरी, 2024


विषय:- तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक तहसीलदार लक्सर द्वारा आख्या दिनांकित 23.01.2024 उपलब्ध कराते हुये अवगत कराया कि दिनांक 23.01.2024 को मय राजस्व टीम के मौजा मुसाहिवपुर माजरी, परगना ज्वालापुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम मौजा मुसाहिवपुर माजरी में ग्राम समाज/सरकारी भूमि के खसरा संख्या 97 से $54 \times 75 \times 1 = 4050$ घनमीटर, खसरा संख्या 74 से $25 \times 35 \times 1.5 = 1312$ घनमीटर एवं खसरा सं० 330 से $20 \times 24 \times 1.5 = 720$ घनमीटर अर्थात कुल 6082 घनमीटर आर०बी०एम० का अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन किया गया है। जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक द्वारा कोतवाली लक्सर में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

अतः उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार लक्सर से प्राप्त जांच आख्या मय संलग्नक संस्तुति सहित सादर प्रेषित है। संलग्न यथोपरि।

भवदीय,



(गोपाल सिंह चौहान)

उप जिलाधिकारी,

लक्सर

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

संख्या 1161 / पी0ए0-उ0जि0ल0 / खनन-2024,

दिनांक 21 फरवरी, 2024

विषय:- तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिकायतकर्ता श्री भरत सिंह पुत्र श्री पुन्न आदि निवासीगण पुरवाला बिरसंगपुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार के शिकायती पत्र दिनांक 26.12.2024 के सम्बन्ध में तहसीलदार लक्सर द्वारा जांच कर आख्या उपलब्ध करायी गयी।

तहसीलदार लक्सर से प्राप्त जांच आख्यानुसार ग्राम पुरवाला बिरसंगपुर परगना ज्वालापुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार के खसरा संख्या 42/1.972 है 0 पर पवन कुमार पुत्र श्री छतर सिंह निवासी ग्राम का नाम सहखातेदार के रूप में स0भू0 दर्ज कागजात है। उक्त खसरा संख्या 42 से $55 \times 30 \times 2.5 = 4125$ घनमीटर आर.वी.एम. निकालकर अवैध खनन किया जाना तस्दीक हुआ।

अतः उक्त अवैध खननकर्ता श्री पवन कुमार पुत्र श्री छतर सिंह निवासी-ग्राम पुरवाला बिरसंगपुर के विरुद्ध के उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार लक्सर से प्राप्त जांच आख्या मय संलग्नक संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।
संलग्न यथोपरि।

भवदीय,



(गोपाल सिंह चौहान)

उप जिलाधिकारी,
लक्सर

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

संख्या 1160 / पी०ए०-उ०जि०ल० / खनन-2024.

दिनांक 21 फरवरी, 2024

विषय:- तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय सहायक अभियन्ता-तृतीय सिंचाई खण्ड मायापुर हरिद्वार के पत्र संख्या 394/स०अ०तृ०/सि०ख०ह० दिनांक 26.12.2023 जो ग्राम रामपुर रायघटी में अवैध खनन रूकवाये जाने के सम्बन्ध में है पर तहसीलदार लक्सर से जांच आख्या प्राप्त की गयी।

तहसीलदार लक्सर से प्राप्त जांच आख्यानुसार ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल परगना ज्वालापुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार में राजस्व टीम द्वारा गंगा तटबन्ध के समीप अवैध खनन की जांच की गयी जिसमें मौके पर खसरा संख्या 3म रक्बा 3.155है० में अवतार सिंह, सिंगार सिंह, जीत सिंह पुत्रगण साधू सिंह निवासी-ग्राम व गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह निवासी-ग्राम सं०भू० के रूप में बतौर सहखातेदार दर्ज है में सिंगारा सिंह पुत्र साधू सिंह द्वारा 40X75X1=3000 घनमीटर आर.बी.एम. निकालकर अवैध खनन किया जाना तस्दीक हुआ।

अतः उक्त अवैध खननकर्ता सिंगारा सिंह पुत्र साधू सिंह निवासी-ग्राम रामपुर रायघटी तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार के विरुद्ध के उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार लक्सर से प्राप्त जांच आख्या मय संलग्नक संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

भवदीय,



(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर

उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

संख्या 1159 / पी0ए0-उ0जि0ल0 / खनन-2024,

दिनांक-21 फरवरी, 2024

विषय:- तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक तहसीलदार लक्सर द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही अवैध खनन के सम्बन्ध में आख्याएं दिनांकित 14.02.2024 उपलब्ध करायी गयी जिनके अनुसार अवैध खनन विवरण निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	अवैध खननकर्ता का नाम मय वल्दियत व पता	स्थित भूमि	खसरा संख्या	अवैध खनन घनमीटर में	खनन सामग्री का प्रकार
01	श्रीमती राज्जो पत्नी मेहरचन्द निवासी- अलावलपुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार।	मौजा मुसाहिबपुर माजरी	77	18X85X2=3060	आर०बी०एम०
02	मेहरचन्द पुत्र श्री कल्लू एवं समय सिंह पुत्र श्री विशम्बर निवासी-अलावलपुर तहसील लक्सर जनपद	मौजा मुसाहिबपुर माजरी	76	15X70X1.5=1575	आर०बी०एम०
03	सत्तार अली पुत्र श्री मजीद, जुल्फकार अली पुत्र श्री सत्तार अली आदि निवासीगण नेहन्दपुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार।	मौजा मुसाहिबपुर माजरी	119	30X40X1.5=1800	आर०बी०एम०

अतः उक्त से सम्बन्धित तहसीलदार लक्सर से प्राप्त जांच आख्या उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने संस्तुति सहित मूल रूप में सादर प्रेषित है। संलग्न यथोपरि।

भवदीय,



(गोपाल सिंह चौहान)

उप जिलाधिकारी,

लक्सर

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): हरिद्वार P.S. (थाना): लक्सर Year (वर्ष): 2024
 FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0015 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 04/01/2024 19:37 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	भा दं सं 1860	379

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

Day (दिन): शनिवार Date from (दिनांक से): 30/12/2023 Date To (दिनांक तक): 30/12/2023

Time Period (समय अवधि): पहर 1 Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 04/01/2024 Time (समय): 19:37 बजे
 (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 032 Date and Time (दिनांक और समय): 04/01/2024 19:37 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 18 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):
 (b) Address (पता): ग्राम प्रतापपुर पर0 ज्वालापुर तह0 लक्सर खसरा न0-1 व 9,
 (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): अन्जू कुमार राजस्व उप निरीक्षक
 (b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1984 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
 (e) UID No. (यूआईडी सं.):
 (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)

ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(l) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	महाराजपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत
2	स्थायी पता	महाराजपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत

(U) Phone number (दूरभाष सं.):

Moblle (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Allas (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	अज्ञात1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी- महोदय आज दिनांक 30/12/23 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्राम प्रतापपुर पर0 ज्वालापुर तह लक्सर जि0 हरिद्वार के खसरा न0-1 व 9 जो कि राजस्व अभिलोखी में गंगा जी (श्रेणी 6-1/जलमग्न भूमि) के रूप में दर्ज है। से अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा रात्री में अत्यधिक कोहरा होने के कारण 185x48x3 घन मी कुल 26640 घन मी0 आर0बी0एम0 अवैध रूप से खोदकर परिवहन कर लिया है। अतः महोदय अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाने हेतु आख्या सेवा में प्रेषित है। हस्ताक्षर अंगेजी अपठित 30-12-23 रा0उप नि0 महाराजपुर लक्सर प्रार्थी अन्जुकुमार तह लक्सर जि0 हरिद्वार नोट- मैं हे0का0 398 भूपेन्द्र सिंह प्रमाणित करता हूँ कि नकल तहरीर हिन्दी वादी थाना हाजा के सीसीटीएनएस पर शब्द व शब्द अंकित की गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) w/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): subhash chandra Rank (पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of Jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer In charge, Police Station (थाना
प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Rajeev Rauthan

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): NA

14. Signature / Thumb Impression
of the complainant / Informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर
/अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						
चेचक: हां						
Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दोँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	
Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)				Others (अन्य)	
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)		
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(पारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): हरिद्वार P.S. (थाना): लक्कर Year (वर्ष): 2024
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0032 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 09/01/2024 17:13 घंटे
2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (पारग(रें))
- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | खान एवं खनिज (विकास का विनियमन)
अधिनियम 1957 | 21 |
| 2 | खान एवं खनिज (विकास का विनियमन)
अधिनियम 1957 | 4 |
| 3 | भा दं सं 1860 | 379 |
3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
- (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 09/01/2024 Time (समय): 17:00 बजे
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (पविष्टि सं.): 030 Date and Time (दिनांक और समय): 09/01/2024 17:00 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 14 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): नेहन्दपुर बाण गंगा क्षेत्र,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
District (State) (जिला (राज्य)):
6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
- (a) Name (नाम): गोविन्द सिंह तेगयान
(b) Father's Name (पिताका नाम): धर्मपाल सिंह
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1985 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))
S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान संख्या)
- (h) Occupation (व्यवसाय):

I.I.F.-1 (एकीकृत जांच फार्म-1)

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	नगला कोयल, मंगलोर, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत
2	स्थायी पता	राजस्व 30नि0क्षेत्र सुल्तानपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8859045380

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी सेवा में थानाध्यक्ष महोदय थाना लक्सर, महोदय प्रार्थी गोविन्द सिंह तेगयान तहसील लक्सर के राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र सुल्तानपुर आदमपुर में राजस्व उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उप जिलाधिकारी महोदय लक्सर के आदेश दिनांक 06.01.2024 के अनुपालन में प्रार्थी क्षेत्र सुल्तानपुर आदमपुर के मौजा नेहन्दपुर में बाण गंगा क्षेत्र खसरा नम्बर 263 में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात्रि के समय किये गये अवैध खनन के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही कराना चाहता हूँ। अतः महोदय निवेदन है कि संलग्न संयुक्त जांच आख्या दिनांक 06/01/2024 में वर्णित सरकारी भूमि (बाण गंगाजी/ सम्पत्ति ग्राम समाज) पर उप जिलाधिकारी महोदय लक्सर के आदेशानुसार अज्ञात अवैध खनन कर्ताओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुये आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। ह0 अगेजी अपठित प्रार्थी गोविन्द सिंह तेगयान पुत्र धर्मपाल सिंह राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र सुल्तानपुर तहसील लक्सर, जि0 हरिद्वार निवास स्थान नगला कोयल, पोस्ट - गुरुकुल नारसन 247670 जिला हरिद्वार मो0 8859045380, नोट में हैड कानि0 264 मनोज मलिक प्रमाणित करता हूँ कि नकल तहरीर हिन्दी वादी शब्द ब शब्द अंकित की गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): LOKPAL PARMAR Rank (पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक
No. (सं.): na to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इन्कार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना
प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Rajeev Rauthan

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): NA

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर
/ अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): हरिद्वार P.S. (थाना): लक्सर Year (वर्ष): 2024
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0103 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 01/02/2024 20:07 घंटे
2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एँ))
- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 | 21 |
| 2 | खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 | 4 |
| 3 | भा दं सं 1860 | 379 |
3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
- (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 01/02/2024 Time (समय): 19:55 बजे
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 048 Date and Time (दिनांक और समय): 01/02/2024 19:55 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 13 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): मुसाहिवपुर माजरी,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
District (State) (जिला (राज्य)):
6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
- (a) Name (नाम): दाऊद अली
(b) Father's Name (पिताका नाम): तुफैल अहमद
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1983 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))
S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान संख्या)
- (h) Occupation (व्यवसाय):

I.I.F.-I (एकीकृत जांच कार्य-1)

(I) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	राजस्व उप निरीक्षक, भिक्कमपुर क्षेत्र, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत
2	स्थायी पता	बेलडा, कोतवाली रुडकी, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत

(II) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9690728258

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरा विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अज्ञात1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (₹ में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (₹ में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना / को0 लक्सर महोदय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी दाऊद अली तहसील लक्सर के रा030नि0 क्षेत्र भिक्कमपुर जीतपुर में रा030नि0 (लेखपाल) के पद पर तैनात हैं। मेरे रा030नि0 क्षेत्र के मौजा मुसाहिबपुर माजरी में रात्रि के समय धंध/कोहरे का फायदा उठाकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सरकारी भूमि/ग्राम समाज की भूमि के खसरा नम्बर 97, 94 व 330 में अवैध खनन किया जाना तस्दीक हुआ जिसके सम्बन्ध में राजस्व टीम द्वारा अवैध खनन की जांच आख्या उप जिलाधिकारी महोदय लक्सर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के आदेश मुझ रा030नि0 को दिये गये। जिसकी छायाप्रति एवं फोटोग्राफ्स साथ में संलग्न हैं। अतः महोदय से अनुरोध है कि मौजा मुसाहिबपुर माजरी के खसरा नं0 97, 74 व 330 में हुए 6082 घन मी0 अवैध खनन करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की कृपा करें। ए0 अंग्रेजी अपठित 01/02/2024 प्रार्थी नाम दाऊद अली पुत्र श्री तुफैल अहमद नि0 ग्राम बेलडा, त0 रुडकी को0/थाना सिविल लाईन रुडकी, पदनाम रा030नि0 क्षेत्र भिक्कमपुर जीतपुर त0 लक्सर मो0 9690728258, नोट में हैड का0 264 मनोज मलिक प्रमाणित करता हूँ कि नकल तहरीर हिन्दी वादी शब्द व शब्द अंकित की गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): LOKPAL PARMAR Rank (पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक
No. (सं.): na to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of Jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

F.I.R. read over to the complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / Informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Rajeev Rauthan

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): NA

14. Signature / Thumb impression of the complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						
						चेचक: हाँ
Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	
Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)			Others (अन्य)		
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)		
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/Informant gives any one or more particulars about the suspect/accused. (यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(पारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): हरिद्वार P.S. (थाना): लक्करा Year (वर्ष): 2024
 FIR No. (प.सू.रि. सं.) 0181 Date and Time of FIR (प.सू.रि. की दिनांक और समय): 24/02/2024
 21:47 घंटे
2. S.No. (सं.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (पारा(एँ))
- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 | 21 |
| 2 | खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 | 4 |
| 3 | भा दं सं 1860 | 379 |
3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
 Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
- (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 24/02/2024 Time (समय): 21:13 बजे
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (एविष्टि सं.): 035 Date and Time (दिनांक और समय): 24/02/2024 21:13 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 18 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):
 (b) Address (पता): ग्राम प्रतापपुर,
 (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
 District (State) (जिला (राज्य)):
6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
- (a) Name (नाम): अन्जु कुमार राजस्व उप निरीक्षक
 (b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
 (e) UID No. (यूआईडी सं.):
 (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
 Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
 (g)

N.C.I.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जॉय फार्म-1)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान संख्या)

(b) Occupation (व्यवसाय):

(c) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.) Address Type (पता का प्रकार)

1 वर्तमान पता
2 स्थायी पता

Address (पता)

राजस्व क्षेत्र दरगाहपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत

राजस्व क्षेत्र दरगाहपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत

(d) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8755032065

I.I.F.-1 (एकीकृत जांच फार्म-1)

Lists of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित)

(क)

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)	Permanent Address
1	समीम		पिता का नाम : तमजुल	1. ग्राम नेहन्दपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	
2	नाहिर		पिता का नाम : इरशाद	1. ग्राम नेहन्दपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	
3	सुलेमान		पिता का नाम : इरफान	1. ग्राम नेहन्दपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	
4	नफीस		पिता का नाम : इल्यास	1. ग्राम नेहन्दपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	
5	रिहयान		पिता का नाम : अब्दुल सलाम	1. ग्राम नेहन्दपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	
6	चन्द्रवीर		पिता का नाम : श्रवण	1. ग्राम प्रतापपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	
7	गुड्डू		पिता का नाम : श्रवण	1. ग्राम प्रतापपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	
8	दिनेश		पिता का नाम : सलता	1. ग्राम प्रतापपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	
9	पांथा		पिता का नाम : सोम	1. ग्राम प्रतापपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	
10	पाल्सी		पिता का नाम : सोम	1. ग्राम प्रतापपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	
11	विद्दू		पिता का नाम : सोम	1. ग्राम प्रतापपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत	

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (शृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी:- महोदय अवगत कराना है कि ग्राम प्रतापपुर पर जगतापुर तह- लक्सर जि० हरिद्वार के खसरा न० ०१ व ०९ जो राजस्व अभिलेखों में गंगा जी (श्रेणी (०-१) व गंगा राजा की भूमि के रूप में दर्ज हैं जो ग्राम सभा सम्पत्ति जिरामे पिछले एक सप्ताह से रात्री में अवैध खनन होना पाया गया है उक्त अवैध खनन के विरुद्ध राजस्व टीम द्वारा कई बार रात्री में छापे-मारे की गई परन्तु रात्री के अन्धेरे का लाभ उठाकर अवैध खनन कर्ता मौके से भाग जाते हैं। मुखबिर खास के द्वारा स्थानीय जांच में तस्दीक हुआ कि समीग s/o तमजुल, नाहिद s/o इरशाद, सुलेमान s/o इमरान, नफीस s/o इल्यास, रिहयान s/o अब्दुल सलाम, निवासीगण ग्राम नेहन्दपुर तथा चन्द्रवीर पुत्र श्रवण, गुड्डू s/o श्रवण, दिनेश s/o सत्ता, पौधा s/o सोम, पाल्ली s/o सोम, बिट्टू s/o सोम निवासीगण प्रतापपुर के द्वारा उपरोक्त के द्वारा उपरोक्त ग्राम सभा की भूमि से अवैध खनन किया गया है चूकि मेरे द्वारा रात्रि में भी छापेमारे की गई। छापेमारी के दौरान खनन कर्ता भाग गये। उक्त प्रकरण में पुलिस विभाग से जांच कराने के उपरांत ही आवश्यक कार्यवाही किये जाना उचित प्रतीत होता है ग्राम सभा (श्रेणी ०-१) गंगा जी के खसरा न० में पाये गये अवैध खनन गडेटा का निरीक्षण एवं पैमाइश की गई। जिसका विवरण निम्न है।

क्र०स० ग्राम का नाम भूमि जिसमें अवैध खनन खसरा न० अवैध खनन का प्रकार अवैध खनन की मात्रा (घनमीटर में)

०१ प्रतापपुर ग्राम सभा ०९ आर०बी०एम० ९२x३५x३=९६.६० घन मी०

०२ प्रतापपुर गंगा जी ०१ आर०बी०एम० १०५x३४x३=१०.७१० घन मी०

०३ प्रतापपुर गंगा जी ०९ आर०बी०एम० १४५x५४x३=१७१० घन मी०

कुल मांग ३७.३८० घन मी० ग्राम प्रतापपुर कोतवाली लक्सर के अन्तर्गत जाता है उपरोक्तानुसार ग्राम सभा सम्पत्ति (भूमि पर किये गये अवैध खनन के सम्बन्ध में उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु थानाध्यक्ष लक्सर को निर्देशित किये जाने हेतु आख्या सादर सेवा में प्रेषित। हस्ताक्षर अंग्रेजी पठित २३/०२/२०२४ रा०उ०नि० दरगाहपुर लक्सर महोदय रा०उ०नि० जांच आख्या आ०का० हेतु प्रेषित हस्ताक्षर अंग्रेजी अपठित २३/२/२४ R.I(S) SHO(L) /R.S.I एवं R.I की रिपोर्ट के आधार पर तत्काल आ०का० करें। हस्तक्षर अंग्रेजी अपठित २४.०२.२०२४ अन्जु कुमार रा०उ०नि० तह- लक्सर क्षेत्र - दरगाहपुर ८७५५०३२०६५ नोट - मैं कानि० प्रमाणित करता हूँ कि नकल तहरीर शब्द व शब्द टंकित की गयी। कानि० १८४ टीकम सिंह चौहान कोतवाली लक्सर जगतापुर हरिद्वार। दिनांक २४.०१.२०२४

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही: चूकि उपरोक्त जानकारी में पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. २ में उल्लेख प्राप्त के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Kamal Kant Raturi Ruak (पद): उपनिरीक्षक/ जांच निरीक्षक
No. (सं.): to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला).

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को वापसकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O. A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

राजेश्वरी डि.डी.के.
Signature of Officer in charge, Police Station (शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर)
उत्तरांचल प्रदेश - हरदोय

Name (नाम): Rajeev Rauthan

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): NA

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (पथक सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1984				
2	पुरुष	1982				चेक: हां
3	पुरुष	1989				चेक: हां
4	पुरुष	1986				चेक: हां
5	पुरुष	1983				चेक: हां
6	पुरुष	1985				चेक: हां
7	पुरुष	1985				चेक: हां
8	पुरुष	1987				चेक: हां
9	पुरुष	1986				चेक: हां
						चेक: हां



उद्धरण खतौनी (शासकीय)

ग्राम क्रमांक : 056861

ग्राम का नाम / परगना : प्रतापपुर(ज्वानापुर)

तहसील : लखनर

जनपद : हरिद्वार

फसली वर्ष : 1427-1

6-1/उत्तर मध्य पृष्ठि।

घाता खतौनी क्रम संख्या --- 1 ---	घातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवासा स्थान ----- 2 -----	भौतिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ----- 3 -----	घाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ----- 4 -----	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ----- 5 -----	घातेदार द्वारा देय मासगुजारी या सगात ----- 6 -----	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका साटांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद ----- 7-12 -----
00734	तवाडी//		1ख 1घ 1ण 2प 9प. 10क 11 12ख 15क 16ख 17क 17ख 28 129 147ख 130 148ख 149ख	0.2040 0.2040 1.7820 0.2350 2.2620 1.0350 0.2040 0.0710 0.1890 0.0410 0.1230 0.0100 0.2570 0.0100 0.4710 0.0410 1.9870 0.1630	0.00	
			18	9.2890		

कुल गाटे 18, आठ कुल क्षेत्रफल 9.2890 हे. कुल भू.राजस्व अन्य दशमलव अन्य अन्य

Data Digitally Signed by : MANOJ KUMAR PANDEY

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक दिनांकिक सिस्टम द्वारा वैधता की गयी है तथा सादा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।


सहाय अधिकारी : TEHSILDAR

तहसील : लखनर

दिनांक एवं समय : 24-01-2024 0:


ग्राम. प्रतापपुर पर० ज्वालापुर हरिठार

शस्रा नं० . ०१ .



श. प्रतापपुर - परं ज्वालापुर हरिद्वार

खसरा नं०. ०१



मि. प्रतापपुर - पर. लवामापुर हरिहर



शसरा नं० - ०९



General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

Date (दिनांक): 24/02/2024

State (राज्य): उत्तराखण्ड

P.S. (थाना): लखसर

District (जिला): हरिद्वार

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 035

2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 24/02/2024 09:13 PM

3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): 311पराधिक प्रकरण

4. Entry for (Officer) (पविष्टि (अधिकारी के लिए)): Bhupendra Singh

5. Case Type (प्रकरण का प्रकार): प्रौढ

6. G.D. Brief (रोजनामचा संक्षिप्त): इस समय अन्जु कुमार राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र दरगाहपुर कोतवाली लखसर जनपद हरिद्वार 8755032065 ने हाजिर थाना आकर एक किता तहरीर हिन्दी हस्तलिखित व खुद की दस्तखती बताकर बाबत अभियुक्तगण 1-रागीग s/o तमजुल, 2-नाहिद s/o इरशाद, 3-रुनेमान s/o इनाफान, 4-पीसा s/o इन्धारा, 5-रिहयान s/o अब्दुल सलाम निवासीगण ग्राम नेहन्दपुर थाना कोतवाली लखसर जनपद हरिद्वार 6-चन्द्रवीर पुत्र श्रवण, 7-मुड्डू s/o श्रवण, 8-दिनेश s/o सतना, 9-पीछा s/o सोम, 10-पाल्सी s/o सोम, 11-बिट्टू s/o सोम निवासीगण प्रतापपुर कोतवाली लखसर जनपद हरिद्वार द्वारा प्रतापपुर क्षेत्र में खसरा नम्बर 01-प्रतापपुर ग्राम सभा 09 आर0बी0एम0-92x35x3=96.60 घन मी0, 02- प्रतापपुर, गंगा जी 01 आर0बी0एम0 105x34x3=10710 घन मी0, 03- प्रतापपुर, गंगा जी 09 आर0बी0एम0 145x54x3=17010 घन मी0 पर रात्रि के समय अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में मय 03 किता फोटोग्राफ गय एक किता खतौनी के लाकर दाखिल की। अत दाखिला तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर सीसीटीएनएस पर मु0अ0रा0 181/24 धारा 379 भादवि व 4/21 खनन अधि0 बागुदयत अन्जु कुमार उपरोक्त बनाम सलीम आदि 11 नकर अभियुक्त उपरोक्त दिनांक घटना /समय अन्दर तहरीर दिनांक सूचना तारीखी इमरोजा समय रपट हाजा घटनास्थल प्रतापपुर कोतवाली लखसर जनपद हरिद्वार दिशा जानिय पूर्व दूरी करीब 18 किमी हल्का लौकी रायसी कोतवाली लखसर जनपद हरिद्वार के अन्दर सालहाल कायम व दर्ज किया गया तपतीश उ0नि0 कमलकांत रतूड़ी करगे। नवल चिक नवल रपट वास्ते विवेचना विवेचक को दी जा रही है। डेली जरायम इरशाल होगे। तकमीला रोजेस्लान सम्बन्धित में दरपेश है सूचना द्वारा उचित माध्यम के उपाधिकारीगणो को दी जा रही है।

7. Subject (विषय): दाखिला तहरीर व कायमी मु0अ0रा0-181/24 धारा 379 भादवि व 4/21 खनन अधि0 बनाम सलीम आदि

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	थाना एवं थानेज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
2	थाना एवं थानेज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	भा द सं 1800	379

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 24/02/2024 21:26

Signature (हस्ताक्षर):

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): Rajeev Kauthan

Name (नाम): Bhupendra Singh

Rank (पद): I (Inspector)

Rank (पद): प्रथम सिपाही

No. (सं.):

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 07 / पी0ए0 / उ0जि0ल0 / 2024

दिनांक 23 जनवरी, 2024

विषय:- अवैध खनन सामग्री परिवहन अन्तर्गत निरुद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक तहसीलदार लक्सर द्वारा दिनांक 20.01.2024 को अवैध खनन के अन्तर्गत कार्यवाही कर अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर 05 ट्रेक्टर मय ट्रॉली को अवैध खनन परिवहन के अन्तर्गत सीज कर चालानी आख्या दिनांकित 20.01.2024 उपलब्ध करायी गयी। जिसके अनुसार अवैध खनन परिवहन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहनों का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो०न०	वाहन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या	वाहन में भरी खनन सामग्री की मात्रा एवं प्रकार
1	इमरान पुत्र श्री कुरबान निवासी-दाईपुर गोविन्दपुर बहादुराबाद(हरिद्वार)	ट्रेक्टर-ट्रॉली (04 पहिया) Reg.No-UK08BC2651	05 घनमीटर रेत
2	कुरबान पुत्र श्री जीमल निवासी-बुड्डाहेड़ी हरिद्वार	ट्रेक्टर-ट्रॉली (04 पहिया) Reg.No-UK17L4487	05 घनमीटर बजरी
3	तोफीक पुत्र श्री कदिर निवासी-नेहन्दपुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार।	ट्रेक्टर-ट्रॉली (04 पहिया) Reg.No-UK08BB4355	05 घनमीटर रेत
4	वाजिद अली पुत्र श्री जहूर हसन निवासी-ग्राम जसपुर रणजीतपुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार।	ट्रेक्टर-ट्रॉली (02 पहिया) Reg.No-UK17CA0924	04 घनमीटर रेत
5	मुख्तयार पुत्र श्री इलताफ निवासी-बुड्डाहेड़ी हरिद्वार	ट्रेक्टर-ट्रॉली (04 पहिया) Reg.No-UK08AZ2144	05 घनमीटर रेत

अतः अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानी आख्या मूल में सादर प्रेषित है।
संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,



(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

अर्थ ५०५ -

18850 119

सुपुर्दगी नामा

आज दिनांक 20/01/2024 को स्थान श्री. सुकमलपुरा समय 5:20 AM
 तहसील लक्सर जिला हरिद्वार मे अवैध खनन पर कार्यवाही करते हुए वाहन संख्या UK00BC2651
 RPK2G 0236 चालक का नाम इ.म.राज पिता का नाम शु.राज
 निवासी गा. सु. र. डो. बि. सु. ल. का. का. मो. नं. 941120015 को पकडा
 गया जिसमें रेट टन/घन मी० उपे खनिज बिना रायल्टी, रमन्ने व बिल के परिवहन करते
 पाया गया, जिसको श्री उ.प. जिलाधिकारी पुत्र श्री ल.रा. र. आ.रा. प.र.
 निवासी मो० नं. 941120015 या थानाध्यक्ष/चौकी इंचार्ज
 दिनांक - 20/01/2024 की सुपुर्दगी में दे दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	वाहन संख्या	टायर संख्या	अवैध खनन की सामग्री टन/घन मी० में।	वाहन स्वामी अथवा चालक के हस्ताक्षर
01	UK00BC2651 <u>इ.म.राज</u> RPK2G 0236	<u>500</u> (04)	<u>रेट</u> (05)	<u>श्री इ.म.राज</u>

पकडने वाले का नाम इ.म.राज
 पदनाम 20-1-24

सुपुर्दगार का नाम व पता

तहसीलदार
लक्सर।

महोदय,

राजस्व निरीक्षक

श्रीमान उपजिलाधिकारी
लक्सर।

इ.म.राज
 तहसीलदार
 लक्सर।

सुपुर्दगी नामा

आज दिनांक 20/01/2024 को स्थान बुलडाहेडी समय 5:20 PM तहसील लक्षर जिला हरिद्वार मे अवैध खनन पर कार्यवाही करते हुए वाहन संख्या UK17L4407 चालक का नाम सुपुर्दगी पिता का नाम जमील निवासी बुलडाहेडी मो नं. 9012671030 को पकडा गया जिसमें 10mm खननी / घन मी 0 उप खनिज बिना रायल्टी, रमन्ने व बिल के परिवहन करते पाया गया जिसको श्री उपनिषादी पुत्र श्री मीरान या थानाध्यक्ष/चौकी इंचाज निवासी मो नं. 20-01-2024 की सुपुर्दगी मे दे दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	वाहन संख्या	टायर संख्या	अवैध खनन की सामग्री टन/घन मी० में।	वाहन स्वामी अथवा चालक के हस्ताक्षर
01	UK17L4407 इलाक़ा - RKB07256	खननी (04)	10mm खननी (05)	मि. सुपुर्दगी बुलडाहेडी

पकडने वाले का नाम
पदनाम
20/01/2024

सुपुर्दगी का नाम व पता

तहसीलदार
लक्षर।

महोदय,

राजस्व निरीक्षक

श्रीमान उपजिलाधिकारी
लक्षर।

[Signature]
तहसीलदार
लक्षर।

सुपुर्दगी नागा

आज दिनांक २०/०१/२०२५ को स्थान हनुमानगढ़ जिला सुपुर्दगी समय ५:३५ AM
 तहसील लक्सर जिला हरिद्वार में अवैध खनन पर कार्यवाही करते हुए वाहन संख्या UK00BB4355
 चालक का नाम लालिब पिता का नाम कवि
 निवासी नेह-कुल सुवारी लखन मो० नं० ९५६८२३४०६५ को पकड़ा
 गया जिसमें १ टन/घन मी० उप खनिज बिना रायल्ली, रमन्ने व विल के परिवहन करते
 पाया गया जिसको श्री उपजिलाधिकारी लखन पुत्र श्री पट
 निवासी मो० नं० या थानाध्यक्ष/चौकी इंचार्ज
 दिनांक २०-१-२०२५ की सुपुर्दगी में दे दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	वाहन संख्या	टायर संख्या	अवैध खनन की सामग्री टन/घन मी० में।	वाहन स्वामी अथवा चालक के हस्ताक्षर
०१	<u>UK00BB4355</u> <u>इजन नं०</u> <u>MMC2TAE1203</u>	<u>१</u> <u>(०५)</u>	<u>१०mm लकी व</u> <u>२०</u> <u>(०५)</u>	<u>श्री लालिब सुवारी</u> <u>नेह-कुल सुवारी लखन</u> <u>मो० नं० ९५६८२३४०६५</u> <u>पिता का नाम कवि</u> <u>निवासी मो० नं०</u>

पकड़ने वाले का नाम
 पदनाम
 तहसीलदार
 लक्सर।
 महोदय,

श्रीमान उपजिलाधिकारी
 सुपुर्दगी का नाम व पता

राजस्व निरीक्षक

श्रीमान उपजिलाधिकारी
लक्सर।

तहसीलदार
लक्सर।

अर्थिक - 18850

सुपुर्दगी नामा

आज दिनांक 20/11/2024 को स्थान मुजफ्फर नगर समय 5:20
 तहसील लक्सर जिला हरिद्वार मे अवैध खनन पर कार्यवाही करते हुए वाहन संख्या UK00AZ22
 चालक का नाम मुजफ्फर पिता का नाम सुभाष
 निवासी उडाडी हरिद्वार मो.नं. 7668045652 को पक
 गया जिसमें रेत (05) टन/घन मी० उप खनिज बिना रायल्टी, रमन्ने व बिल के परिवहन क
 पाया गया, जिसको श्री उपजिलाधिकारी लक्सर पुत्र श्री साधाधर
 निवासी मुजफ्फर मो.नं. 7668045652 या थानाध्यक्ष/चौकी इंचार्ज
 दिनांक 20/11/2024 की सुपुर्दगी मे दे दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	वाहन संख्या	टायर संख्या	अवैध खनन की सामग्री टन/घन मी० में।	वाहन स्वामी अथवा चालक के हस्ताक्षर
01	UK00AZ2144 इमन गठ	इवल टायर (04)	रेत (05)	मुजफ्फर नगर उडाडी हरिद्वार लक्सर जिला उपजिलाधिकारी लक्सर को दे दिया गया है। उपजिलाधिकारी लक्सर को दे दिया गया है। उपजिलाधिकारी लक्सर को दे दिया गया है।

पकड़ने वाले का नाम साधाधर
 पदनाम 20-11-2024

सुपुर्दगार का नाम व पता साधाधर

तहसीलदार
 लक्सर।

महोदय,

राजस्व निरीक्षक

श्रीमान उपजिलाधिकारी लक्सर।

साधाधर
 तहसीलदार लक्सर।

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 15 / पी०ए० / उ०जि०ल० / 2024


दिनांक 16 फरवरी, 2024

विषय:- अवैध खनन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।

कृपया उपर्युक्त विषयक तहसीलदार लक्सर द्वारा दिनांक 14.01.2024 को नेहन्दपुर में एक जे०सी०बी० मशीन को अवैध खनन में संलिप्त होने पर अवैध खनन नियमावली के अन्तर्गत कार्यवाही कर चालानी आख्या उपलब्ध करायी गयी। उक्त आख्यानुसार अवैध खनन के अन्तर्गत निरुद्ध वाहन का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो०नं०	वाहन संख्या/इंजन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या
01	दलबीर सिंह पुत्र श्री ऋषिपाल निवासी- लक्सर जनपद हरिद्वार।	जे०सी०बी० मशीन Reg. No-UP20AT7388

अतः अवैध खनन सामग्री परिवहन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन) परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानी आख्या मूल में सादर प्रेषित है।
संलग्नक यथोक्त।

भवदीय

उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या 13 / पी0ए0 / उ0जि0ल0 / 2024

दिनांक 30 जनवरी, 2024

विषय:- अवैध खनन सामग्री परिवहन अन्तर्गत निरूद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।

कृपया उपर्युक्त विषयक अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15.01.2024 को अवैध खनन के अन्तर्गत कार्यवाही कर प्रतापपुर में अवैध खनन करने पर उक्त जे0सी0बी0 मशीन को अवैध खनन परिवहन नियमावली के अन्तर्गत सीज किया। अवैध खनन के अन्तर्गत निरूद्ध जे0सी0बी0 मशीन का विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो0नं0	वाहन संख्या/इंजन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या
01	मोहित कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी-आजमपुर जमनी भनोटी बिजनौर	जे0सी0बी0 मशीन(CAT) Reg. No. UK07FB4988

अतः अवैध खनन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आख्या मूल में सादर प्रेषित है।
संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,



(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी,
लक्सर।

सुपुर्दगीनामा

आज दिनांक 15-01-24 को समय 8 बजे स्थान प्रतापपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार में अवैध खनन/परिवहन पर कार्यवाही करते हुए औचक निरीक्षण के दौरान निम्न वाहन/वाहनों को पकड़ा गया, जो बिना रायल्टी/विल/रून्ने के परिवहन करते पाये गये। उक्त वाहन/वाहनों को अग्रिम आदेशो तक श्री गणपति स्टोन डेल्स पुत्र निवासी प्रतापपुर मो0नं0 9474948262 या कोतवाली/थाना/चौकी की सुपुर्दगी में दिनांक 15-1-2024 को समय बजे दिया गया है।

क्र0 सं0	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो0नं0	वाहन संख्या प्रकार	टायर संख्या	वाहन में भरे अवैध उपखनिज का नाम व वजन	वहन स्वामी/चालक के ब्यान एवं हस्ताक्षर/नि0अ0
01	मोहित कुमार S10 सुरेन्द्र सिंह नि 0 अण्डापुरा जमनी भनेरी बिबौर	CAT - JCB मशीन	4 टायर	-	मोहित कुमार
02	-7248223644	-	-	-	-

ब्यान ड्राइवर

मैं मोहित कुमार S10 सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अण्डापुरा जमनी भनेरी बिबौर ड्रेक्टर-ट्राली/डम्पर/ट्रक CAT/JCB ड्राइवर पं.क्र. 158545 रेंग धाबा है। मेरे उक्त वाहन को राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा राजस्व टीम के द्वारा स्थान प्रतापपुर के पास चैक किया गया है, मेरे वाहन में घनमीटर/टन उपखनिज भरा है। मेरे पास उक्त माल का रवन्ना है/नहीं है। अर्थात जो माल मेरे उक्त वाहन में उपखनिज घनमीटर/टन में लोड है। रवन्ने के अतिरिक्त अवैध घनमीटर/टन उपखनिज है। मैं यह ब्यान पढकर व सूनकर अपने हस्ताक्षर कर रहा हूँ, आज दिनांक 15-1-24 समय 8 बजे बजे है।

मोहित कुमार
ड्राइवर का नाम व पता
(हस्ताक्षर सहित) मो0नं0

(Signature)
15-01-24
सुपुर्दगी देने वाले अधिकारी/
कर्मचारी का नाम /पदनाम/हस्ताक्षर

सुपुर्दगी प्राप्त करने वाले अधिकारी/
कर्मचारी का नाम /पदनाम/हस्ताक्षर

(Signature)
15-01-24

(Signature)
15-01-24

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
लक्सर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलेक्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या ०४ / पी०ए० / उ०जि०ल० / 2024

दिनांक 23 जनवरी, 2024

विषय:- अवैध खनन सामग्री परिवहन अन्तर्गत निरूद्ध वाहन के सम्बन्ध में चालानी आख्या का प्रेषण।


कृपया उपर्युक्त विषयक अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 14.01.2024 को अवैध खनन के अन्तर्गत कार्यवाही कर नेहन्दपुर बाढ़गंगा (लक्सर) में जे०सी०बी मशीन को अवैध खनन करने पर उक्त जे०सी०बी० मशीन को अवैध खनन परिवहन नियमावली के अन्तर्गत सीज किया। अवैध खनन के अन्तर्गत निरूद्ध जे०सी०बी० मशीन का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो०नं०	वाहन संख्या/इंजन संख्या एवं प्रकार टायरों की संख्या
01	सावेज पुत्र जब्बार निवासी-भैंसा मेरठ, उ०प्र०।	जे०सी०बी० मशीन Reg. No. UP15GT0625

अतः अवैध खनन करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आख्या मूल में सादर प्रेषित है।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,



(गोपाल सिंह चौहान)

उप जिलाधिकारी,

लक्सर।

सुपुर्दगीनामा

आज दिनांक 14/01/2024 को समय 09:10 AM स्थान नैरवट गाँव जिला लक्षर तहसील लक्षर जिला हरिद्वार में अवैध खनन/परिवहन पर कार्यवाही करते हुए औचक निरीक्षण के दौरान निम्न वाहन/वाहनों को पकड़ा गया, जो बिना रायल्टी/बिल/रवन्ने के परिवहन करते पाये गये। उक्त वाहन/वाहनों को अग्रिम आदेशो तक श्री उ.प. निरीक्षण पुर्र राजस्व विभाग मो0नं0..... या कोतवाली/थाना/चौकी..... की सुपुर्दगी में दिनांक 14/01/2024 को समय 11:20 बजे दिया गया है।

क0 सं0	चालक का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान व मो0नं0	वाहन संख्या प्रकार	टायर संख्या	वाहन में भरे अवैध उपखनिज का नाम व वजन	वहन स्वामी/चालक के ब्यान एवं हस्ताक्षर/नि0अ0
01	साविता भोजपुरी कि-अना भदर उत्तर 2921	UP186J 0675 नेचिन मयल RAJ3DXSM 203355802	J.C.B.	R.B.M गाँव गंगा में बाँध हदत करते	साविद
02					

ब्यान ड्राइवर

मैं साविता भोजपुरी निवासी गाँव नैरवट जिला लक्षर में ट्रेक्टर-ट्राली/डम्पर/ट्रक नंबर UP186J 0675 रंग पीला है। मेरे उक्त वाहन को राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा राजस्व टीम के द्वारा स्थान नैरवट गाँव जिला लक्षर के पास चैक किया गया है, मेरे वाहन में अवैध उपखनिज भरी है। मेरे पास उक्त माल का रवन्ना है/नहीं है। अर्थात् जो माल मेरे उक्त वाहन से उपखनिज घनमीटर/टन में लोड है। बिना रवन्ना अर्थात् अवैध उपखनिज घनमीटर/टन उपखनिज है। मैं यह ब्यान पढ़कर व सूनकर अपने हस्ताक्षर कर रहा हूँ आज दिनांक 14/01/2024 समय 09:10 AM बजे है।

साविद
डाइवर का नाम व पता,
(हस्ताक्षर सहित) मो0नं0
721748211)

सुपुर्दगी देने वाले अधिकारी/
कर्मचारी का नाम /पदनाम/हस्ताक्षर

सुपुर्दगी प्राप्त करने वाले अधिकारी/
कर्मचारी का नाम /पदनाम/हस्ताक्षर

[Handwritten signatures and marks]